पंचम माला, खंड 39, अंक 48 गुरुवार, 2 मई 1974/12 वैशाख, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXIX, No. 48 Thursday, May 2, 1974/Vaisakha 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48, गुरुवार, 2 मई, 1974/12 वैशाख, 1896 (शक)

No. 48—*Thursday*, 2 *May*, 1974/*Vaisakha* 12, 1896 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में	Re : Suspension of Question Hour	1–7

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S.Q.Nos.

915 औषध निर्माताओं द्वारा रिकार्ड रखा जाना	Maintenance of records by Drug Manufacturers . .	8–10
916 पाकिस्तान में ननकाना साहेब को वटकैन का दर्जा देने और एक गुरुद्वारा बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव	Proposal for Vatican Status to Nankana Saheb and to constitute Gurudwara Board in Pakistan	10–12
919 खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन करने के लिए केंद्रिय स्वास्थ्य परिषद और परिवार नियोजन परिषद की बैठक	Meeting of Central Council of Health and Family Planning Council for Amendement of Prevention of Food Adulteration Act . . .	12–14

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० संख्या
S. N. Q. No.

15 टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार	Expansion of TISCO	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

917 सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Wage Board for Road Trasnsport Employees . .	18
918 मैसर्स आटो सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स डिवीजन, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत	Complaint against M/s. Auto Sales, Tractor Sales Division, Varanasi . . .	18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—18 LSS(ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
920	कोयमतुर में कर्मचारी राज्य-बोमा औषधालयों से औषधियों की चोरी	Pilferage of Drugs from ESI Dispensaries in Coimbatore .	18–19
921	डी० सी० एम० कैमिकल वर्कस, दिल्ली द्वारा तालाबंदी	Lock out by DCM Chemical Works, Delhi . . .	19
922	फ्रांस और मध्य एशियाई देशो द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by France and Middle Asian Countries . . .	19–20
923	रक्तचाप मापने की नयी तकनीकी	New Technique for Measuring Blood Pressure . . .	20
924	इस्पात का आयात	Import of Steel . . .	20
925	दिल्ली के रोजगार कार्यालियों में डाक द्वारा पंजीकरण का नवीकरण	Renewal of Registration in Employment Exchanges in Delhi through Post . .	20–21
926	रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधिकारियों को मिस्र में प्रतिनियुक्ति	D. G. E. & T Officers on Deputation to Egypt . . .	21
927	चीन में ट्रेड यूनियन कानफ्रेंस में भाग लेने के लिए भारतीयों को चीन का निमंत्रण	Chinese Invitation for Indian Visitors to Attend Trade Union Conference in China	21
928	1973-74 के दौरान उड़ीसा को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Orissa During 1973-74	21–22
929	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नयी कोयला खानों का खोला जाना	Opening of New Coal Mines in Maharashsra and Madhya Pradesh	22
930	भारत-बंगला देश तथा पाकिस्तान के बीच शिखरवार्ता का प्रस्ताव	Proposal for Summit Talk Amongst India, Bangaladesh and Pakistan . . .	22
931	अकोककर कोयला खानों में अवैध तालाबंदी	Non-coking Coal Mines Illegally Locked out . . .	22
932	महाराष्ट्र की कोयलाखानों के आसपास के क्षेत्रों में छोटे पैमाने के सहायक कारखाने	Small Scale Ancilliary Units in Peripheral areas of Maharashtra Coal Mines . .	22–23
933	अड्डा बनाने की योजना के लिए अमरीका को प्रतिनिधि सभा की स्वीकृती (यु० एस० हाऊस ओकेज बेस प्लान) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Press Report Regarding US House Okays Base Plan .	23
934	पांचवीं योजना में आसाम में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Assam in Fifth Plan Period	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8842	बम्बई में ईरानी छात्रों को गिरफ्तार करना	Arrest of Iranian Students in Bombay	23–24
8843	दिल्ली के अस्पतालों में प्रसूती के मामले	Delivery cases in Delhi Hospitals	24
8844	जबलपुर आयुध कारखाना	Jabalpur Ordnance Depot .	24
8845	मध्य प्रदेश द्वारा इस्पात की मांग	Steel Demanded by M.P. . .	24–25
8846	पाकिस्तान द्वारा गुजरात राज्य की सीमा पर भू, वायु तथा समुद्री सीमा का उल्लंघन	Land, Air and Territorial Water Intrusion by Pakistan on Gujarat State Border . . .	25
8847	गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे का कारखाना	Sponge iron Factory in Private Sector	25
8848	इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Indian Aluminium Co. . . .	25–26
8849	इम्फाल में क्षेत्रीय मेडिकल कालेज को मान्यता	Recognition of Regional Medical College in Imphal . .	26
8850	पूर्वी जर्मनी में भारत मूलक लोग	Persons of Indian Origin in East Germany . . .	26
8851	यू० एन० एफ० पी० ए० के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु 400 लाख अमरीकी डालरों के अनुदान के लिए समझौता	Agreement with UNFPA for Grant of 40 Million US Dollars for Family Planning Programme	27
8852	देश में मान्यता-प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज	Recognised and Unrecognised Medical Colleges in the country	27
8853	दिल्ली में घर-घर जाकर टीका लगाना	Vaccination by Going from Door to Door in Delhi .	27
8854	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मच्छरों को मारने का अभियान	Campaign to destory Mosquitoes by New Delhi Municipal Committee . . .	27–28
8855	दण्डकारण्य परियोजना में शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय	Expenditure on Rehabilitation of Refugees in Dandakaranya Project	28
8856	बेलाडिला लोह-अयस्क संयंत्र से शंखिनी नदी में गंदे लोह की निकासी	Discharge of Dirty Iron into Shankhini River from Bailadila Iron Ore Plant . .	28–29
8857	चौथी और पांचवीं योजना में बिहार में डाक्टरों को रोजगार देने के लक्ष्य	Target for Employment of Doctors in Bihar during 4th and 5th Plans . .	29
8858	कोयले के उत्पादन के लक्ष्य	Coal production Target . .	29
8859	पाकिस्तान के साथ संचार तथा कूट नीतिक संबंधों का पुनः बहाल होना	Restoration of Communications and Diplomatic Relations with Pakistan . .	29–30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8860	बम्बई से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक में "न्यू जीप स्कैन्डल" शीर्षक से प्रकाशित लेख	Article enitled "New Jeep Scandal" appeared in a Bombay Weekly	30
8861	अमरीकी राजनयिक द्वारा आसाम और मेघालय का दौरा	Tour of Assam and Meghalaya by US Diplomats . . .	31
8862	तेल उत्पादन करने वाले गुट-निरपेक्ष देशों की अलजीयर्स में बैठक	Meeting of Non-alligned Oil producing countries at Algiers.	31
8863	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित उर्वरकों का वितरण	Distribution of Imported Fertilisers by MMTC . . .	31-32
8864	रेडियो टेलीफोन उपकरण	Radio Telephone Equipment .	32
8865	टायरों, चेसिज तथा मोटर गाड़ियों की चोर बाजारी के बारे में ज्ञापन	Memorandum regarding Black marketing in Tyres, Chassis and Vehicles . . .	32-33
8866	चीन-भारत मैत्री बढ़ाने के लिए नेपाल की पेशकश	Nepalese Gesture to promote Sino-Indian Amity . .	33
8867	पाकिस्तान द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति जप्त करना	Confiscation of Indian Nationals Property by Pakistan . .	33-34
8868	"टेस्ट पाइलटों" के प्रशिक्षण हेतु प्रबंध	Arrangements for Training of Test Pilots	34-35
8869	तपेदिक, कुष्ठरोग और मानसिक रोगियों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव	Proposal to Grant Financial Assistance to Patients of T.B., Leprosy and Mental Retardation. . . .	35
8870	भारत सरकार के मुद्रणालयों में फार्मासिस्टों और नर्सों को सिलेक्शन ग्रेड देना	Selection Grade for Pharmacists and Nurses working in Government of India Presses	35-36
8871	वर्ष 1974-75 के लिये विमान उद्योग के लिये पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay for Aircraft Industry for 1974-75 .	36
8872	कोयला खनन कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र का लाया जाना	Introduction of Private Sector in to Coal Mines . . .	37
8873	कल्चर्ड मोतियों का उत्पादन	Production of Cultured Pearls	37
8874	विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल	Delegation sent Abroad . .	37-38
8875	गाय की चर्बी से घी बनाया जाना	Preparation of Ghee from Cow Tallow	39
8876	बिहार में नसबंदी पर व्यय	Expenditure on Sterilisation in Bihar	39
8877	मैसूर खान मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Mysore Mine Workers Union . . .	39-40

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8878	देश में मलेरिया, कैंसर तथा फिलेरिया के मामले	Malaria/Cancer/Fileria Cases in the country	40
8879	कोयला उत्पादकों और रेलवे के बीच नुक्ताचीनी करने की प्रवृत्ति	Fault Finding between Coal Producers and Railways .	40-41
8880	महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी	Theft of Important Documents	41
8881	दिल्ली के प्लास्टिक उद्योग मे मजदूरों का बेकार हो जाना	Workers rendered Jobless in Plastic Industry in Delhi .	41
8882	पांचवीं योजना में परिवार नियोजन के लिए नयी योजना	New Scheme for Family Planning in Fifth Plan . . .	41-43
8883	हजारीबाग जिले की केडलाझारखंड कोलियरी के मजदूरों का बेकार हो जाना	Workers rendered Jobless in Kedla Jharkhand Colliery in Hazaribagh District .	43
8884	डी० सी० एम० कैमिकल्स वर्क्स दिल्ली को पुनः खोलना	Reopening of D.C.M. Chemical Workers, Delhi . . .	43-44
8885	कैंटीन स्टोअर्स विभाग द्वारा विदेशी कम्पनियों से खरीदी गयी टायलेट की सामग्री	Purchase of Toilet Articles by Canteen Stores Department from Foreign Companies .	44
8886	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद की भारतीय इंजीनियरों द्वारा आयोजना और डिजाईन तयार करना	Planning and Designing of Bharat Electronics Limited, Ghaziabad by Indian Engineers	44
8887	नई दिल्ली में बांगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का कार्यान्वयन	Implementation of Agreement amongst Bangladesh, India and Pakistan in New Delhi .	44-45
8888	ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अवर-स्नातक कर्मचारी	Non-Graduate Employees of Joint Cipher Bureau . .	45
8889	कृषि श्रमिक कल्याण कोष	Agricultural Labour Welfare Fund	45
8890	मद्रास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा उद्योग चलाना	Running of Industries by Staff of Industrial Training Institutes in Madras . .	45-46
8891	एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मद्रास द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति तथा उन पर हुआ व्यय	Persons trained by Advance Training Institute, Madras and Expenditure incurred thereon	46-47
8892	डी० जी० ओ० एफ० का कार्यालय भवन	Office Building of DGOF .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8893	लेबर ब्यूरो का शिमला से चंडीगढ़ स्थानान्तरण	Shifting of Labour Bureau from Simla to Chandigarh . .	47–48
8894	निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक सहकारी समितियां	Labour Co-operatives for Construction Workers . .	48–49
8895	ट्राम्बे में कोयला संकट	Coal Crisis Hits Trombay .	50
8896	भारतीय डाक्टरों के अमरीका जाने पर प्रतिबंध	Restrictions on Indian Doctors Migrating to USA .	50
8897	1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान सीमावर्ती राज्यों में निष्क्रांत हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons Evacuated in Border States during 1971 Indo-Pak Hostilities . .	50–51
8898	गत तिमाही के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment during the Last Quarter . .	51–52
8899	कोलम्बो में हुए 'इकाफे' सत्र में हिन्द-महासागर में बड़ी शक्तियों द्वारा तनाव बढ़ाने के बारे में चीन का वक्तव्य	Chinese Statement at ECAFE Session in Colombo regarding Super Powers adding tension in Indian Ocean . . .	52
8900	बिजली की कटौती के कारण पश्चिम बंगाल में भारी उद्योगों के उत्पादन में बाधा	Hampering of Production of heavy Industries in West Bengal due to Power Cut .	52–53
8901	पुरुलिया पश्चिम बंगाल में ट्रक्टर के कारखाने का प्रस्ताव	Proposal for Tractor Factory in Purulia, West Bengal .	53
8902	रेलवे कर्मचारियो द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी के बारे में वार्ता	Talks Held on threatened strike by Railwaymen .	53
8903	ब्रिटेन द्वारा मौरिशस को दिए वचन के उल्लंघन में डिएगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के लिए सुविधायें	Facilities for U.S. Base at Diego Garcia in Violation of British Undertaking to Mauritius	53–54
8904	बिहार में बाक्साइट का उत्पादन	Buaxite Production in Bihar .	54
8905	रांची में एल्युमिनियम कारखाना	Aluminium Factory in Ranchi	55
8906	इस्पात के आयात के बारे में विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाई	Foreign Exchange difficulty in Steel Import . . .	55
8907	हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Himachal Pradesh	55
8908	मूल्य सूचकांक तैयार करने का आधार	Basis for preparation of price Index	56
8909	किराना समिति, दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from Kirana Committee, Delhi . .	56

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8910	राजस्थान को चौथी योजना में परिवार नियोजन के लिए अनुदान	Grants to Rajasthan for Family Planning during Fourth Plan . . .	56–57
8911	साफ्ट कोक का मूल्य	Price of Soft Coke .	57
8912	हैवी इंजीनियरिंग (इंडिया) लि० तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विलय	Merger of HEIL and BHEL .	57–58
8913	पैट्रोलियम गैस के मुकाबले में कोयला गैस का सस्ता होना	Coal Gas more economical than Petroleum Gas . .	58
8914	देश में पंजीकृत कारखाने	Registered Factories in the country	58
8915	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में डाक्टरों और जनसंख्या के बीच अनुपात	Ratio of Doctors and poupulation in rural and urban areas .	58–59
8616	परिवार नियोजन कार्यक्रमों का राज्य-वार लक्ष्य	Target of Statewise Family Planning Operations . .	59–60
8917	रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Rourkela, Durgapur and Bhilai . . .	60–61
8918	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का रज्जु मार्ग	IISCO Ropeway	61
8919	आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में अनुसंधान	Research in Ayurvedic Contraceptive medicines . .	62
8920	विलिंगडन अस्पताल दिल्ली द्वारा रोगियों को दी गई सुविधाएं	Facilities to patients by Willingdon Hospital, Delhi . .	62
8921	विलिंगडन अस्पताल में दवाइयों और शल्य उपकरणों की कमी	Shortage of medicine and Surgical instruments in Willingdon Hospital, New Delhi . .	62
8922	देश के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की नियुक्ति	Appointment of nurses in Government Hospitals . .	63
8923	भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही	States to provide jobs to ex-servicemen . . .	63
8924	वैगन निर्माण एककों का उत्पादन मिश्र	Product mix of wagon manufacturing units . . .	63–65
8925	1974-75 में जैसप एंड कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य	Production target of Jessop & Company in 1974-75 .	65
[illegible]	[illegible] लय में बड़े पमाने पर छंटनी	Mass retrenchment in Directorate General Border Roads	65–66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8927	सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए आधुनिकतम परिचालन अनुसंधान तकनीकी का उपयोग	Use of Sophisticated operational Research techniques to improve performance of Public undertakings . . .	66
8928	राजस्थान में लिग्नाइट निक्षेपों को निकाला जाना	Exploration of Lignite deposits in Rajasthan . . .	66–67
8929	लौह अयस्क से गुटके के रूप में इस्पात बनाने का कारखाना	Iron ore pellet making plant .	67
8930	विजयनगर, इस्पात कारखाने में पूंजी-निवश	Investment in Vijayanagar Steel Plant	67–68
8931	आई० यू० सी० डी० आपरेशनों से कैंसर	Cancer due to Contraceptives in IUCD Operations . .	68
8932	कैंसर के कीड़ों का पता लगाने के लिये परीक्षण	Tests to detect cancerous Germs	68
8933	इस्पात का उत्पादन तथा उसकी मांग	Steel Production and Requirements	68–69
8934	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of HEC, Ranchi	69–70
8935	ट्रकों द्वारा सस्ती कीमत पर कोयले की ढुलाई	Cheaper coal transportation by Trucks	70
8936	कलकत्ता में कोल माइन्स आथारिटी आफ इंडिया का मुख्यालय	Coal Mines Authority Hqs. in Calcutta . . .	70–71
8937	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा ढांचे बनाने के कार्य को स्वयं न करना	Off loading of Structural Fabrication jobs by HEC, Ranchi	71
8938	देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज	Ayurvedic Medical Colleges in the Country . . .	71
8939	नसबंदी के परवर्ती प्रभावों के बारे में अनुसंधान	Research for after effects of Vascetomy	71–72
8940	पश्चिम बंगाल में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Heavy Machine Building Plant in West Bengal . . .	72
8941	जैसप एंड कम्पनी के उत्पादन में विविधीकरण	Diversification of Production in Jessop and Co. . . .	72
8942	विश्वकर्मा जयन्ती	Vishwakarma Jayanti . .	72–73
8943	इंडिया गेट, नई दिल्ली पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति पर व्यय	Expenditure on Amar Jawan Jyoti at India Gate, New Delhi	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
944	कोयला खानों में आकस्मिक श्रमिक	Casual Labourers in Coal Mines	73
8945	श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में चलाये गये मुकदमों का वापस लिया जाना	Withdrawal of prosecution Launched for violation of Labour Laws . . .	73
8946	श्रम अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Training Course for Labour Officers	73-74
8947	भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	Refresher Course by Indian Institute of Labour Studies	74
8948	भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान में नियुक्तियां	Postings in Indian Institute of Labour Studies . . .	74-75
8949	डियागो गार्सिया द्वीप के बारे में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता	Agreement between Britain and USA on Diego Garcia Island	75
8950	अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीयों का निष्कासन	Expulsion of Indians by African Countries	75-76
8951	अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय डाक्टर एवं नर्सें	Indian Doctors and Nurses in USA, UK and Canada .	76
8952	देश में विभिन्न अधिकरणों द्वारा चलाये जा रहे कुष्ठ रोगियों के अस्पताल	Leprosy Hospitals run by various Authorities in country	76-78
8953	डियागो गार्शिया द्वीप के बारे में मारीशस को दिये गये आश्वासन का ब्रिटेन द्वारा उल्लंघन	Violation by U.K. of Undertaking given to Mauritius regarding Diego Gercia Island	78
8954	भारत-पाक संघर्ष के दौरान शहीदों की प्रतिमाओं को पाकिस्तान द्वारा उठा ले जाया जाना	Statues of Martyrs taken away by Pakistandu rin Ind-Pak Conflict . . .	78
8955	दिल्ली क्लाथ मिल्स और उसके अंतर्गत अन्य कारखानों में हड़ताल	Strike in Delhi Cloth Mills and its Factories . .	79
8956	श्रमिक हड़तालों को रोकने के लिये कार्यवाही	Measures to Avert labour Strikes	80
8957	अपंग तथा मृत सैनिकों के आश्रितों को रोजगार	Employment to Disabled Soldiers and Dependents of killed Soldiers . . .	80
8958	कोयला खान प्राधिकरण और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती	Intake of S.C. and S.T. candidates in CMA and SAIL .	80-81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8959	राउरकेला इस्पात कारखाने से "फ्लैट" उत्पाद	Flat products from Rourkela Steel Plant	81
8960	पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में रोलिंग मिलें	Rolling Mills in backward areas of West Bengal . . .	81-82
8961	भारतीय श्रम अध्ययन सस्थान का पूना को स्थानान्तरण	Shifting of Indian Institute of Labour Studies to Poona .	82
8962	युरोप में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Indian Immigrants to Europe	82
8964	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के (तदर्थ) डाक्टरों को मासिक वेतन का भुगतान	Payment of monthly Salary to (Ad Hoc) C.G.H.S. Doctors in Delhi	83
8965	मिलावट के दोष के लिये आजीवन कारावास का दण्ड देने हेतु, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक	Bill passed by State Legislature suggesting Life Imprisonment for Adulteration Charges	83-84
8966	स्टील आथारिटी आफ इंडिया और कोल माइनिंग आथारिटी के होटलों में स्थित कार्यालय	Offices of SAIL and CMA in Hotels	84-85
8967	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता	Central Assistance provided to States and Union Territories for Family Planning Schemes	85
8968	गुजरात में बिजली की कमी की वजह से श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना	Workers rendered jobless due to power shortage in Gujarat	85
8969	भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच संबधों में सुधार	Improvement in relation amongst India, Bangaladesh and Pakistan	86
8970	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र	Durgapur Alloy Steel Plant	86
8971	संबधित राज्य सरकारों द्वारा इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Steel Plants by respective States	85-87
8972	कर्मचारियों और मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानों में वृद्धि करना	Raise in E.P.F. Contributions by Employees and Employers	87
8973	नये कोयला क्षेत्रों का खोला जाना	Opening of New Coal Areas	87
8974	विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनाये	Accidents in various Coal Mines	88
8975	इस्पात सक्रैप का व्यवसाय करने वाले नकली उद्यम	Bogus Enterprises dealing in Steel Scrap	88-89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8976	राउरकेला में कथित अंतर्संघीय प्रतिद्वंद्विता	Alleged Inter Union Rivalries in Rourkela	89
8977	इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोक प्रिय बनाने की योजना	Plan to Popularise Family Planning Programme this year	89
8978	डियागो गार्सिया में ब्रिटिश-अमरीकी अड्डे को चीन का समर्थन	Chinese Support to Anglo-American have in Diego Garcia	89
8979	दादरा और नगर हवेली में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र	Health and Family Planning Centres in Dadra and Nagar Haveli	90
8980	एल्युमिनियम कारखाना, पालामाउ	Aluminium Factory in Plamau District, Bihar . . .	90
8981	बोनस अधिनियम का संशोधन	Amendment of Bonus Act .	90
8982	छोटा नागपुर में बाक्साइट खान का क्षेत्र	Bauxite Mine area in Chotanagpur	90–91
8983	निवेली लिग्नाईट परियोजना के लिये स्वीकृत राशि	Amount sanctioned for Neyveli Lignite Project . . .	91
8984	मध्य प्रदेश में कार्बन इस्पात संयंत्र	Carbon Steel Plant in Madhya Pradesh	92
8985	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि० द्वारा थर्मल सेटों का उत्पादन	Production of Thermal sets by BHEL	92
8686	"निर्धन राष्ट्रों के लिये आर्थिक चार्टर (एन इकोनोमिक चार्टर फार पूवर नेशन्स) के संबध में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा दस्तावेज	Document regarding 'An Economic Chapter for poor Nations' by Non-Aligned Countries	92–93
8987	जन्म-दर में कमी	Fall in Birth Rate .	93–94
8988	परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये जनसंख्या-परियोजना	Population project to Intensity Family Planning . . .	94–95
8989	जापानी सहयोग से एच०एम०टी० की घड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए करार	Agreement for increase in Production of HMT Watches with Japanese Collaboration	95
8990	देश में खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के बारे में सरकार द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey Carried out by Government Re: Food Adulteration in the country . .	95
8991	इंजीनियरिंग प्राइवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस निर्माण संयंत्र के बारे में संभाव्यता रिपोर्ट	Feasibility report on Gasification Plant by Engineering projects (India) Ltd. . .	96
8992	इस्पात नीति	Steel Policy	96

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8993	आवंटन के बाद स्कूटर देने में देरी	Delay in delivery of scoters after allotment . . .	96–97
8994	राज्यस्थान से सेना मे भर्ती किये गये व्यक्ति	Persons recruited in army from Rajasthan	97
8995	चेचक उन्मूलन को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया जाना	Taking up small pox eradication programme on National level	97
8996	चेचक से हुई मौतें	Deaths due to small pox .	97–98
8997	कार के ग्राहकों को फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई	Supply of Spare parts and accessories to Car customers .	99
8998	दंडकारण्य परियोजना के मलकनगिरि जोन में सतीगुंडा बांध पर श्रमिकों को सुविधाएं	Amenities to workers at Satiguda dam in Malkangiri Zone of Dandakaranaya Project .	99
8999	पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन केन्द्र तथा उनके लिये निर्धारित की गई धनराशि	Family planning centres and amount earmarked for them in West Bengal . . .	99–100
9000	पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning programme in West Bengal . . .	100–101
9001	राज्य सरकारों द्वारा इस्पात का आयात	Steel Import by State Governments	101
9002	सिद्धार्थ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता	Sidharthā Steel Limited, Calcutta	101
9003	वाणीज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences to increase production of commercial vehicles	102
9004	पश्चिम बंगाल में वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन करने वाले उद्योग की स्थापना	Setting up of a commercial vehicles Producing industry in West Bengal . . .	102–103
9005	वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करना	Expansion in production of commercial Vehicles . .	103
9006	पांचवीं पचवर्षीय योजना अवधि में कारों और वाणिज्यक मोटर गाड़ियों का उत्पादन	Production of passenger cars and commercial vehicles during Fifth plan period . .	103
9007	चिल्ली के भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा मादाम अलेंडे से वार्ता	Talks with Madame Allende, widow of former President of Chile	104
9008	दिल्ली में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का मुख्यालय	S. A. I. L. Head Quarters in Delhi	104–105
9009	एच० एफ०-24 विमान में सुधार	Improvement of H. F. 24 . .	105

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9010	दुर्गापुर में संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था	Joint Consultative Machinery at Durgapur . . .	105
9011	बिहार के चम्पारन जिले में पाये गये कंकड़ों से बना चूना	Lime from gravels found in Champaran District, Bihar .	106
9012	बिहार-नेपाल सीमा पर सड़क का निर्माण	Construction of road on Bihar-Nepal border . . .	106
9013	नेपाल और तिब्बत के बीच स्वतंत्र रुप से आवागमन के बारे में चीन-नेपाल समझौते का समाचार	Reported Sino-Nepalese agreement regarding free movement between Nepal and Tibet .	106
9014	कनिष्ठ डाक्टरों के दमन के मामलों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Victimisation cases of Junior Doctors . .	106–107
9015	कोयले का उत्पादन	Coal production .	107
9016	ग्राम बख्तावरपुर, दिल्ली में ग्रामीण निष्क्रांत कृषि भूमि/घरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of rural evacuee Agrictlrual Land/Houses in Village Bakhatawarpur, Delhi . .	107
9017	कुदरेमुख के अयस्क के प्रति जापान की रुचि में कमी	Declining Japnese interest in Kudremukh Ore . . .	108
9018	पाकिस्तान द्वारा भारतीय शहीदों की मूर्तियां वापिस करना	Return of Statues of Indian Martyrs by Pakistan . .	108
9019	भूतपूर्व सैनिकों के लिये वित्त निगम	Financial Corporation for Ex-servicemen	108–109
9020	जीपों की सप्लाई के लिये दर ठेको का नवीकरण	Renewal of Rate Contract for supply of jeeps . . .	109
9021	हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर तिरा में सैनिक स्कूल खोलना	Opening of Sainik School at Sujanpur Tira in Himachal Pradesh . . .	109
9022	उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सीसा स्मेल्टर	Lead Smelter in Sundargarh District, Orissa . . .	109–110
9023	न्यायाधिकरण को विवाद सौंपने में विलंब	Delay in referring of Disputes to Tribunal . . .	110
9025	कोयला खान अंशधारी संघ की ओर से प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन	Representation to P.M. from Shareholders association of Coal Mines	110–111
9026	इस्पात संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग	Full capacity utilisation of Steel Plants . . .	111–112
9027	खुदाई की नयी मशीनों की खरीद	Purchase of New Drilling Machines	112
9028	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के भंडार में बेकार पड़ी खुदाई की आयातित मशीनें	Imported Drilling Machines with N.C.D.C. Store lying Idle	112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9029	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खुदाई की मशीनों का निपटान	Disposal of Drilling Machines owned by NCDC . .	112
9030	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से खुदाई मशीनों का खरीदा जाना	NCDC purchase of Drilling machines from Oriss Mining Corporation . . .	113
9031	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बिहार सरकार के साथ खुदाई मशीनों के सौदे को रद्द किया जाना	NCDC rejected the deal with Bihar Government for Drilling Machines	113
9032	गुजरात में पाये जाने वाले लिग्नाइट तथा बाक्साइट का उपयोग	Utilisation of Lignite and Bauxite found in Gujarat . .	113
	स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment —	
	रेल कर्मचारीयों के नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Leaders of Railway workers	114–115
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	115–116
	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1973-74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगो की संवैधानिक स्थिति के बारे में वक्तव्य —	Statement on Constitutional position regarding Supplementry Demands for Grants, Pondicherry, for 1973-74—	
	श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	117–119
	देश की समुद्री सीमा में आने वाले समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के बारे में वक्तव्य	Statement re. Ownership of land below the sea within the Territorial waters of the country—	
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	119–120
	नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377—	
	(क) केन्द्रीय सरकारी अधिकारी एसोसिएशन के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा 1 मई, 1974 को भूमि के नीचे दबाए गए कालपत्र का मामला	Time Capsule buried by all India Confederation of Central Government Officers Association on 1-5-1974 .	120–121
	(दो) उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपतीय चुनाव के बारे में विशेष निर्देश के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष को जारी किये गए नोटिस के बारे में	Re. Reported Notice issued to the Speaker, Lok Sabha by Supreme Court in the matter of Special Reference relating to Presidential Election .	121
	सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill— Motion to refer to joint Committee	121–124
	वित्त विधेयक, 1974—	Finance Bill, 1974—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	114
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	124-125
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani . .	126
श्री डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh . .	127-128
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh . .	129
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	130-131
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	131-132
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	132-133
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . .	133
प्रस्तावित रेल हड़ताल के बारे मे वक्तव्य	Statement re. Threatened Railway strike—	
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	134-136
स्थगन प्रस्ताव—जारी	Motion for Adjournment—	
रेल कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी—जारी	Arrest of Leaders of Railway workers-Contd .	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu. .	137-138
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	138-139
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	139-141
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubhaiah .	141-143
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	143
श्री भागवत झा आज़ाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	144-145
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	145
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	145-146
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	146-147
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . . .	147-148
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra.	148
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	148-149
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	149
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . . .	149-150
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty .	150
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagadish Chandra Dixit . . .	150
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	151
श्री आय० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral . .	151
श्री ललित नारायण मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	151-153
कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
43वां प्रतिवेदन	Forty third Report .	154-155

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 2 मई, 1974/12 वैशाख 1896 (शक)
Thursday, May 2, 1974/Vaisakha 12, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में
RE. SUSPENSION OF QUESTION HOUR

Shri S. M. Banerjee : Hon'ble Speaker, Gorge Fernandes has been arrested.

श्री ए० के० एम० इसहाक : प्रश्न काल समाप्त हो लेने दीजिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon'ble Speaker, I, under the Rule. 388 . . . (*Interruptions*)

श्री के० लकप्पा : महोदय, हम भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठायेंगे । उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए ।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : महोदय, प्रश्नकाल निलंबित कर दिया जाए और सदन को श्री जार्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी के मामले पर चर्चा करने दी जाए। हमने औपचारिक सूचना दी है कि प्रश्न काल समाप्त करके इस मामले पर चर्चा की जाए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : महोदय, आपको प्रश्न काल समाप्त करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सब से अनुरोध है कि बैठ जाइए।

Why all of you speak simultaneously.

प्रोफेसर मधु दण्डवते: आप कृपया उनके नाम बोलिए जिन्होनें सूचना दी है। हमने सूचना दी है कि प्रश्न काल निलंबित कर दिया जाए। उस सूचना का क्या हुआ ?

2—18 LSS (ND/74

Shri Atal Bihari Vajpayee: Hon'ble Speaker, we have given notices. You have a right to consider and reject them but you should hear us first. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें, यदि आप सब खडे होकर एकठ्ठे बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो मैं किसी भी माननीय सदस्य को सुन नहीं सकता। आप प्रतिदिन ऐसा करते है ।

यदि आप सब खडे होकर बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए इतने लोगों को एक ही समय पर सुन पाना कठिन होगा । मैं कार्यवाही को समझ नहीं सकता है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। आप प्रश्न काल के दौरान इसकी अनुमति किस प्रकार देंगे? वे नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। व प्रक्रिया नियमों का पालन क्यों नहीं करते? (**व्यवधान**)

Mr. Speaker: The problem is not solved by passing unwelcome remarks or shouting at each other. They have given notice of a motion and it is before me. It is surprising that neither this side nor that side know about that which is coming up.

Shri Atal Bihari Vajpayee: If you give an opportunity they will listen and come to know about it.

श्री ए० के० एम० इसहाक : वे प्रश्न काल के दौरान इसे नहीं उठा सकते ।

श्री के० लकप्पा : जब तक प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं होता हम इसकी अनुमति नही देंगे। आप इसकी अनुमति किस प्रकार दे सकते है? वे सदन के कार्य संचालन संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप कृपया सदन का कार्य प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलाइए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन के हित में नही है । यदि सदन के समक्ष कुछ आता है और पेश किया जाता है तो आपको उसका विरोध करने का अधिकार है। शोर मचाने से हमारा कुछ नहीं बनेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Hon'ble Speaker, under Rule 32 first hour will be for questions and answers. This is Rule 32.

Mr. Speaker: Now, you have started this.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have given notice of a motion under Rule 388 that question hour should be suspended to-day and house should discuss the serious situation arising out of the arrest of Shri George Fernandes at 3 A. M. (*Interruptions*) . . . Hon'ble Speaker, 'Shri Barua, Shri Sarkar' and other members of the action committee have been arrested along with Shri George Fernandes. They were scheduled to meet Railway Minister at 10 A.M. to-day. Arresting their leaders before meeting is provocating to the Railway employees to go on strike. On one side Government is trying to avert this strike. Government by its publicity media is telling the people that the strike will disturb the economy and serious consequences will follow. On the other hand leaders of Railway employees have been arrested under M.I.S.A. Besides misusing the M.I.S.A., efforts have also been made to break the negotiations to be held with the Railway Minister. I consider it as a serious matter. You should provide us with an opportunity to discuss the matter for immediatetly debate. That is why I have asked your permission.

Hon'ble Speaker, I know this to be an extra ordinary method. But extraordinary method had to be used in an extraordinary situation. Kindly permit us to debate this matter immediately by suspending the question hour . . . (*Interruptions*).

I move :

"That this house do suspend rule 32 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, in so far as it provides for the first hour of the sitting being made available for the asking and answering of questions, in its application to the motions for discussion on the situation arising out of arrest of Shri George Fernandes and other leaders of Railway employee".

अध्यक्ष महोदय : आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। यह प्रस्ताव नियम 388 के अन्तर्गत है और ऐसा ही एक प्रस्ताव प्रोफेसर मधु दण्डवते ने दिया है। पहले प्रस्ताव को पेश किया जाता है । मेरे विचार में दोनों प्रस्ताव एक समाज हैं। इसका अभिप्राय है कि नियम 32 स्थगित करके प्रश्न काल निलंबित कर दिया जाए और निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा की जाए।

प्रस्ताव इस प्रकार है :

"रेल कर्मचारियों के संघर्ष संबंधी राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक श्री जार्ज फर्नांडिज और समिति के अन्य सदस्यों की, जो रेल मंत्री से आज आगे बात-चीत करने के लिए मिलने वाले थे, गिरफ्तारी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति।"

Shri S. M. Banerjee : Meeting was to be held at 10 A.M. to-day. Where is the Home Minister responsible for arresting them?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यहां नहीं आना था। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : हमें नियम को स्थगित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। हम नियम का पालन करने के पक्ष में हैं। **(व्यवधान)**

प्रोफेसर मधु दण्डवते : महोदय, शासक दल के सदस्य इसको ऐसा रूप दे रहे हैं जैसे यह मामला एक ही व्यक्ति श्री जार्ज फर्नान्डिज से संबंधित है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है । श्री जार्ज फर्नान्डिज रेल कर्मचारियों के संघर्ष संबंधी राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष श्री वाजपेयी और श्री दण्डवते का प्रस्ताव रखुंगा ।

Shri Ramavatar Shastri : What was the necessity of arresting Shri George Fernandes during night?

श्री ई० सेझियान : महोदय, श्री वाजपेयी ने एक प्रस्ताव पेश किया जो सदन के समक्ष है । अतः आप इस प्रस्ताव पर सदस्यों का मत लीजिए: जो कि सदन के समक्ष है। श्री जार्ज फर्नान्डिज की गिरफ्तारी एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखे जाने के पश्चात ही इस पर वाद-विवाद का प्रश्न उठेगा ।

श्री वसंत साठे : यह प्रस्ताव व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यह किस नियम के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है? आप किस नियम के अधीन इसकी अनुमति दे रहे है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आदरणीय सदस्य ऐसा करते रहे तो सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं होगा । सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए। अब मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने प्रस्ताव देश किया है और आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसपर आपत्ति उठाई है। सदन द्वारा इस पर निर्णय लेने से पूर्व सदस्यों के विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।

Mr. Speaker: If you want a discussion, let it be started.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Hon'ble Speaker, kindly understand our intention. We want that Shri George Fernandes should be released forthwith. Other arrested leaders should also be freed so that they may participate in the meeting which is going to take place with Railway Minister so that a way out may be found for averting the strike. That is the purpose of bringing this motion. We do not want to disturb the business of the House nor do we intend to avoid the question hour but there should be somebody to say that those leaders are being released.

श्री ज्योतिर्मय बसु : बात यह है कि हम इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं कि रेल हडताल न हो। (**व्यवधान**) रेल मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे खुले मन से विचार के लिए तैयार हैं और हम भी अपनी ओर से जोरदार प्रयास कर रहे हैं कि रेल हडताल न हो। परन्तु इसी बीच उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक गुप्त परिपत्र के आधार पर सभी नेताओं और रेल कर्मचारीयों को गिरफ्तारी हेतु एक जाल बिछा, दिया है। आज प्रातः 3 बजे सरकार ने उनके मुख्य नेता श्री जार्ज फर्नान्डिज और श्री सरकार, श्री बरुआ, श्री चौधरी जैसे अन्य कई व्यक्तियों को चुप चाप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुबह-सुबह कुछ लोगों की तलाश में हमारे दल के कार्यालय भी आई।

हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार झगडे को रोकना अथवा हडताल को निपटाना चाहती है अथवा सरकार चाहती है कि ... (**व्यवधान**) मैं मांग करता हूं कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को तत्काल रिहा करके वार्ता पुनः शुरू की जाए ताकि रेल हडताल न होने पाए जो कि कर्मचारियों एवं लाखों लोगों के लिए बहुत बडी बात होगी।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मेरा यही निवेदन है कि पहले जब भी कभी हमारे देश में ऐसी गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है हमने देखा है कि आपने स्थिति की गम्भीरता पर चर्चा करने की अनुमति दी है।

मैं निवेदन करता हूं कि सदस्यों को प्रश्न काल के पश्चात इस मामले को इस प्रकार उठाना चाहिए कि समूच सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो सके वे जो तरीका अपना रहे हैं वह ठीक नहीं हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि रेल कर्मचारी मुसीबत में हैं और वार्ता चल रही है और समूचे सदन की इच्छा है कि एक सन्तोष प्रद समझौता अथवा परिणाम सामने आना चाहिए। परन्तु मैं नेता को जानता हूं और मैं स्पष्टतः यह कहना चाहूंगा कि श्री फर्नान्डिज देश को उस रास्ते पर नहीं ले जा रहें जहां वह सुरक्षित रह सकता है। वह जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहें है जो कि लोगों और राष्ट्र दोनों के हित में नहीं है। अतः मैं सरकारी रुख को समझता हूं और उसकी सराहना करता हूं। काय को स्थगित करके श्री फर्नान्डिज के संबंध में बरबाद करने के लिए संसद के पास कोई समय नहीं है। रेल मंत्री के साथ बात चीत करने को उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। यह मामला यहां नहीं उठाया जा सकता (**व्यवधान**) मैं ऐसा विश्वास के साथ कहता हूं कि वे आतंक फैला रहे हैं और राष्ट्र को आघात पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। वे राष्ट्र के मित्र नहीं हैं। (**व्यवधान**)

Mr. Speaker: All questions could have been covered but half an hour has been lost. What a strange matter has been brought in between.

Shri Satpal Kapoor: This is question hour and how this has been brought. You allow them . . .(*Interruption*).

Mr. Speaker: They bring such new thing daily.

Shri S. M. Banerjee: What will be lost if there are no questions one day.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रजातंत्र का शोकप्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये । श्री श्यामनन्दन मिश्र ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा निवेदन है कि सदस्यों को सर्वप्रथम प्रक्रिया के इस मुद्दे की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए । हम सदन के दूसरी ओर के क्षोभ को समझते है . . .

श्री ए० के० एम० इसहाक : हमारे अन्दर किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है । कृपया गुमराह न होइए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप बात के दौरान क्यों बोलते है ? (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : आप हमारा प्रश्न काल समाप्त कर रहे है । हम इसीलिए **व्यवधान** डाल रहे है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सदस्यों के हाथ में प्रश्न-काल एक बहुत ही प्रबल साधन है । हमें छोटी छोटी बातों में प्रश्न-काल को समाप्त करने के उपाय नहीं करने चाहिये । अत: हम इस बात से सहमत है कि सामान्यत: इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। किन्तु यहां एक बहुत ही असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है (**व्यवधान**) इस समय जहां तक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है मैं केवल यह तर्क देता हूं कि अध्यक्ष महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। इस मामले में हमको कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी ? दोनों ओर से केवल शोर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसको समुचित प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन छान बीन करनी होगी। किन्तु हम इसको समुचित प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार नहीं कर रहे है ।

इस समय सदन जो प्रक्रिया अपना सकता है वह कुछ इस प्रकार है। आपने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है। प्रस्ताव पेश कर दिया गया है । अब केवल प्रश्न यह है कि क्या प्रस्ताव पर सीधे मतदान किया जाए अथवा सदन के इस पक्ष के सदस्यों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वे पूर्ण सदन को यह समझा सकें कि इस प्रकार के असामान्य उपाय अपनाने के क्या कारण थे। क्या इस पर सीधे मतदान किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आम राय है कि हड़ताल विपत्तिजनक होगी तथा इसको रोकने के लिए हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिए। यह एक आम राय है। परन्तु यह उपाय ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। यदि यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो सदन के इस ओर के पक्ष का यह कहना है कि यह एक अत्यन्त भड़काने वाला कदम है। सरकार बल परीक्षा को प्रेरित करने का प्रयत्न कर रही है जबकि हम सब यह चाहते है कि हड़ताल को रोका जाना चाहिए ।

अत: यह एक उपयुक्त विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए तथा सदन के इस पक्ष को अनुमति दी जानी चाहिए कि वह पूर्ण सदन को इस प्रकार के प्रस्ताव को औचित्य के बारे में अवगत कराये ।

Mr. Speaker: May I give you one advice? We have already wasted half an hour of question hour which is of one hour's duration and if such thing is allowed to continue the whole hour will defunct.

Shri S. M. Banerjee: What would be the loss if there is no Question Hour one day.

Mr. Speaker: If you want that there should be Question Hour then at least some part of it should be devoted on questions, while we have already wasted half hour of it. There is no use of such motion because neither the question hour is held nor your purpose is served. Half an hour has been wasted for nothing.

Shri S. M. Banerjee: Mr. Speaker, I request my friends . . .

श्री के० लकप्पा : आपने प्रश्न-काल को वाद विवाद काल में परिवर्तित करने की अनुमति क्यों प्रदान की है? क्या आप प्रतिदिन प्रश्नकाल को समाप्त करना चाहते है तथा उसको वाद विवाद काल में परिवर्तित करना चाहते है कृपया इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें। वे लोग प्रतिदिन इस काल को वाद विवाद काल में परिवर्तित कर देंगे।

Shri S. M. Banerjee: I submit that there is no doubt that question hour is very important. We do wish that there should be question hour. You will notice that we had almost reached near decision on all matters. We have worked hard upto one and a half and two O'clock in the night, so that some sort of agreement may be reached and strike averted. I want to make it clear that we are not habitual strike goers . . . (*Interruptions*)

We realised that an agreement was going to be reached. Negotiations were going on at 10 O'clock. Shri George Fernandes and our other friends S/Shri P. N. Barua, N. Sarkar and Chowdhary were arrested to-day while we were negotiating. They were arrested when talks for reconciliation were going on. I came to know that the warrants for the arrest of Shri George Fernandes were issued by the Delhi Administration and passed on to the Govt. of U. P. who arrested Shri George Fernades at 3.00 O'clock in the morning. S/Sh. Barua and Sarkar were arrested here. When we enquired from the Minister of Railways he showed his ignorance. We did not find Shri Dikshit, Minister of Home Affairs, anywhere. There is no doubt that the Question Hour is important but when the economy of the country is at stake it is more important. I assure you, if no agreement is reached at then there will be cent per cent strike. All the efforts by Shri Dikshit will remain fruitless and all of the Railway employees will go on strike.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं श्री मिश्र से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस सदन की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अतः इस समय यह प्रश्न है कि क्या नियम 388 के अन्तर्गत आप नियम 32 के अधीन आने वाले प्रश्न-काल का निलम्बन करने की शक्ति रखते हैं। नियम 388 के अनुसार कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए। यदि सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव हो, तो प्रस्ताव पर कुछ नियमों के अधीन विचार-विमर्श किया जाता है और यदि सदन चाहे तो उस खास प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बारे में किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर सकता है। इस प्रकार की बातों पर नियम 388 लागू होता है। इस समय जब कि सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है, यह नियम लागू नहीं होता है।

कुछ माननीय सदस्य : इस समय सदन के समक्ष एक प्रस्ताव पेश है।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : उदाहरण स्वरूप प्रस्ताव पेश करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में कुछ नियम है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी थी। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : नियम 388, नियम 32 के निलम्बन की अनुमति नही देता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य को सूचित करूं कि प्रस्ताव पहले ही पेश हो चुका है तथा मैं ने श्री वाजपेयी को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी है। मेरी राय में यदि आप इस प्रकार कार्यवाही करेंगे और पूरा प्रश्न काल इस में लगा देंगे तो इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अब मैं प्रस्ताव पर मत देने के लिए कहूंगा।

दीर्घाओं में कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या दीर्घाओं से सदस्य आ गये है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, क्या मैं एक संशोधन पेश कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, इस समय नहीं।

Shri Madhu Limaye : I raise a point of order regarding voting procedure.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता की विभाजन के समय आप ऐसा कर सकते है। मतदान पर विभाजन शुरु हो चुका है।

Shri Madhu Limaye : I was already standing and you did not take notice of me. I wished to raise a point of order before voting. You neither heard me nor took notice of me. It was not my fault.

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब जबकि मत गणना पर विभाजन हो रहा है यह नई प्रथा लागू न करें। मैं आपकी आवाज नही सुन पा रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। श्री मधु लिमये, क्या यह केवल मतदान के बारे में है?

Shri Madhu Limaye : My point of order is regarding voting. I was already standing. I wanted to stress that before Shri Vajpayee's motion is put to vote we should be given one minute each to speak.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। जब श्री वाजपयी जी ने प्रस्ताव पेश किया था, मैंने श्री मिश्रा, श्री सेझियान, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री दण्डवते और श्री बनर्जी की बात सुनी थी। मैंने उनके अतिरिक्त इस पक्ष के दो सदस्यों को भी समय दिया था। मैंने प्रत्येक सदस्य को अवसर दिया है।

Shri Madhu Limaye : There is no question of Party. We were not heard. I wish to pass on some information to the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का नियम 32 जहां तक कि इसमें सभा के प्रथम घण्टे को प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने का उपबन्ध है, निलम्बित करती है, ताकि श्री जार्ज फर्नान्डिस और रेल कर्मचारियों के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के प्रस्तावों को लिया जा सके।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 40, विपक्ष में 125

The Lok Sabha divided: **Ayes** 40; Noes 125

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: Question No. 915—Shri Prabodh Chandra.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I have to raise a point of order.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न-काल के दौरान व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं कर सकते है ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I want to pass on you some important information. It will be worth while to listen my point. It is in the interest of country. Please allow me two minutes for my point.

अध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Shri Madhu Limaye: You have convened a meeting of the Business Advisory Committee today. I propose that House should be adjourned at once. I am moving a motion. I move a separate motion on adjournment.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में पहले ही निर्णय कर लिया गया है ।

Shri Madhu Limaye: My motion is that the proceedings of the House should be adjourned now and a meeting of the Business Advisory Committee may be convened at once. My motion is not regarding suspension of Business.

अध्यक्ष महोदय : उस बैठक का समय पहले ही निश्चित कर लिया गया है । व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठता है ।

औषध निर्माताओं द्वारा रिकार्ड रखा जाना

*915. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषध निर्माताओं से कहा गया है कि वे भविष्य में कच्चे माल की खपत, विद्युत और ईंधन तथा श्रमिकों को दी गई मजूरी का लागत खाता (कास्ट रिकार्ड) रखें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश का क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी है ।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करना है कि कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं में सामग्री और श्रम का उपयोग करने के बारे में सही रिकार्ड उपलब्ध हो ताकि उनकी लेखा परीक्षा अच्छी तरह से की जा सके ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन अनुदेशों को जारी करने से क्या सरकार उन लोगों के बारे में कार्य वाही करने में समर्थ हुई है जो कि उनको जारी की गई सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे है ?

डा० कर्ण सिंह : अनुदेश इस वर्ष केवल पहली अप्रैल से लागू हुए थे । हम केवल एक वर्ष अथवा 15 महीने की अवधि बीत जाने के बाद ही इस बात का मूल्यांकन कर सकेंगे ।

श्री प्रबोध चन्द्र : इससे यह अभिप्राय नहीं कि सरकार को एक वर्ष अथवा 15 महीनों के लिए कोई कार्यवाही ही नहीं करनी चाहिए, ऐसी बहुत सी फर्में है जो कि औषधियों के निर्माण

के लिये उनको जारी किये गये कच्चे माल के कोटे का दुरुपयोग करते है। क्या सरकार ने उन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होनें कोटे का दुरुपयोग किया है ? क्या यह सत्य नहीं कि सरकार को इस प्रकार के कदाचारों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डा० कर्ण सिंह : यह प्रश्न औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों के लागत रिकार्ड से सम्बन्धित हैं। मैंने जैसा कि अपने उत्तर में बताया है, उनपर अनुदेश इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू किये गये हैं। विशिष्ट कम्पनियों के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न सीधे पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को सम्बोधित किये जाने चाहिये क्योंकि वह मंत्रालय उनसे सम्बन्धित है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा प्रश्न कच्चे माल का दुरुपयोग किये जाने के बारे में था। मैंने स्वयं एक शिकायत भेजी है कि बड़ी संख्या में फर्में कच्चे माल का दुरुपयोग कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

डा० कर्ण सिंह : यह प्रश्न लागत रिकार्डों कम्पनियों द्वारा निर्मित की जाने वाली विभिन्न औषधियों के लागत लेखे के बारे में है। यदि उनका कोई प्रश्न औषध निर्माण करनेवाली कम्पनियों द्वारा कच्चे माल का दुरुपयोग करने के बारे में है तो उनको सम्बन्धित मंत्रालय को इस बार में नोटिस जारी करना चाहिए।

श्री० एस० एम० बनर्जी : हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर हानिकारक औषधियों का निर्माण किये जाने का पता लगने से क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात आई है कि कम्पनियां उचित रिकार्ड नहीं रख रही है, सत्य तो यह है कि वे खातों के दो सेट रखते हैं?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

डा० कर्ण सिंह : लागत-लेख का यह प्रावधान कम्पनी अधिनियम की धारा 209 की उपधारा 1(घ) के अन्तर्गत किया गया है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए को गई है कि दवाओं का थोक निर्माण करने वाली कम्पनियां अपने लेखे रखे और विशेषत: सामग्री, जनशक्ति आदि के उपयोग के सम्बन्ध में दक्षता लेखे रखें, इस जानकारी से हमें सहायता मिलेगी किन्तु जाली दवाओं का प्रश्न अलग है। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं, उनका विनियम अधिनियमन की संगत धारा के अन्तर्गत होना चाहिए, यदि उन्होंने लेखे नही रखे तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते है। यहां मैं सदन के सामने यह स्पष्ट कर दूं कि यह कार्यवाही सामान्य लेखा परीक्षा लागत लेखा परीक्षा के अतिरिक्त की जाती है और विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर इस प्रकार की लेखा परीक्षा करवाने के लिए सरकार को अधिकार प्राप्त है, हाल ही में पहली अप्रैल से यह बात थोक दवाओं पर भी लागू की गई है।

श्री वसंत साठे : इस आदेश को ध्यान में रखते हुए और रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में कानून के वर्तमान उपबन्धों को भी ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होनें पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सहयोग से या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उन निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होनें रिकार्ड नहीं रखे या जिन्होंनें कानून की अपेक्षाओं के अनुसार लागत लेखा परीक्षा नहीं करवाई है, और यदि हां, तो किन किन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा मैंने निवेदन किया है ये नियम थोक दवा बनाने वाले उद्योगों पर इसी साल पहली अप्रैल से लागू किए गए हैं, हम एक साल बाद ही इस बात की जांच कर सकेंगे कि उन्होंने रिकार्ड रखे है या नहीं । इसलिए इस समय कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वसन्त साठे : कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रिकार्ड रखने का उपबन्ध है। उस अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है?

डा० कर्ण सिंह : यह एक अलग प्रश्न है इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

पाकिस्तान में ननकाना साहेब को वैटेकेन का दर्जा देने और पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव

*916. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सिख्ख ब्रदरहुड इंटरनैशनल' ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान से अनुरोध करे कि पाकिस्तान में सिक्खों के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की देखभाल और प्रबन्ध करने के लिए एक गुरूद्वारा बोर्ड गठित किया जाये और उनकी यात्रा के लिए सिक्खों को यात्रा सम्बन्धी आसान सुविधाएं दी जाएं;

(ख) क्या पाकिस्तान ननकाना साहेब को वैटिकन के समान दर्जा देने पर विचार करने के लिए तैयार है जिससे सभी भक्तजन अपनी श्रद्धांजली अर्पित कर सकें, और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार के साथ किस प्रकार सम्पर्क स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। सरकार स्वयं भारत और पाकिस्तान के बीच आवागमन पुनः शुरू करने के लिए प्रयत्न कर रही है ताकि दोनों देशों के तीर्थयात्री एक दूसरे के यहां आ-जा सके। पाकिस्तान इस विषय पर प्राथमिकता के आधार पर बात चीत करने को सहमत हो गया है जैसा कि 9 अप्रैल को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है ।

(ख) और (ग) सरकार यह उचित नहीं समझती कि ननकाना साहेब को वैटिकन का दर्जा देने के प्रश्न को वह पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाये।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान में गुरुद्वारा बोर्ड का गठन करे जो पाकिस्तान में सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की देखरेख करे और उनका प्रबन्ध करे? आज सिखों के जो गुरुद्वारें पाकिस्तान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनकी मरम्मत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पाकिस्तान में गुरुद्वारों और सिखों के अन्य धार्मिक स्थानों के रखरखाव और संरक्षण के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ समय समय पर विचार किया गया है । जैसा सदन को विदित ही है कि हमने सभा को कई बार सूचित किया है कि पाकिस्तान में गुरुद्वारों और धार्मिक स्थानों की कथा संतोषजनक नहीं है । हाल ही में इस बात पर चर्चा की गई है कि बंगला देश की तरह पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा बोर्ड का गठन किया जाय ताकि सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की देखरेख

कर सकें, हमारे विचार से यह मांग बहुत उचित और न्यायसंगत है, किन्तु हम पाकिस्तान का इतिहास जानते है और विगत में उस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखत हुए हमें इस बात में बहुत संदेह है कि वह हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सरकार ननकाना साहब को वैटिकन का दर्जा दिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ बात करना उचित क्यों नहीं समझती ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सरकार ने इस बात पर काफी विचार किया है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कारणों से ननकाना साहब को वैटिकन का दर्जा देने के बारें में पाकिस्तान से बात करना उचित नहीं है और पाकिस्तान से इस तरह की चर्चा करना बिल्कुल अव्यावहारिक होगा। स्वतंत्र नगर होने के कारण वैटिकन का ऐतिहासिक महत्व है। ननकाना साहब को वैटिक का दर्जा दिलाने के समर्थन में इस समानता का तर्क देना सर्वथा अव्यावहारिक है। मेरा विचार है की सभा इसके आशय को अच्छी तरह समझती है।

Shrimati Sahodara Bai Rai : When will the Indian prisoners, who were imprisoned before 1971 and kept in Pakistan Jails be released?

Mr. Speaker : How have you brought this topic here?

Shrimati Sahodara Bai Rai : It arises from the same question. When would our prisoners be released?

Mr. Speaker : This is entirely a different question.

Shrimati Sahodara Bai Rai : This question arises from the main question. When will our prisoners who were detained in Pakistan Jails before 1971 would be released?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Darbara Singh : I want to know from the Hon. Minister through you if the attempt will be made to solve this problem satisfactorily at his level in case of normalisation of our relations with Pakistan?

Shri Surendra Pal Singh : We are making all out efforts in this direction and we fully hope that when we resume discussion for normalisation then all these questions would be considered.

Shri Darbara Singh : Will this item also be included?

Shri Surendra Pal Singh : Certainly.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार किसी समय एक ऐसा वक्तव्य देगी जिसमें यह बताया गया हो कि पाकिस्तान सरकार ने इन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और प्रबन्ध के लिए और भारतीय सिखों को इन स्थानों की यात्रा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि हमें पाकिस्तान स्थित इन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध के बारे में पूरी स्थिति की जानकारी मिल सके।

श्री सुरन्द्र पाल सिंह : इस सुझाव पर कार्यवाही की जायेगी। हमने इसे नोट कर लिया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि हालात बहुत अच्छे है और यह कि यात्री पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, अब वह स्थिति पलट रहे है और कह रहे है : हम पृष्ठभूमि जानते है, यात्रा करना निरापद नहीं है आदि आदि. . .

अध्यक्ष महोदय : वह स्थिति नहीं पलट रहे है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : एक बार उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है। परन्तु अब वह कह रहे हैं कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : जो बात उन्होंनें नहीं कही है उसे उन पर आरोपित नहीं करें।

Shri M. Ram Gopal Reddy : So far as the management of Gurudwaras is concerned the Hon'ble Minister has said just now that in view of the background of Pakistan he cannot give full protection to the gurudwaras but, at one time he said that the conditions were good. How then the condition has deteriorated? I want to know whether Pakistan extends such facilities to our pilgrims as we provide to the Pakistani pilgrims visting Ajmer Sharif etc?

Mr. Speaker : You live in Andhra, so you are not aware of the condition. We live with them so we know the position.

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker Sir, I do not know in which connection I said what the Hon'ble Member is reffering to. I have said that so far as the question of maintenance and repairs of Gurudwara is concerned, that is not satisfactory. I have never said that it is good. It has been our complaint throughout that Pakistan is not maintaining satisfactorily our Gurudwaras and I have said this only just now.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that the Pakistan does not allow any pilgrim other than a Sikh? (*Interruptions*) . . . Guru Nanak Das was not only a Sikh Guru. He is held in highest esteems by the entire nation. Have our Govt. taken up this matter with Pakistan that all the Indian should be allowed to visit these places of worship?

Shri Surendra Pal Singh : As the House is aware now-a-days no pilgrims go from India to Pakistan and *vice versa*. So far as the pre 1971 position is concerned this is true to some extent. Pakistan did not pose difficulties so far as Sikh pilgrims were concerned. But whenever permission was sought for non-Sikh pilgrims there are always difficulties. Some people did go, I do not say that no non-Sikh went there but there were difficulties in getting permission for them.

Meeting of Central Council of Health and Family Planning Council for Amendment of Prevention of Food Adulteration Act

†

***919. Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Madhu Dandavate :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a Joint meeting of the Central Council of Health and the Central Family Planning Council was held in Delhi in the first week of April;

(b) if so, whether a decision was taken in this meeting to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954;

(c) if so, the outlines thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सरकार का विचार है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जाए।

विवरण

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन हेतु मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. यदि मिलावट मानव स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर पाई जाए तो आजीवन कारावास के अधिकतम दण्ड देने की व्यवस्था करने का विचार किया जाये।

2. घटिया खाद्य पदार्थों के मामले में जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ये पुनः तैयार कर मानव के सेवन के लिए विहित मानकों के अनुरूप बनाये जाने के योग्य है तो इन्हें इन के मालिक को उससे जामिन के साथ अथवा उनके बिना एक बांड भरवा कर लौटा दिया जाए जिससे उन्हें यथानिर्दिष्ट अधिकारियों की निगरानी में पुनः तैयार करा कर बेचा जा सके।

3. यदि अपराधी अपने नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय प्रयोगशाला में करवाना चाहता हो तो न्यायालय को आवेदन करने के लिए समय की सीमा निर्धारित की जाए।

4. नमूनों को चार भागों में बांटा जाए ताकि एक भाग निर्माता को दिया जा सके।

5. यथा निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए, एक या अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला खोलने की व्यवस्था हो।

6. केन्द्रीय खाद्य मानक समिति में उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो प्रतिनिधियों तथा कृषि औद्योगिक और वाणिज्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

7. खाद्य निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये खाद्य पदार्थों को जो न्यायालयों को मिलावटी या नकली छाप वाले लगे राज्य सरकार को जब्त करने या मालिक के खर्च पर नष्ट करने के आदेश दिये जाएं जिससे मानवीय खाद्य के रूप में उन के प्रयोग को रोका जा सके।

8. खाद्य निरीक्षकों को लेखा पुस्तिकाओं अथवा जांच के लिए अन्य आवश्यक सामग्री को हिरासत में लेने के लिए शक्तियां दी जायें।

9. इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के मामले में राज्य सरकारों का अधिकाधिक हाथ हो।

10. नमूना लेने वाले अधिकारी का फुटकर विक्रेताओं की निरपराधता पर समाधान हो जाने की दशा में निर्माता डीलर अथवा वितरक के विरुद्ध जैसा भी मामला हो, सीधे ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

11. शीघ्र खराब हो जाने वाली खाद्य वस्तुओं को जो खराब हो गई हों और जन-हित में जिनकी बिक्री करना उचित न समझा जाय स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारियों को उनका निपटान करने की शक्तियाँ दी जायें।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, I want to know the reaction of the Government on the 11 suggestions presented in the joint meeting of the Central Council of Health and the Central Family Planning Council for amendment of the Prevention

of Food Adulteration Act referred to by the Hon'ble Minister in his statement. Have the Govt. laid down any policy after due consideration of these suggestions and if so, the details of the policy ?

Dr. Karan Singh : Yes Sir, it was necessary to consult the State Governments before introducing this Act in the Parliament. So we discussed this Act in the Central Council of Health and we are drafting the bill after incorporating the views expressed in the said meeting. Our policy would be clear at that time. We want that some strict punishment should be given for such offence so that strict action may be taken against such person who indulge in such anti-national activities.

Shri Ramavatar Shastri : Public cooperation is necessary for the prevention of adulteration. You cannot succeed in this task without public co-operation. So what action do you propose to get public co-operation ? How would you associate the public in this task ?

Dr. Karan Singh : In this connection we are deliberating with non-government associations like Central Citizens' Council, Consumers' Council etc. It is our firm belief that this Act, after its enactment, cannot succeed without public involvement. We will present the details while introducing the Bill, whether some council should be established or how the State Governments should secure the public involvement.

प्रोफसर मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जो विवरण रखा है उसकी धारा 10 में कहा गया है :

> "नमूना लेने वाले अधिकारी का फुटकर विक्रेताओं की निरपराधता पर समाधान हो जाने की दशा में निर्माता, डीलर अथवा वितरक के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, सीधे ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।"

इस धारा की पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने समाचारपत्रों में प्रकाशित एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार पढ़ा है कि न्यायालय ने मिलावटी दाल के नमूने पकड़ने के पश्चात महाराष्ट्र खाद्य विभाग के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए हैं।

क्या ऐसे मामले में जब सरकार स्वयं ही इस दोष में अपराधी है क्या स्वयं सरकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने जिस विशेष मामले का उल्लेख किया है उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

प्रोफेसर मधु दंडवते : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये जाएं तो क्या सरकार सरकारी विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, । मेरा विचार है कि कानून की पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या कोई और ।

श्री पीलू मोदी : प्रश्न ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : चूंकि प्रश्न काल दो से शुरू हुआ था अतः हमें प्रश्न काल के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे दुख है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

अ० सू० प्र० संख्या 15. श्री बी० बी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की निप्पोन स्टील कारपोरेशन ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात उत्पादन के विस्तार के लिये लागत अनुमान तैयार किये है;

(ख) क्या ये अनुमान अधिक उंचे हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां। जापान के निप्पन स्टील कारपोरेशन ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखान के सम्भाव्य विस्तार के बारे में एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया है।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति द्वारा इस प्रतिवेदन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रतिवेदन तथा उस पर कर्णधार समिति की सिफारशें मिलने के पश्चात ही सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया जा सकता है।

श्री बी० बी० नायक : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत कर दिया गया था? इस्पात मंत्रालय को व्यवहार्यता प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? इस प्रतिवेदन की संवीक्षा कब तक पूरी होने की संभावना है?

श्री के० डी० मालवीय : व्यवहार्यता प्रतिवेदन पर सबसे पहले कार्यकारी समिति को विचार करना है। कार्यकारी समिति द्वारा विचार किये जाने के बाद इस की फिर जांच की जायेगी और तब सरकार इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय करेगी। यदि और अध्ययन किए गए तो इसका आर्थिक मूल्यांकन भी करना होगा।

श्री बी० बी० नायक : मैंने यह पूछा था कि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : निप्पन स्टील कारपोरेशन लिमिटेड ने टाटा इस्पात संयंत्र दुर्गापूर के सम्भावित विस्तार के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और 22 अप्रैल 1974 को हुए कार्यकारी समिति की अंतिम बैठक में इस प्रतिवेदन पर मोटे तौर से विचार किया गया था।

श्री बी० बी० नायक : क्या मंत्री महोदय ने रुसी प्रवक्ता श्री गोर्डोपोलो के वक्तव्य को देखा है जो उन्होंनें बोकारो और भिलाई के इस्पात उत्पादन के बारे में दिया है?

बोकारो और भिलाई के विस्तार कार्यक्रम के निष्पादन में हुए अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय टाटा की परियोजना रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए— इस्पात उत्पादन के प्रश्न पर क्षेत्र वार विचार न करके–– गैर सरकारी, सरकारी निगमित क्षेत्र— देश में इस्पात की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस्पात उत्पादन कार्यक्रम की जांच की जा रही है। हमारा विचार है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अपनी खपत और आयात दोनों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

मैं ने रुसी आर्थिक सलाहकार के किसी वक्तव्य की रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि यह रिपोर्ट कहां तक सही है या जो कुछ रुसी आर्थिक सलाहकार ने कहा है क्या वह इस रिपोर्ट में सही तौर पर कही गई है। कुछ समाचारपत्रों में जो वक्तव्य छपा है वह इस संदर्भ में संगत नहीं है ।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या जापान के साथ सहयोग के-बाद इस्पात की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : उपलब्ध ब्योरे के अनुसार निप्पन स्टील कारपोरेशन ने 20 लाख मीटरी टन के वर्तमान स्तर से उत्पादन 53 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यह योजना संस्थापना के आधार पर बनाई गई है जहां तक यह प्रश्न है, जैसा कि मैं बता चूका हूं, यह भी कार्यकारी समिति के विचाराधीन है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने इस परियोजना की जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगती और निप्पन स्टील कारपोरेशन ने जो यह रिपोर्ट तैयार की है उस पर कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी। यदि इस परियोजना का काम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किया जाना है तो क्या में यह जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना का काम समय सूची के अनुसार चल रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी इसका निर्णय नहीं किया गया है । इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता क्या होगी और इस समय में क्या क्या उत्पादन किया जायेगा इन प्रश्नों पर कार्यकारी समिति अभी विचार कर रही है, मैं यह वादा नहीं कर सकता कि यह विस्तार कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हो जायेगा और योजना तैयार हो जायेगी। किन्तु कार्यकारी समिति ने अपनी दूसरी और तीसरी बैठकें करनी हैं। अतः उसके पश्चात मैं सदन को कुछ और जानकारी दे सकता हूं।

जहां तक मुझे याद है टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन में 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया था और निप्पन स्टील कारपोरेशन ने भी यही अनुमान लगाया है ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that All India Steel Workers' held this Conference in Bokaro on 20-21 April in which they demanded the nationalisation of TISCO in the interest of increase in steel production ? If so, what is the reaction of Govt. thereto?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, this demand was made with a view to increase the production. I was present there.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विशेष किस्म का है । You give a separate notice for this.

Shri Ramavatar Shastri : That resolution was discussed with a view to increase the production of steel. I was present there. That is why I am asking what the Govt. has to say in this regard.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या जापान की निप्पन स्टील कारपोरेशन ने विस्तार के लिए लागत अनुमान तैयार किए है? उससे यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है?

Shri Ramavtar Shastri : The main question is whether the production will increase in private hand or in Public sector.

Mr. Speaker : This is a strange thing. You are unduly insisting on this.

श्री के० डी० मालवीय : मैं कोई आम वक्तव्य नहीं देना चाहता, एक संयंत्र पहले से ही विद्यमान है और उसका विस्तार करने में जो लागत आयेगी वह नया संयंत्र स्थापित करने में आने वाली लागत से कम है। हम जिस नीति के दायरे में कार्यशील है उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस योजना में परिवर्तन करने का सरकार का कतई इरादा नहीं है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयंत्र के विस्तार के लागत अनुमानों में कई बार संशोधन किया गया है और हर बार अनुमानित लागत में वृद्धि की गई है। यदि हां, तो क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री आर० एस० पाण्डे को इस वर्ष मार्च के महीने इसी कारण नोकरी से अलग कर दिया गया है कि उन्होंने जापान की मैसर्स निप्पन स्टील कारपोरेशन के साथ उंची कीमत के लागत अनुमानों को अंतिम रूप दिया था।

श्री के० डी० मालवीय : यह सच है कि यह प्रस्ताव उस समय तैयार किया गया था जब श्री आर० एस० पाण्डे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में थे, किन्तु उसके बाद क्या हुआ—उसे बाहर भेजा गया या नौकरी से निकाल दिया गया — इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि संयंत्र में क्या क्या उत्पादन किया जायेगा और यह कि वितरण किस सीमा तक किया जायेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने यह प्रस्ताव जापानी विशेषज्ञों को सोंपने का प्रस्ताव किया था उस समय टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से यह आशा की गई थी कि वह इस्पात मंत्रालय से परामर्श करे। यदि हां तो क्या इस्पात मंत्रालय ने उन विचाराधीन बातों की स्वीकृति दी थी जो जापानी विशेषज्ञों को सोंपी गई थीं और क्या जापानी विशेषज्ञों ने जो व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया है वह विचारणीय बातों के आधार पर है या नहीं। यदि हां, तो व्यवहार्यता प्रतिवेदन को स्वीकार न करने का क्या कारण है?

श्री के० डी० मालवीय : कार्यकारी समिति व्यवहार्यता प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की संवीक्षा कर रही है और हम अभी कार्यकारी समिति के विचार विमर्श के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे है।

3—18 LSS (ND)/74

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

*917. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड बनाया था;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) सड़क परिवहन उद्योग के लिए 28 मई, 1966 को एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड गठित किया गया था। इसकी अन्तिम रिपोर्ट 19 नवम्बर, 1969 को प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड ने नियोजकों का वर्गीकरण उनके द्वारा रखी गई गाड़ियों की संख्या के अनुसार किया और प्रत्येक वर्ग द्वारा देय मजूरियों, महंगाई भत्ते, मकान किराया आदि को निर्धारित किया। सिफारिशें सरकार के संकल्प, दिनांक 2-2-1970 के अनुसार स्वीकृत की गई और राज्य सरकारों से उनकी कार्यान्विति करवाने का अनुरोध किया गया।

मैसर्स आटो सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स डिवीजन वाराणसी के विरुद्ध शिकायत

*918. **श्री ज्योतर्मय बसु :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आटो सेल्स (ट्रैक्टर सेल्स डिवीजन) वाराणसी द्वारा बी० 275 डीजल ट्रैक्टर के एक क्रयादेश के संबंध में ट्रैक्टर के मूल्य से, 1500 रुपये अधिक मांगे जाने की सरकार को कोई शिकायत मिली;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार को बी-275 ट्रैक्टरों के निर्माता मे० इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड का स्पष्टिकरण प्राप्त हो गया है। कम्पनी के अनुसार मे० आटो सेल्स ने ग्राहक से अधिक मूल्य नहीं मांगा था। 1500 रुपये की राशि वैगन प्राप्त करने में कठिनाईयों के कारण डीलर द्वारा ट्रैक्टर को रेल के बजाय ट्रक से भेजने में हुए अतिरिक्त व्यय के लिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मामले की जांच करने के लिए कहा गया है लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

कोयम्बटूर में कर्मचारी राज्य-बीमा औषधालओं से औषधियों की चोरी

*920. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों से अनुसूचित वस्तुओं सहित 2000 रुपये से अधिक मूल्य की औषधियां चोरी कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख) निगम को राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत चिकित्सीय लाभ का प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है, अतएव तमिलनाडु की सरकार से इस मामले की जाँच करने का अनुरोध किया गया है।

डी० सी० एम० कैमिकल्स वर्क्स, दिल्ली द्वारा तालाबंदी

***921. श्री सतपाल कपूर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० केमिकल्स वर्क्स, दिल्ली ने मार्च, 1974 में फिर तालाबंदी की थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि तक तालाबंदी रही और उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए;

(ग) क्या प्रबंधकों ने जान बूझ कर वनस्पति तथा क्लोरीन आदि जसी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई ठप्प कर दी है; और

(घ) क्या हड़ताल अथवा तालाबंदी से बचने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी से गरीब जनता को बचाने के लिए सरकार का विचार इस मिल के प्रशासन को अपने हाथ में लेने अथवा से भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, 7 मार्च, 1974 को मिल में होली मनाने के संबंध में कुछ अधिकारियों और श्रमिकों के बीच वाक् कलह होने के बाद प्रबंधकों ने 9 मार्च, 1974 को केमिकल और टिन कन्टेनर विभागों में तालाबंदी और वनस्पति विभाग और पावर हाउस में जबरी छुट्टी घोषित कर दी। दिनांक 17 मार्च, 1974 के एक नोटिस द्वारा 18 मार्च, 1974 को उपरोक्त तालाबंदी उठा ली गई थी और जबरी छुट्टी समाप्त कर दी गई। श्रमिकों ने कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया और प्रबंधकों दे उसके पश्चात् 18 मार्च, 1974 को सभी विभागों में जबरी छुट्टी घोषित कर दी। ठेका श्रमिकों को छोड़कर, तालाबंदी/जबरी छुट्टी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या 1,088 है। तत्पश्चात् कुछ विभागों में जबरी छुट्टी 9 अप्रैल, 1974 से समाप्त कर दी गई और 13 अप्रैल से अन्य विभागो में, और श्रमिकों से सामान्य स्थिति स्थापित करने हेतु कार्य पुनः आरम्भ करने की सलाह दी गई। श्रमिक ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए। सूचना मिली है कि 19 अप्रैल, 1974 को प्रबंधकों ने एक नोटिस द्वारा 28 अप्रल, 1974 तक कार्य पर लौटने की श्रमिकों को फिर सलाह दी, जिसके न किए जाने पर यह समझा जाएगा कि श्रमिकों ने अपनी मर्जी से सेवा छोड़ दी। निःसन्देह, इस एकक में इस संकट के फलस्वरूप आवश्यक चिजों के उत्पादन की हानि हुई है।

(घ) इस एकक को पुनः खुलवाने के लिए दिल्ली प्रशासन अपने प्रयास जारी रखे हुए है। इस प्रतिष्ठान में भारत रक्षा नियमों का नियम 119 लागू है।

Supply of Arms to Pakistan by France and Middle Asian Countries

***922. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has got a commitment as well as aid from France for meeting the requirement of its Air Force;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the names of those Middle Asian countries which have given military assistance to Pakistan recently?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) According to the Government's information France has been selling arms to Pakistan on commercial

basis, but there has been no commitment from France of aid for meeting the requirements of the Pakistan Air Force.

(c) Government are aware that Pakistan has received Military hard-ware from a number of countries including some Middle East Asian countries. It will, however, not be in public interest to disclose the details available with Government.

रक्तचाप मापने की नयी तकनीक

***923. श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1973 के "न्यू वे टू मेजर ब्लड प्रेशर" (रक्तचाप मापने की नयी तकनीक) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत में भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई समाचार नहीं आया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात का आयात

***924. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनसे इस्पात का आयात किया जायेगा; और

(ख) कब तक ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) इस्पात का आयात जापान, सोवियत रूस, अमरीका, य० के०, युगोस्लाविया, हंगरी, बल्गारिया, रुमानिया, आस्ट्रिया, चकोस्लोविया, पोलैण्ड, बेल्जियम, हालैंड, पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा से किया जा रहा है। वर्ष 1974–75 में आयात अपेक्षित माल को स्पर्धी मूल्यों पर उपलब्धि तथा रिलीज आर्डरों/आयात के लिए किए गये आवेदनों के आधार पर दिये गय वास्तविक आर्डरों पर निर्भर करेगा । आयात तब तक किया जाता रहेगा जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो जाता ।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में डाक द्वारा पंजीकरण का नवीकरण

***925. श्री नवल किशोर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जिन व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं उन्हें पंजीकरण के नवीकरण के लिए डाक द्वारा कार्ड भेजना होता है और जो व्यक्ति पंजीकरण के नवीकरण के लिए स्वयं रोजगार कार्यालय जाते हैं उन्हें पंजीकरण का नवीकरण करने से इन्कार कर दिया जाता है ।

(ख) क्या अधिकांश मामलों में पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जाता है और व्यक्तियों को एक महीने बाद स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा जाता है और सामान्यतया नवीकरण करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया जाता है कि उनके पहुँचने में विलम्ब हुआ; और

(ग) सरकार का इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों (दरिया गंज को छोड़कर) में पंजीकृत उम्मीदवार अपने पंजीकरण का नवीकरण रोज़गार कार्यालय में स्वयं जाकर या डाक द्वारा करा सकते हैं। दरिया गंज स्थित रोज़गार कार्यालय में 1–8–1973 से केवल डाक द्वारा नवीकरण कराया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दरियागंज स्थित रोजगार कार्यालय की स्थिति का कुछ समय बाद पुनरीक्षण करके व्यक्तिगत रूप में रोजगार कार्यालय जाकर भी नवीकरण कराने की प्रक्रिया की पुन: अपनाने की संभाव्यता पर विचार किया जाएगा।

रोज़गार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधिकारियों की मिश्र में प्रतिनियुक्ति

***926. श्री एम० ए० मुरूगनन्तम :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं मद्रास और कलकत्ता स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को अप्रैल 1974 में काहिरा, मिश्र में प्रतिनियुक्ति की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो काहिरा में उनकी प्रतिनियुक्ति किन कारणों और किस उद्देश्य से की गई है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अप्रैल, 1974 में किसी भी अधिकारी को काहिरा नहीं भेजा गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन में ट्रेड यूनियन कानफ्रेन्स में भाग लेने के लिए भारतीयों को चीन का निमंत्रण

***927. श्री समर गुह :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बतारे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने कोटनीस सोसायटी के माध्यम से चीन में ट्रेड यूनियन कानफ्रेंस में भाग लेने के लिये पांच भारतियों को आमंत्रित किया है, और;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) चायनीज़ पीपुल्स ऐसोसिएशन फार फ्रेंडशिप विद फोरन कन्ट्रीज" से "कोटनीस मेमोरियल कमेटी" को प्राप्त निमंत्रण के विषय में सरकार को सूचना मिली थी, इसमें 3 से 5 व्यक्तियों के एक शिष्टमंडल को मई दिवस 1974 के आस-पास चीन की यात्रा के लिए निमंत्रण दिया गया था। सरकार को इस यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है।

1973-74 के दौरान उड़ीसा को कोयले की सप्लाई

***928. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योगों और घरेलू दोनों के उपयोग के लिये कोयले की सप्लाई का मासिक कोटा कितना है; और

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान राज्य में वस्तुत: कितने कोयले की सप्लाई की गयी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार द्वारा कोयले का राज्य वार आबंटन नहीं किया जाता। उड़ीसा की औसत मासिक मांग 3.90 लाख टन आंकी गई है।

(ख) अब तक प्राप्त अनंतिम जानकारी के अनुसार, राज्य के उपभोक्ताओं को 1973-74 के दौरान की गई पूर्ति लगभग 35.80 लाख टन थी।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नई कोयला खानों का खोला जाना

***929. श्री वसंत साठे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पृथक-पृथक कितनी नई कोयला खानें खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में पृथक-पृथक, नई कोयला खानों के विकास हेतु कितने परिव्यय का प्रस्ताव है और नई कोयला खानों का अनुमानित उत्पादन तथा रोजगार की क्षमता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Proposal for Summit Talk Amongst India, Bangladesh and Pakistan

***930. Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Foreign Ministers of India, Bangladesh and Pakistan, who participated in the tripartite meeting in Delhi, have agreed to hold a summit talk;

(b) whether any date and venue therefor have been decided; and

(c) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

अकोककर कोयला खानों में अवैध तालाबंदी

***931. श्री के० जाफर शरीफ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अकोककर कोयला खानों में अभी भी अवैध तालाबंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन खानों में कितने कर्मचारी अन्तर्गस्त हैं ;

(ग) क्या तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और

(घ) यदि हां, तो क्या तालाबंदी समाप्त हो गई है और कर्मचारियों को अवैध तालाबन्दी की अवधि के लिए भुगतान कर दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र की कोयला खानों के आसपास के क्षेत्रों में छोटे पैमाने के सहायक कारखाने

***932. श्री धामनकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य में कोयला खानों के क्षेत्रों में छोटे पैमाने के सहायक कारखानों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये महाराष्ट्र राज्य सरकार

से परामर्श किया है जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकें और उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके;

(ख) यदि हां, तो उस के संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इसके वित्तीय पहलू पर भी विचार कर लिया गया है और कुछ सहायता का आश्वासन दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विभिन्न लघु उद्योगों तथा विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोशिएशन्स से सम्पर्क किया है। विशिष्ट प्रस्ताव अभी बनाए जाने है।

अड्डा बनाने की योजना के लिए अमरीका की प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति (यू० एस० हाउस ओकेज बेस प्लान) शिर्षक से प्रकाशित समाचार

*933. **श्री. रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 अप्रैल 1974 के दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में अड्डा बनाने की योजना के लिए अमरीका की प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति यू० एस० हाऊस ओकेज बेस प्लान के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या इसमें अन्तर्गस्त पहलुओं के बारे में सरकार ने फिर से पुनर्विलोकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। सरकार ने इस आशय की भी प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें कहा गया है कि अमरीकी सीनेट कमेटी ने इस अड्डे के लिए धन की मंजूरी में देरी लगायी थी।

(ख) और (ग) सरकार इस मामले मे घटनाओं का और उनके निहितार्थ की निरंतर समीक्षा कर रही है। हमारी राय में दिएगो गार्सिया में सैनिक सुविधाओं का विस्तार संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के स्पष्टतः विरुद्ध है जिसमें हिंद महासागर को हमेशा के लिए शांति का क्षेत्र घोषित किया गया है, इससे क्षेत्र में तनाव और शक्ति प्रतिद्वंद्वता ही बढ़ेगी।

पांचवी योजना मे आसाम मे भारी उद्योगों की स्थापना

*934. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए आसाम से कोई प्रस्ताव मिलें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंबई में इरानी छात्रों को गिरफ्तार करना

*8842. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार बम्बई में 6 ईरानी छात्रों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या ईरानियन स्टूडेन्टस एसोसिएशन ने इस बारे में प्रधान मंत्री से अपील की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बंबई में छह ईरानी छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में 1 अप्रैल को अखबार में जो खबर छपी थी वह सरकार ने देखी है। वास्तव में, सिर्फ तीन छात्र ही पकड़े गए थे।

(ख) बाद में, ईरानी छात्र संघ (इरानियन स्टूडेन्टस ऐसोसिएशन) नाम की एक संस्था ने इन तीन ईरानी छात्रों के निष्कासन आदेश के संबंध में प्रधान मंत्री से अपील की थी।

(ग) इन तीनों मामलों पर पूरी तरह विचार किया गया था और संबद्ध तीनों व्यक्तियों ने "स्टे आर्डर" भी ले लिया था और वे 16 अप्रैल को बंबई में कचहरी में हाजिर भी हुए थे। यह "स्टे आर्डर" खारिज कर दिया गया था और ये तीनों व्यक्ति 17 अप्रैल को पश्चिमी यूरोप के लिए रवाना हो गए थे।

दिल्ली के अस्पतालों में प्रसूति के मामले

8843. **श्री सत पाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दिल्ली के अस्पतालों में प्रसूति के कुल कितने मामले हुए :

(ख) इन मामलों का घोषित आय ढांचा क्या था;

(ग) क्या रोगियों की घोषित आय की जाच करने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) गलत आय घोषित करने का दण्ड क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र भेज दी जाएगी।

Jabalpur Ordnance Depot

8844. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether most of the industrial labourers in Jabalpur Ordnance Depot have been seriously affected due to stagnation in their cases;

(b) if so, whether any solution has been evolved to overcome this situation; and

(c) if so, the main points thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) As a result of the promulgation of the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules 1973 on 29th December, 1973, the scales of pay of industrial labourers have been revised. Consequently, the stagnation does not exist.

(b) and (c) Do not arise.

Steel Demanded by M. P.

8845. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total quantity of steel demanded by Government of Madhya Pradesh during 1972-73;

(b) the total quantity of steel actually supplied; and

(c) in case steel was supplied in less quantity against the demand, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Demand for steel is in excess of availability in respect of several categories. Despatches from the main steel plants are regulated by the Steel Priority Committee after taking into account the end use for which steel is required, availability and the competing demands.

पाकिस्तान द्वारा गुजरात राज्य की सीमा पर भू, वायु तथा समुद्री सीमा का उल्लंघन

8846. डा० महिपत राय मेहता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के पिछले युद्ध के पश्चात गुजरात राज्य में भारतीय सीमा का भू, वायु तथा समुद्र से कितनी बार उल्लंघन किया है; और

(ख) उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत युद्ध से लेकर 25 एप्रिल 1974 तक पाकिस्तानी सेनाओं ने गुजरात की भूमि, वायु और समुद्री क्षेत्र सीमा के उल्लंघनों की संख्या इस प्रकार है ––

भूमि उल्लंघन––4

वायु उल्लंघन––3

पाकिस्तानी नौसेना पोतों द्वारा समुद्री क्षेत्र सीमा का उल्लंघन––शून्य

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों का स्थानीय कमांडरों के बीच फ्लैग बैठकों के माध्यम से फैसला किया जाता है अथवा रोका जाता है। हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमा पर लगातार सतर्कता रख रहीं हैं और जहां आवश्यक हो उन्हें कठोर कार्रवाई करने के आदेश है।

Sponge Iron Factory in Private Sector

8847. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to set up a sponge iron factory in private sector with or without foreign assistance; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) Presumably, the reference is to the proposal submitted by M/s Chowgule & Company Private Limited for setting up a sponge iron plant in the Bellary District of Karnataka State for an annual capacity of 3 lakh tonnes. The proposal is based on the use of solid reductant and the capital outlay on the project is estimated to be about Rs. 9.10 crores. The proposal also envisages the possibility of exporting sponge iron. The applicant firm has offered to implement the scheme in the Joint Sector and the proposal is under consideration.

इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी के विरुद्ध शिकायते

8848. श्री वयालार रवि : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न उद्योगों के एल्यूमिनियम मिलों के वितरण के बारे में इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की है और क्या उनके बारे में कोई जांच की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 1973–74 और चालू वर्ष के दौरान एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई भारी बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई है। इसका उपभोक्ता इकाइयों को धातु (ई० सी० ग्रेड व वाणिज्य ग्रेड दोनों हो) की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है और इसके परिणामस्वरूप कुछ औद्योगिक यूनिटों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो, प्राथमिक उत्पादकों, जैसमें इंडियन एल्यूमिनियम भी शामिल है, द्वारा धातु को अपर्याप्त सप्लाई किए जाने के बारे में हैं।

इम्फाल में क्षेत्रीय मेडिकल कालेज को मान्यता

8849. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल स्थित क्षेत्रीय मेडिकल कालेज ने मान्यता के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है :

(ग) क्या इस कालेज के गोहाटी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने में विलंब के कारण छात्रों का पहला दल पहली विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सका; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) गौहाटी विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री, जिस के साथ रिजिनल मेडिकल कालेज, इम्फाल सम्बद्ध है, एक मान्यता प्राप्त मेडिकल अर्हता है जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर ली गई है। रीजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल के अनुमोदन के प्रश्न पर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा तब विचार किया जायेगा जब छात्रों का पहला बैच एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा देगा और उस का विधिवत निरीक्षण हो जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा इस कालेज को सम्बद्ध करने की कार्यवाही रोक दी गई थी क्योंकि उनके विचार में इस कालेज में यथेष्ट अध्यापक नहीं थे। जब यह स्पष्टीकरण दिया गया कि यह कालेज प्रति वर्ष केवल 50 छात्रों को ही दाखला देगा और छात्रों की इतनी संख्या के लिए स्टाफिंग पेटर्न काफी है, तो स्थिति स्पष्ट हो गई। इस के बाद विश्वविद्यालय ने दूसरी बार फिर निरीक्षण किया और उस के उपरान्त से कालेज को सम्बद्धता को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। छात्रों का पहला बैच मई 1974 में एम० बी० बी० एस० की प्रथम विश्वविद्यालय परीक्षा देगा।

Persons of Indian Origin in East Germany

8850. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to collect information through their Embassy in East Germany about the number of persons of Indian origin living there; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

यू० एन० एफ० पी० ए० के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु 400 लाख अमरीकी डालरों के अनुदान के लिए समझौता

8851. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय करने हेतु 400 लाख अमरीकी डालरों के अनुदान के लिए यू० एन० एफ० पी० ए० के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में उपरोक्त धनराशि के व्यय के बारे में कोई योजनाएं तैयार की गई है; और

(ग) क्या उपरोक्त राशि में से पंजाब में व्यय करने के लिए कोई राशि आबंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

(ख) और (ग) यू० एन० एफ० पी० ए० की सहायता से जिन योजनाओं के लिए धन खर्च किया जाना है उन्हें तैयार किया जा रहा है ।

देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

8852. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1974 को देश में राज्यवार, मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) प्रत्येक मेडिकल कालेज में कुल कितनी सीटें है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6890/74]**

Vaccination by Going From Door to Door in Delhi

8853. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 386 on the 21st March 1974 regarding Small Pox Menace in Delhi and state the reasons for not vaccinating people by going from door to door?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): There are 56 vaccination centres under the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation and 9 vaccination centres in the New Delhi Municipal Committee area through which these bodies are implementing the Small Pox Eradication Programme. Apart from vaccinating the people at the vaccinating centres, the vaccinators go from door to door for carrying out vaccinations. However, the door to door vaccinations are performed primarily in vulnerable areas like slums, construction projects, areas inhabited by migratory labour and those with suspected cases of Small Pox.

Campaign to Destroy Mosquitoes by New Delhi Municipal Committee

8854. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the New Delhi Municipal Committee has stopped the campaign destroy mosquitoes for the last few years resulting in an unprecedented increase the number of mosquitoes; and

(b) The action to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No, Sir. There is always an increase of mosquito nuisance to some extent during this part of the year which is very conducive for the breeding of mosquitoes. The antimosquito operations of the New Delhi Municipal Committee were also affected on account of the difficulties in the procurement of larvicidal oil during the months of February and March, 1974.

(b) The necessary quantities of larvicidal oil were received in April and the anti-larval operations have since been intensified by the New Delhi Municipal Committee.

दण्डकारण्य परियोजना में शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय

8855. **श्री लम्बोदर बलियार :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल से आये कितने शरणार्थियों को अब तक मध्य प्रदेश स्थित दण्डकारण्य परियोजना में बसा लिया गया है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और गत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च हो रही है ; और

(ग) इस परियोजना की आगामी योजनायें क्या हैं और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) अब तक, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के 17,211 परिवारों को दण्डकारण्य परियोजना में बसाया जा चुका है । इनमें से 7,279 परिवारों को परियोजना के मध्य प्रदेश खण्डों में बसाया गया है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) एक सिंचाई एवं पुनर्वास योजना, जिसमें पोतेरु नदी पर सुरलीकोण्डा पर एक बांध का निर्णय करके सीलेरु नदी के जल का उपयोग करना शामिल है, भारत सरकार के विचाराधीन है । परियोजना के दो भाग है, अर्थात् (i) सिंचाई परियोजना और (ii) पुनर्वास योजना । परियोजना की कुल लागत 41.85 करोड़ रुपए है । सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 1,50,000 एकड़ भूमि होगी जिसकी मूल्य लागत भारत सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है । पुनर्वास परियोजना के अधीन उड़ीसा सरकार द्वारा पोतेरु सिंचाई परियोजना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 40,000 एकड़ खेती योग्य भूमी दी जाएगी जिस पर 10,000 कृषक परिवारों और 1,000 गैर-कृषक परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है । पोतेरु परियोजना के अतिरिक्त किसी और योजना का प्रस्ताव नहीं है किंतु दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के अन्य क्षेत्रों में पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1,100 अतिरिक्त परिवारों को बसाने की योजना है ।

Discharge of Dirty Iron into Shankhini River from Bailadila Iron ore Plant

8856. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased state:

(a) whether the rural papulation living in Bailadila area has requested Government to stop the discharge of dirty iron into the Shankhini river;

(b) whether the water of Shankhini river is getting polluted as a result of the discharge of dirty iron into it from time to time from Bailadila iron ore plant; and

(c) if so, the measures being taken by Government to remedy the situation in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

चौथी और पांचवी योजना में बिहार में डाक्टरों को रोजगार देने के लक्ष्य

8857. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में चौथी योजना के दौरान कितने डाक्टरों को रोजगार देने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) राज्य में पांचवी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 100 चिकित्सा स्नातकों को नियुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

(ख) राज्य सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1293 डाक्टरों को मुख्यतः ग्राम अस्पतालों, जिला और तहसील अस्पतालों में नियुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

कोयले के उत्पादन के लक्ष्य

8858. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 के लिए कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ती के लिए क्या उपाय किये गये है ; और

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में सुधार होने की सम्भावना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले की बढ़ती हुई मांग विषेशतया वर्तमान तेल संकट के संदर्भ में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन के वर्तमान 780 लाख टन स्तर को 1974-75 में बढ़ाकर 950 लाख टन करने का प्रस्ताव है । उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए है : राष्ट्रीयकरण के पश्चात् खानों का पुनर्गठन, ओपन कास्ट खानों और यंत्रीकृत और भूमिगत खानों की गहन खुदाई, चार पारी प्रणाली को लागू करना तथा चुनी हुई कोयला खानों में मजदूर यूनियन नेताओं के परामर्श से सात-कार्य दिवस लागू करना, आवश्यक उपकरणों की अधि-प्राप्ति, परिवहन सुविधाओं का पुनर्गठन जिसमें लदान का केन्द्रीयकरण शामिल है, औद्योगिक संबंधों में सुधार करना, नियमित बिजली की सप्लाई का सुनिश्चय विस्फोटकों की पर्याप्त सप्लाई का प्रबन्ध आदि ।

पाकिस्तान के साथ संचार तथा कूटनीतिक संबंधों का पुनः बहाल होना

8859. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र के अनुसार पाकिस्तान और भारत के बीच डाक व दूर संचार तथा यात्रा की सुविधायें फिर से बहाल करने के बारे

में इस्लामाबाद में एक महीने के भीतर ही दोनों देशों के मध्य बातचीत होने वाली है ;

(ख) क्या सम्भवतः मंत्रालय स्तर पर उक्त बातचीत के पूरा हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के भी बहाल होने का मार्ग खुल जायेगा;

(ग) क्या पाकिस्तान तथा बंगलादेश के मध्य व्यापारिक संबंधों तथा बाद में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के लिए भी बातचीत होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह सब कुछ हाल ही में दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय करार की सफलता का ही फल है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जैसा कि सदन को मालूम है, पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री से विचार-विमर्श के बाद 9 अप्रैल को जारी की गई सम्मिलित भारत-पाकिस्तान विज्ञप्ति में कहा गया था कि इस पर सहमति हुई थी कि शिमला करार के पैरा 3 में लिखित सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने के बारे में बातचित करने के लिए शिष्टमंडलों के भेजने-बुलाने का समय आ गया है। जब ये बातचीत आरंभ होगी, तब डाक, दूर-संचार की कड़ियों तथा यात्रा को फिर से शुरु करने पर पहले चर्चा होगी । हमने पाकिस्तान को लिख दिया है कि इस वार्ता के लिए परस्पर सुविधापूर्ण तारीख निश्चित की जाए ।

(ख) भारत का सर्वविदित विचार यह है कि राजनयीक संबंध फिर से आरम्भ करने से पूर्व सामान्यीकरण के उपायौं पर अमल में कुछ ठोस प्रगति होनी चाहिए ।

(ग) इस आशय की प्रेस रिपोर्टें छपी हैं ।

(घ) त्रिपक्षीय करार से सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने और उपमहाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आगे बातचीत चलाने का रास्ता साफ हो गया है ।

बम्बई से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक में "न्यू जीप स्कैन्डल" शीर्षक से प्रकाशित लेख

8860. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाले 1 फरवरी, 1974 के एक साप्ताहिक में प्रकाशित "न्यू जीप स्कॅन्डल" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें लगाये गये विभिन्न आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की कोई न्यायिक जांच करायेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तया (ग) लेख में आरोपों का संबंध मुख्यतः 1971 के मध्यावधि चुनावों में एक राजनीतिक दल को जीपों की खरीद के लिए वित्तीय प्रबन्ध और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हाल के चुनावों में वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रमुख ट्रक निर्माता द्वारा उसी पार्टी को ट्रक देने से है । जीपों सहित वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण न होने से इन गाड़ियों की बिक्री की विधि निश्चित करना निर्माताओं और उनके विक्रेताओं का काम है । इस प्रकार सरकार से यह अपेक्षित नहीं है कि वह निर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक गाड़ियां देने के काम की देखभाल करे इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी राजनयिक द्वारा आसाम और मेघालय का दौरा

8861. **श्री तरुण गोगोई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1974 को कुछ अमरीकी राजनयिकों ने आसाम और मेघालय का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम में पहले हुए दंगों के लिये उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है ।

तेल उत्पादन करने वाले गुट-निरपेक्ष देशों की अलजीयर्स में बैठक

8862. **श्री० पी गंगादेव :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1974 को अलजीयर्स में हुई बैठक में तेल उत्पादन करने वाले गुट-निरपेक्ष देश विकासशील तेल आयात करने वाले देशों को मूल्य में कोई रियायत देने को सहमत नहीं हुए है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 19 मार्च से 21 मार्च, 1974 तक अल्जीयर्स में आयोजित निर्गुट देशों की 17 सदस्यों की समन्वय समिति की बैठक में तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को मूल्य की वरीयता दिए जाने के किन्ही विशेष प्रस्तावों पर गहराई के साथ विचार नहीं किया जा सका । फिर भी, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ओ० पी० ई० सी० के निर्गुट सदस्यों के साथ सलाह-मशवरा करने के लिए गुयाना, श्रीलंका, लाइबेरिया और नेपाल को लेकर एक कार्यकारी दल बनाया जाए । इस प्रकार के परामर्श के फलस्वरूप ओ० पी० ई० सी० के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भूमी तैयार होगी जिसका उद्देश्य कुछ निर्गुट देशों के सम्मुख आई कठिनाइओं को दूर करने के लिए निर्गुट-देशों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा । बैठक में इस पर भी सहमति हुई कि तेल संकट से प्रभावित निर्गट देशों तथा अन्य विकासशिल देशों को सहायता देने के लिए तत्काल और एकता की भावना से, सभीसंभव उपाय खोज निकालने में निर्गुट देशों में सहयोग की आवश्यकता है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित उर्वरकों का वितरण

8863. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातों का प्रस्तावित केन्द्रीकरण के बारे में 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3993 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम भी इस बात का दावा करता है कि आयातित उर्वरकों का वितरण उसके माध्यम से किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ; और

(ग) क्या मंत्रालयों के परस्पर मतभेदों के कारण उस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मई 1972 में भारतीय उर्वरक निगम ने ऐसा सुझाव दिया था किन्तू इस सुझाव में कोई औचित्य नही पाया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

रेडियो टेलीफोन उपकरण

8864. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने वायुयानों में लगने वाले रेडियो टेलीफोन उपकरण का विकास किया है ;

(ख) यदि हा, तो यदि नागर विमानन विभाग द्वारा उसका कोई परिक्षण किया गिया है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उक्त उपकरण वर्तमान बेतार प्रणाली से कितना सस्ता तथा द्रुतगामी सिद्ध होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने चार चैनल वाले रेडियों टेलिफोन का हल्के वायुयानों तथा ग्लाइडरों में लगाए जाने के लिए विकास किया है ।

(ख) इस सैट का नागर विमानन प्राधिकारियों के द्वारा परीक्षण किया गया है । उनके "टाइप अनुमोदन" की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) ऐसी संभावना है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित उपस्कर, जो ट्रान्जिस्टराइज्ड तथा आधुनिकतम डिजाईन का बना हुआ है अभी हल्के वायुयानों में प्रयोग किए जाने वाले दोहरे चैनल वाल्व टाइप कम्यूनीकेशन-सेट से सस्ता होगा। अभी ग्लाइडरों में किसी भी प्रकार के बेतार संचार उपस्कर का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

टायरों, चेसिज तथा मोटरगाड़ियों की चोर बाजारी के बारे में ज्ञापन

8865. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस राजापुर, पटना की प्रबंधक समिति के एक सदस्य से 26 मार्च, 1974 को एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकारी आदेशो का उल्लंघन करके चैसिज, टायरों तथा मोटर गाड़ियों का वितरण तथा उनकी चोरबाजारी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वाणिज्यिक गाड़ी (पुनर्बिक्री पर प्रतिबंध) आदेश, 1974 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें जिससे सिद्धान्तहीन व्यक्ति अधिक मूल्यों पर गाड़ियां न बेचें । ज्ञापन में उल्लिखित गाड़ियों की पुनर्बिक्री के विशिष्ट मामलों की जांच करने तथा रिपोर्ट देने हेतु बिहार सरकार के पास भेज दिया गया है ।

विशेष क्षेत्रों तथा राज्यों के लिए विक्रेताओं को नियुक्त करना निर्माताओं का परमाधिकार है । इस प्रकार के मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है ।

वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण लगाने के सुझाव के बारे में सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं से कहा है कि वे सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि न करें ।

टायरों की सप्लाई के लिए जिनका सम्भरण कम है, वितरण व्यवस्था को सरल बनाया जा रहा है । उद्योग ने सरकार के परामर्श से एक वितरण योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर वितरकों और विक्रेताओं की गतीविधियों पर कड़ी जांच करना परिकल्पित है ।

चीन भारत मैत्री बढ़ाने के लिये नेपाल की पेशकश

8866. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत-चीन मैत्री बढ़ाने के लिये नेपाल की पेशकस के बारे में 4 मार्च, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस समाचार में यह संकेत था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो नेपाल इस मामले पर विचार कर सकता है ।

(ख) भारत और चीन का, एक-दूसरे की राजधानियों में, राजनयिक प्रतिनिधित्व हैं जो दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए बातचीत करने का पर्याप्त माध्यम है ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति जप्त करना

8867. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा 1965 से 1971 के बीच भारतीय राष्ट्रिकों की पाकिस्तान में सम्पत्तियों को जब्त किये जाने का मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है ; और

4—18 LSS(ND)/74

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1965 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की जो सम्पत्ति जब्त कर ली थी उसके बारे में कई बार पाकिस्तान की सरकार के साथ बात उठाई गई है लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है । फिर भी, सरकार इस मामले में कोशिश करती रहेगी ।

"टेस्ट पाइलटों" के प्रशिक्षण हेतु प्रबन्ध

8868. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टेस्ट पाइलटों" की अर्हताएं विशेष योग्यता और कार्य क्या है ;

(ख) क्या "टेस्ट पाइलटों" के प्रशिक्षण हेतु सरकार ने प्रबन्ध किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कब से और कितने "टेस्ट पाइलटों" को प्रशिक्षण दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (1) **अहर्ताएं और विशेष योग्यता**

"टैस्ट पाइलटों" के रूप में प्रशिक्षण के लिए चयन भारतीय वायु सेना के निम्नलिखित अहर्ताओं वाले विमान चालकों में से किया जाता है :—

(क) आयु 28—30 वर्ष

(ख) कुल उड़ान 750 घंटों से कम नहीं

(ग) एकल उड़ान 500 घंटों से कम नहीं

(घ) उच्च औसत उड़ान योग्यता

(ङ) उच्च कार्य निष्पत्ति विमान उड़ानों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य वर्ग

(2) **ड्यूटियां**

"टैस्ट पाइलटों" की मुख्य ड्यूटियां इस प्रकार हैं—

(क) विकास चरण के दौरान प्रोटोटाइप विमान/विमान प्रणाली का उड़ान परीक्षण ।

(ख) प्रोटोटाइप उड़ान के दौरान आंकड़े एकत्र करना और विकासाधीन विमान/विमान प्रणाली की डिजाइन आवश्यकताएं प्राप्त करने के विचार से मूल्यांकन करने में डिजाइनर की सहायता करना ।

(ग) फैक्टरियों में विमान उत्पादन के बाद और मरम्मत डिपों में बड़ी-बड़ी मरम्मत और ओवर हाल के बाद विमान का उत्पादन परीक्षण ।

(घ) स्वदेशी उत्पादन के अधीन विमान/विमान प्रणाली के बारे में कार्य निष्पादन आवश्यकताओं/उपलब्धियों के संबंध में उद्योगों, अनुसंधान और विकास संगठन तथा सिविल विमानन महा निदेशक को सलाह देना ।

(ख) और (ग) **प्रशिक्षण** : 1976 से भारत में पूर्ण प्रशिक्षण सुविधाए स्थापित होने तक 20 "टैस्ट पाइलटों" को अभी तक विदेश में प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय वायु सेना के विमान और प्रणाली परीक्षण स्थापना में 5 उत्पादन परीक्षण पाइलटों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

तपेदिक, कुष्ठरोग और मानसिक रोगियों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव

8869. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक, कुष्ठरोग और मानसिक रोगों जैसे जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Selection Grade for Pharmacists and Nurses Working in Government of India Presses

8870. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Third Pay Commission has recommended a selection grade of Rs. 425-640 for the pharmacists working in the Government of India Presses;

(b) the nature of various allowances, besides the monthly pay, being paid to the 'A' Grade Nurses working in Government of India Presses in Delhi, Nasik, Simla and Faridabad, indicating the dates from which and the rate at which they are being paid; and

(c) the various types of allowances, besides pay being given to the Nurses and Pharmacists of the Delhi Hospitals run by Government of India and the dates from which they are being paid?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) The information is being collected and will be furnished as soon as available.

(c) Following are the allowances besides pay being given to the Nurses and the Pharmacists in the Central Government Hospitals in Delhi :—

	Type of allowance	Rate	Date from which being paid
I. *Nurses* :			
	Dearness and City Compensatory Allowance	Full as admissible to the Central Government employees.	1.1.1973
	Messing Allowance	Merged in the basic pay with effect from 1.1.1973.	
	Uniform Allowance	Rs. 200/- per annum	1.11.1973
	Washing Allowance	Rs. 15 per month	1.8.1973
II. *Pharmacists**			
	Dearness Allowance/ Interim Relief	At the old rates depending on the pay drawn by the individual	
	City Compensatory Allowance	8% of pay plus Dearness pay.	
	House Rent Allowance	15% of pay plus Dearness pay.	

*Revised Scales of Pay of the Pharmacists have not yet been notified. Hence the old rates are given.

वर्ष 1974-75 के लिए विमान उद्योग के लिए पूंजीगत परिव्यय

8871. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में विमान उद्योग के लिए पूंजीगत परिव्यय की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उद्योग के विकास के लिए कोई धनराशी मंजूर नहीं की गई यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् । हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर की पूंजीगत परिव्यय को पूरा करने के लिए, 1974–75 वर्ष में ऋण देने के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट अनुमानों में 400 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, को चालू परियोजनाओं तथा 1974–75 के दौरान हाथ में ली जानेवाली नई परियोजनाओं पर लगभग 1,200 लाख रुपए के पुंजीगत परिव्यय होने का अनुमान है । इस व्यय को अंशतः हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के आन्तरिक साधनों से पूरा किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खनन कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र का लाया जाना

8872. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनन संघ (इंण्डियन माइनिंग फेडरशन) ने कोयला खनन कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को लाने की मांग की है और क्या खानों के भूतपूर्व मालिक कोयला क्षेत्र में अभी भी कठिनायां उत्पन्न कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयां उत्पन्न करनेवालो के विरूद्ध क्या कदम उठाये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खनन। उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र को लाने का कोई विचार नहीं है । कोयला क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों के विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

कल्चर्ड मोतियों का उत्पादन

8873. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दूसरा प्रमुख देश है जहां किसी तकनीकी सहायता के बिना 'कल्चर्ड' मोती बनाय गये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सबोध हंसदा) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जापान के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो स्वतन्त्र रूप से संबन्धित मोतियों का उत्पादन करता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मोतियों के संवंधन की एक योजना की स्वीकृति दी थी और यह योजना केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान द्वारा तमिलनाडु की सरकार के सहयोग से तूतीकोरिन में 1972 में शुरु की गई थी दिसंम्बर, 1972 में विपलोदई में एक मोती संर्वधन प्रयोगशाला तथा फार्म की स्थापना की गई थी तथा खुले समुद्र में मोतियों की सीपों की वृद्धि के लिए सीपों के रेफ्ट कलचर की विधि अपनाई गई। तूतीकोरिन में समुद्र से मोतियों की सीपें इकठठी की गई तथा मौतियों के संवर्धन के लिए सीपों में देश में तैयार किया गया बीज डाला गया इस विधि से बीज डालने की तारीख से केवल 43 दिनों के पश्चात् 25 जुलाई, 1973 को पहला मोती तैयार किया गया । यह काम जारी है। मोती संवर्धन के लिए एक प्रायोगिक प्रायोजना आरम्भ करने तथा यह काम बड़े पैमाने पर करने के लिए उपयुक्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि-मंडल

8874. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में कौन-कौन से प्रतिनिधि मंडल विदेशों को भेज गये थे जिनमें संसद सदस्यों को सम्मिलित किया गया था ; और

(ख) उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो उन प्रतिनिधि मंडलों में विदेश गये थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रतिनिधिमंडल का नाम	वर्ष	संसत्सदस्यों के नाम
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 26 वा अधिवेशन	1971	श्री बिपिन पाल दास श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ श्री पी० गंगा रेड्डी श्री प्रबोध चंद्र श्री रुद्र प्रताप सिंह
माल्टा में द्वितीय "पैसम इन मारिबस"		श्री एन० के० पी० साल्वे
दक्षिण अमरीका के लिए सदभावना मिशन		श्री इरास्मो डे सेक्वेरा
जातीय भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी		श्री सालेभाई अब्दुल कादिर
मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्कों, सूडान, लीबिया और लेबनान के लिए सद्भावना मिशन		प्रोफेसर नूरुल हसन
मिस्र, लेबनान और ईरान के लिए सद्भावना मिशन		प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान
	1972	
भारतीय सद्भावना हज शिष्टमंडल		श्री एम० बी० राणा और श्री ए० के० ए० समद
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 27 वा अधिवेशन		श्री बी० पी० मौर्य श्री सी० एम० स्टीफ़न श्री एन० आर० लस्कर श्री वी० बी० राजू श्री मुल्क गोविंद रेड्डी
ग्वाटेमाला, बोगोटा, काराकस, मेक्सिको और न्यूयार्क के लिए सद्भावना शिष्टमंडल ।		श्री इरास्मो डे सेक्वेरा
नारी का स्थान और परिवार नियोजन संबंधी गोष्ठी में शामिल होने के लिए तुर्की के लिए प्रतिनिधि मंडल ।		श्रीमती मुकुल बनर्जी
	1973	
संयुक्त राष्ट्र महासभा का 28वा अधिवेशन		श्री एम० वी० कृष्णप्पा श्री डी० पी० सिंह सरदार बूटा सिंह
माल्टा में चौथा "पैसम इन मारिबर" . .		श्री एन० के० पी० साल्वे
उपनिवेशवाद और दक्षिण अफ्रीका के जातीय पृथग्वासन के पीड़ितों के समर्थनार्थ ओस्लो में विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।		श्री नवल किशोर शर्मा
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधिमंडल की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा ।		श्री डी० डी० पुरी
भारतीय सद्भावना हज प्रतिनिधिमंडल		श्री ए० के० एम० इशाक

Preparation of Ghee from Cow Tallow

8875. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in a newspaper on the 27th September last that ghee was being prepared at many places from cow tallow; and

(b) the facts thereof and the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) The inquiries made by the Government of Punjab reveal that some of the local Harijans living in the outskirts of Mukerian, Punjab, slaughtered some cows and oxen (said to be stolen ones) and had been selling secretly and stealthily tallow of cows at Pathankot, Jullundur and other places. In a raid in September, 1973, the police arrested four persons alongwith the material and articles and registered a case on the 23rd September, 1973 against the accused persons, under Section 3/8 of the Slaughtering Act and Section 429 of I.P.C. After investigation, prosecutions have been launched against the said accused in the Court of Judicial Magistrate, 1st Class, Dasuya. There is no regular trade of manufacturing ghee out of tallow of cows.

बिहार में नसबन्दीपर व्यय

8876. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1972–73 और 1973–74 में नसबन्दी पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) कितने व्यक्तियों के नसबन्दी के आपरेशन किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नसबन्दी पर खर्च के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1972–73	224.78 लाख रुपये
1973–74	9.40 लाख रुपये

(ख) इन वर्षों में राज्य में की गई नसबन्दियों की संख्या इस प्रकार है :—

1972–73 . . .	260,833
1973–74 (अनन्तिम) .	28,237

मैसूर खान मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन

8877. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मैसूर खान मजदूर संघ मारीकुप्पम, के० बी० एफ 5, द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 1973 के सहायक श्रम आयुक्त, बंगलौर को दिये गए एक ज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिस में यह आरोप लगाया गया है कि भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के प्रबंधक संगठित श्रमिकों, विशेषतया मैसूर खान मजदूर संघ के प्रति अनुचित रवैया अपना रहे हैं ;

(ख) क्या संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रबंधकों ने मद संख्या 5 से सम्बन्धित 22 नवम्बर, 1972 के समझौता ज्ञापन का पूर्णतया उल्लंघन किया है और (दो) गत वर्ष श्रमिकों की संख्या 13,000 से घटाकर लगभग 10,000 कर दी गई है ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तो वह क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनियन ने उसमें अभियोग लगाया है कि प्रबंधकों ने 22 नवम्बर, 1972 के समझौता-ज्ञापन की मद्द 5 का उल्लंघन किया है ।

जहां तक श्रमिकों की संख्या में कमी का संबंध है, वह 13,000 से घटा कर लगभग 10,000 नहीं की गई है ।

(ग) सहायक, श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलौर ने 29 सितम्बर, 1973 को प्रबंधकों और यूनियन के साथ विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श के दौरान यूनियन अभिकथित सताने आदि का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दे सकी और अन्ततोगत्वा पक्षों ने यह स्वीकार कर लिया कि इस शिकायत को समाप्त हो चुका माना जाय ।

देश में मलेरिया, कैंसर तथा फाइलेरिया के मामलें

8878. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री के देश में मलेरिया, कैंसर तथा फाइलेरिया के मामले के बारे में 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2,326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1969 के बाद मलेरिया और फायलेरिया के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कु) : इसके महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं :—

(क) मलेरिया/फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त वित्तीय आबंटन ;

(ख) पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं की समय पर प्राप्ति और वितरण की दिक्कतें ।

(ग) कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार के मच्छरों में प्रचलित कीटनाशक दवाओं के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न हो जाना ।

(घ) शहरीकरण और औद्योगीकरण में तेजी होने के कारण मच्छरों का अधिकाधिक पैदा हो जाना ।

कोयला उत्पादकों और रेलवे के बीच नुक्ताचीनी करने की प्रवृत्ति

8879. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 मार्च, 1974 के एक दैनिक पत्र में 'कोल प्रोड्यूसर्स एंड रेलवे इन फाल्ट फाइंडिंग गेम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस बात से खुश नहीं है कि प्रस्तुत समाचार पत्र ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोयला उत्पादक और रेलवे दूसरे को दोषी ठहराते हैं । एक दूसरे पर दोष लगाने की ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देती है ।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी

8880. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 29 मार्च को निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के सहायक निदेशक के कार्यालय में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गये है ;

(ख) यदि हां, तो दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चोरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) 29 मार्च, 1974 अपराह्न को स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक (अस्पताल प्रशासन) के कार्यालय से दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में हड़ताल की स्थिति से संबंधित एक पार्ट-फाइल खोई हुई पायी गई । सरकारी कागजातों के खो जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी गई और 'प्रथम-सूचना' रिपोर्ट 31 मार्च 1974 को दर्ज करायी गई । पुलिस जांच-पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Workers Rendered Jobless in Plastic Industry in Delhi

8881. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether ten thousand labourers working in the plastic industry and trade in Delhi have been jobless for the last about two months;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government to remove those reasons?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) According to the information made available by the Delhi Administration, neither they have received any complaints in this regard nor have the workers concerned raised any industrial dispute. The matter could be brought by the representatives of the workers concerned to the attention of the Delhi Administration.

New Scheme for Family Planning in the Fifth Plan

8882. **Shri Ramavatar Shastri:**

Shri S. N. Singh:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out a new scheme for making family planning a success during the Fifth Plan period; and

(b) if so, the main features thereof and how it differs from the earlier scheme as also the achievements repeated therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) New strategies for implementation of Family Planning Programme have been evolved.

(b) The following strategies/steps for making family planning a success during the Fifth Five Year Plan are proposed to be adopted :—

(i) It has been decided to integrate progressively family planning in a larger development package especially of Health, Nutrition and Maternal and Child Welfare. Both the services and communication efforts will be directed towards such integrated development.

(ii) It has been sought to give better health and other services to the people through the Minimum Needs Programme and it will provide a more effective framework for the success of the family planning programme.

(iii) At present Uni-purpose Workers with the designations of Basic Health Workers, Malaria Surveillance Workers, Vaccinators, Health Education Assistants (Trachoma), F. P. Health Assistants etc. are working in vertical manner for their respective programmes. All these workers may now be converted into Multipurpose workers in a phased manner and thus a larger number of persons on the strength of Health, MCH and Family Planning will be available. Family Planning Programme will be given high priority.

(iv) At present, a uniform pattern of implementation of programme has been followed in respect of urban and rural areas. As the socio-economic characteristics of population residing in rural and urban areas differ widely, the programme strategy should be different in rural and urban areas. It has, accordingly, been decided that the new strategy for the intensive efforts should be based upon the factors of urbanisation, female literacy and density of population so far as urban areas are concerned and the factors of growth rate and density of population so far as the rural areas are concerned.

(v) It is proposed to adopt a new motivational strategy involving individual and greater personalised approaches; fuller use of various mass-media and expanding T. V. and radio net-work. The new communication policy will be part of a package which will have to tackle simultaneously related programmes like Family Planning, Child Health, Nutrition and status and rights of women, economic opportunities and productivity of fewer and healthier children as against a large number of sickly children etc. The thrust of the new family planning communication will be inter-disciplinary, inter-ministerial, and multi-professional.

(vi) According to the old policy 'compensation' money was *inter alia* given to the doctors and motivators for the sterilisation cases and IUD insertions but in the new strategy payment of such cash compensation have been discontinued. In its place a scheme for community awards to be given for outstanding performance to Panchayats, voluntary organisations and professional bodies has been substituted. Along with it a scheme of awards to staff in the form of general amenities has been proposed.

(vii) Large vasectomy camps with higher incentives have been discontinued. In their place, small camps with limited number of cases and additional assistance at the rate of Rs. 5/- per case for making arrangements have been introduced.

(viii) There will be more effective participation of local bodies, voluntary organisations and trade unions etc. and greater involvement of the community in the programme.

Expected Achievements

It is expected that the birth rate will be brought down from the present level of about 35.6 per thousand population to 30 per thousand by the end of 1978-79. For

this purpose, the following targets in the various methods of family planning have been set for the Fifth Plan.

(i)	Sterilisation . . .	18 million
(ii)	IUD Insertions . .	5.5 million
(iii)	C. C. Users .	8.7 million users by 1978-79.

Workers Rendered Jobless in Kedla Jharkhand Colliery in Hazaribagh District

8883. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether about 6000 workers of Kedla Jharkhand colliery in Hazaribagh District have been rendered jobless for the last few months; and

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government to remove those causes?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली को पुनः खोलना

8884. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० केमिकल वर्क्स, दिल्ली के प्रबंधकों ने, जिसमें हड़ताल चल रही है, किराये के मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री को पुनः खोलने का प्रयास किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित दिल्ली क्लाथ मिल्स की फैक्टरी के 436 मजदूर 9 अप्रैल, 1974 को गिरफतार किए गए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मजदूरों ने इसका विरोध किया था और इसका सामना किया था और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, प्रबंधकों ने दिनांक 17 मार्च, 1974 के एक नोटिस द्वारा कैमिकल और टिन कन्टेनर्स विभागों से तालाबंदी उठा दी थी और 18, मार्च, 1974 को वनस्पति विभाग और पावर हाउस से जबरी छुट्टी समाप्त कर दी थी । श्रमिकों ने काम पुनः आरम्भ नहीं किया और प्रबंधकों ने उसके बाद 18 मार्च, 1974 को सभी विभागों में जबरी छुट्टी घोषित कर दी । तत्पश्चात 9 अप्रैल से कुछ विभागों में जबरी छुट्टी समाप्त कर दी गई और 13 अप्रैल से अन्य विभागों में, और श्रमिकों को सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए कार्य पुनः आरम्भ करने की सलाह दी गई । श्रमिक ड्यूटी पर नहीं आये । सूचना मिली है कि प्रबंधकों ने 19 अप्रैल, 1974 को श्रमिकों को एक नोटिस के द्वारा 28 अप्रैल 1974 तक कार्य पुनः आरम्भ करने की फिर सलाह दी, जिसके न किए जाने पर यह समझा जाएगा कि श्रमिक अपनी मर्जी से सेवा छोड़ गए हैं । यह सूचित किया गया है कि प्रबंधक नए व्यक्तियों को भर्ती करने की कार्यवाही भी कर रहे हैं यदि श्रमिक कार्य पुनः आरम्भ नहीं करते । तथापि अभी तक किसी नए श्रमिक के भर्ती किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) अन्य श्रमिकों और अधिकारियों पर अभिकथित हमले, जिस के फलस्वरूप कुछ को गंभीर चोटें लगीं तथा श्रमिकों और अधिकारियों को काम पुन: आरम्भ करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा 9 अप्रैल, 1974 को 435 श्रमिक गिरफ्तार किए गए थे। यह सूचित किया गया है कि जो श्रमिक गिरफ्तार नहीं किए गए थे, उन्होंने उन श्रमिकों को रोकना आरंभ कर दिया जो ड्यूटी पर हाजिर होना चाहते थे। संबंधित प्राधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन भी इस एकक में सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रयत्न जारी रखे हुए हैं।

Purchase of Toilet articles by Canteen Stores Department from Foreign Companies

8885. Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Canteen Stores Department has purchased toilet articles for the military personnel which are foreign made or have been manufactured or supplied by foreign companies in India; and

(b) the expenditure incurred thereon during the last three years, year-wise and the future policy proposed to be followed by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) The Canteen Stores Department (India) have not purchased any foreign made toilet goods. Toilet goods like tooth paste, talcum powder, soaps etc., manufactured in India by subsidiaries of foreign companies have, however, been purchased for sale to the Defence personnel as these are in great demand by them.

(b) The expenditure on these purchases during the last three years had been as under: —

1971-72 . . .	Rs. 3,37,22,836.59
1972-73	Rs. 5,25,25,103.64
1973-74	Rs. 3,57,76,127.20

The main guiding principle in determining the items to be traded in by the Canteen Stores Department (India) for being sold to the Defence personnel is consumer preference and popularity. This policy is proposed to be continued.

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद की भारतीय इंजीनियरों द्वारा आयोजना और डिजाईन तैयार करना

8886. **श्री पुरुषोत्तम ककोडकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाज़ियाबाद में स्थापित होने वाले भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड कारखाने की आयोजना और डिजाईन भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी हां श्रीमन्।

नई दिल्ली में बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का कार्यान्वियन

8887. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अप्रैल 1974 में नई दिल्ली में बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में 1 मई 1974 तक क्या प्रगति हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत में जितने भी पाकिस्तानी युद्धबंदी थे, उन 195 को भी मिलाकर जिनपर बंगला देश सरकार पहले मुकदमा चलाना चाहती थी, वे सभी बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत 30 अप्रैल 1974 तक पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किए जा चुके थे। जैसा कि उक्त त्रिपक्षीय समझौते में निहित है पाकिस्तान से शेष बंगालियों का और बंगलादेश से पाकिस्तानियों का प्रत्यावर्तन अभी चल रहा है।

ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अवर-स्नातक कर्मचारी

8888. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के अवर-स्नातक कर्मचारियों के बारे में 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में पदों के लिए भर्ती नियमो को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) ज्वांइट साइफर ब्यूरो के पदों के लिए भर्ती नियमों की वर्तमान व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए मन्त्रालय द्वारा एक अध्ययन दल स्थापित किया गया था। उसने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है। अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें इस समय मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

कृषि श्रमिक कल्याण कोष

8889. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपकर के रुप में एकत्रित कृषि श्रमिक कल्याण कोष बनाने, जैसा कि भूमि राजस्व प्रणाली में किया जाता है, के प्रश्न की सम्बन्धित हितों से परामर्श कर के जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

मद्रास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा उद्योग चलाना

8890. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरेक्टोरेट आफ इ० एण्ड टी० के अधीन प्रशिक्षकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मद्रास और अग्रिम प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास में कार्य करने वाले किसी अधिकारी और अधिकारी के सम्बन्धी मद्रास अथवा अन्य स्थानों पर गैर-सरकारी उद्योग चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ;

(ग) क्या उपर्युक्त संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थी, संस्थान के कार्य के घंटों में ऐसे उद्योगों में काम करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां । यह ध्यान में लाया गया कि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के दो कनिष्ट कर्मचारियों के पिता व्यवसाय चला रहे थे।

(ख) जी नहीं । नियमों के अंतर्गत सूचना देना तभी अपेक्षित है जब कि संबंधी आश्रित हों ।

(ग) इस विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मद्रास द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति तथा उन पर हुआ व्यय

8891. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मद्रास में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रति वर्ष सत्रवार कितने प्रशिक्षणार्थी लिये गये ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त इंस्टीटयूट द्वारा संस्थापना शुल्क तथा प्रशिक्षण शुल्क पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में उच्च प्रशिक्षण संस्थान मद्रास से पास हुए उच्च कुशलता प्राप्त दस्तकारों और तकनीकों की संख्या ।

	पाठ्यक्रम	*1971–1972	1972–1973	1973–1974	योग
1	टूल डिज़ाइन . .		25	85	
2	टूल और डाई मेकिंग तथा टूल रूम आपरेटर ट्रेनिंग . .		25	87	
3	मीट्रोलाजी और इन्सपेक्शन		11	30	..
4	हीट ट्रीटमेंट .	..	11	37	
5	मशीन टूल मैनटिनेन्स	14	46	33	
6	एडवांसड वेल्डिंग	..	44	106	..
		14	162	378	554

*इस संस्थान ने नवम्बर, 1971 में कार्य करना आरम्भ किया।

(ख) किया गया खर्च	रुपये	रुपये	रुपये
स्थापना व्यय	2,91,905 (यथार्थ)	3,30,581 (यथार्थ)	3,91,670 (विभागीय यथार्थ)
प्रशिक्षण व्यय . .	6,000	39,000	48,000**

डी० जी० ओ० एफ० का कार्यालय भवन

8892. **श्री समर गुह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित डी० जी० ओ० एफ० के 27 वर्ष पुराने कार्यालय का मासिक किराया 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति मास करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने 10 ए, आंकलैंड रोड, कलकत्ता में डी० जी० ओ० एफ० का कार्यालय भवन बनाने का निर्णय किया है; और क्या धनराशि की अनुपलब्धता के तर्क पर निर्माण आरम्भ न करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार को बसन्त उद्योग लिमिटेट को वर्तमान कार्यालय भवन के किराये के रूप में प्रति वर्ष 1,96,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे; और

(घ) यदि हां, तो यदि सरकार के स्वयं के भवन के निर्माण का निर्णय किसी निजी कम्पनी के हित में आस्थागित कर दिया गया है तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) डी० जी० ओ० एफ० के कार्यालय के कुछ भाग को स्थान देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1–4–1968 को 53,910 रुपए प्रति मास के मासिक किराए पर 44 पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में एक भवन किराए पर लिया था । 31 मार्च 1974 को अन्तिम पट्टेदारी समाप्त हो गई । सरकार ने पट्टेदारों का नवीकरण करने का सिद्धान्त : निर्णय कर लिया है । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किराए की मात्रा क्या हो ।

(ख) 10ए आकलैंड रोड, कलकत्ता में प्रस्तावित भवन निर्माण की आधार-शिला रखी जा चुकी है । इस वर्ष के बजट में 5 लाख रुपया की धन राशि की प्रारम्भिक कार्य के लिए व्यवस्था की गई है ।

लेबर ब्यूरो का शिमला-से चंडीगढ़ स्थानान्तरण

8893. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला स्थित लेबर ब्यूरो कार्यालय को सरकारी सुविधा के लिए वहां से चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने का अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और क्या यह स्थानान्तरण शरद सत्र के आरम्भ होने से पहले ही पूरा कर देने की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) चालू वर्ष में लेबर ब्यूरो को शिमला से चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

**आंकड़े समीप के सौ के पूर्णांक में बदल दिए गये है ।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो का एक भाग अगस्त 1971 में शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित किया गया था । ब्यूरो के शेष भाग को चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

(ग) श्रम ब्यूरो के 1974–75 के बजट (गैर-योजना) में कार्यालय को शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करने के लिए 14.27 लाख रुपये सहित कुल 71.51 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था । मितव्ययिता के कारणों से उपरोक्त बजट को 71.51 लाख रुपये से घटा कर 43.05 लाख रुपये कर दिया गया है और इस अवस्था में यह कहना कठिन है कि कार्यालय के स्थानान्तरित के लिए वास्तव में कितनी राशि उपलब्ध होगी ।

निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक सहकारी समितियां

8894. श्री वसन्त साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन की भाति श्रमिकों के साथ न्याय करने के लिए भवन और निर्माण उद्योग ठेके के श्रमिकों की उत्तरोत्तर कमी करने और बड़े पैमाने पर श्रमिक सहकारी समितियां बनाने के लिए नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भवन और निर्माण उद्योग में राज्यवार कितने पुरुष और महिला श्रमिक काम कर रहे हैं ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों को काम की अच्छी शर्तें उचित मजूरी देने और अन्य कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या क्या कानूनी अथवा अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 बनाया है और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 तैयार की है ताकि भवन और निर्माण उद्योग में नियोजित श्रमिकों सहित ठेका श्रमिकों की कार्य-दशाओं मजदूरियों के भुगतान और कल्याण संबंधी सुविधाओं के उपबन्धों आदि को विनियमित अधिनियम में कुछ परिस्थितियों में ठेकाश्रम के उन्मूलन की भी व्यवस्था है । केन्द्रीय नियमावली के अधीन ठेकेदारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए 30 रुपये की दर से जमानत जमा कराएं परन्तु जहां ठेकेदार सहकारी समिति हो वहां नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए यह राशि 5 रुपये निर्धारित की गई है । सहकारी विभाग द्वारा गठित श्रमिक सहकारी समितियों सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने 19–2–1974 को हुई अपनी दसवी बैठक में भवन और निर्माण उद्योग में श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय सिफारिशें की । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों को भवन और निर्माण संबंधी ठेके देने में कुछ रियायतें दे रहा है ।

(ग) 1971 की जन-गणना के अनुसार निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या 22.15 लाख थी जिसमें 20.12 लाख पुरुष और 2.03 लाख महिलाएं थीं । राज्यवार ब्यौरा संलग्न है ।

(घ) वर्तमान ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गईं नियमावली में मजदूरियों, उपर्युक्त कार्य-दशाओं और पर्याप्त कल्याण संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ।

विवरण

1971 की जनगणना के अनुसार निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	पुरुष	महिलाएं
आन्ध्र प्रदेश	240,827	44,486
असम	40,288	944
बिहार	92,357	5,789
गुजरात	103,593	16,316
हरियाणा	46,212	2,690
हिमाचल प्रदेश	48,665	2,518
जम्मू और कश्मीर	30,407	619
केरल	103,098	4,351
मध्य प्रदेश	106,341	14,197
महाराष्ट्र	243,116	33,305
मणिपुर	4,538	89
मेघालय	3,960	280
कर्नाटक	156,279	25,883
नागालैंड	3,259	18
उड़ीसा	35,696	2,105
पंजाब	76,754	602
राजस्थान	93,891	5,893
तमिल नाडू	205,038	29,197
त्रिपुरा	3,053	85
उत्तर प्रदेश	163,888	2,673
पश्चिम बंगाल	121,229	3,083
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9,849	51
अरुणाचल प्रदेश	247	16
चण्डीगढ़	4,038	497
दादरा और नगर हवेली	313	104
दिल्ली	59,416	5,722
गोवा, दमन और दीव	10,726	1,626
लक्ष द्वीप	583	51
पांडीचेरी	4,170	287
जोड़	2,011,831	203,477

5—18 LSS (ND)/74

ट्राम्बे में कोयला संकट

8895. **श्री बसन्त साठे : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ट्राम्बे में कोयले का संकट आ खड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) जी, हां ।

(ख) ट्राम्बे ताप बिजलीघर द्वारा अपनी कुछ इकाइयों में तेल की बजाए कोयले का उपयोग संभव बनाने के लिए उस बिजली घर को कोयले की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई करने का निश्चय किया गया :—

जनवरी, 1974	15,000 टन
फरवरी, 1974	30,000 टन
मार्च, 1974	40,000 टन
अप्रैल, 1974 तथा आगे	45,000 टन

रेल कर्मचारियों के आंदोलन तथा जनउपद्रवों का रेल द्वारा कोयले के संचलन पर गंभीर प्रभाव पड़ा तथा कोयले की वास्तविक प्रेषित मात्रा संयोजित मात्रा से काफी कम रही । फलस्वरूप बिजलीघर के पास कोयले का उतना पर्याप्त स्टाक न हो सका जो उनके द्वारा कोयले का उपयोग शुरू करने के लिए आवश्यक समझा गया था । कोयला खान प्राधिकरण तथा रेलवे द्वारा लिंक मात्रा की अधिक से अधिक पूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं ।

Restrictions on Indian Doctors migrating to U. S. A.

8896. Shri Shri Krishna Agrawal:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether in order to reduce the number of doctors migrating to U. S. A., Government have urged upon the American Government to put some restrictions on the doctors; and

(b) if so, the reaction of the American Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान सीमावर्ती राज्यों में निष्क्रांत हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

8897. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान प्रत्येक सीमावर्ती राज्य में कितने लोग निष्क्रान्त हुए ;

(ख) अब तक कितने लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई और उन के द्वारा कितनी धन राशि खर्च की गयी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है । असम और त्रिपुरा के बारे में जानकारी की जाँच की जा रही है और जैसे ही यह पूरी हो जाएगी जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

विवरण

राज्य	भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या	बसाए गए या बसाए जा रहे व्यक्तियों की संख्या	31-3-1974 तक पुनर्वास विभाग द्वारा दी गई राशि	राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5
पंजाब . .	4.39 लाख	4.39 लाख	1,805 लाख रु० 50 लाख रु० (ऋण)	1,775 लाख रु० (15-3-74 तक)
जम्मू और काश्मीर	1.67 लाख	1.49 लाख	1,529 लाख रु०	1,431 लाख रु० (28-2-1974 तक)
राजस्थान	2.30 लाख	2.30 लाख	126 लाख रु०	114 लाख रु० (28-2-1974 तक)
पश्चिमी बंगाल .	8,114 परिवार	5,942 परिवार*	शून्य	7.60 लाख रु०

टिप्पणी :— गुजरात में केवल 1,050 रुपये का खर्च किया गया था ।

गत तिमाही के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि

8898. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री अनादिचरण दास :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अप्रैल, 1974 तक कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति थे ;

(ख) गत तिमाही के दौरान देश में बेरोजगार व्यक्ति कितने प्रतिशत बढ़े ; और

(ग) गत तिमाही के दौरान रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

*इन परिवारों को कालम 5 में दिखाई गई राशि तक अनुग्रह-पूर्वक वित्तिय सहायता दी गई थी ।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द बर्मा) : (क) से (ग) देश में बेरोजगारी संबंधी यथार्थ आकड़े उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टार में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या के संबंध में है । 31-3-1974 को चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहनें वाले व्यक्तियो की संख्या 81.52 लाख थी। यह संस्था 31-12-1973 को संख्या की तूलना में 0.8 प्रतिशत कम थी ।

जनवरी से मार्च, 1974 के दौरान रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या 1.11 लाख थी ।

कोलम्बो में हुए "इकाफे" सत्र में हिन्दी महासागर में बड़ी शक्तियों द्वारा तनाव बढ़ाने के बारे में चीन का वक्तव्य

8899. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1974 के अंतिम सप्ताह में कोलम्बो में हुई 'इकाफे' की बैठक में चीन के प्रतिनिधि के वक्तव्य की ओर दिलया गया है कि दो बड़ी शक्तियां हिन्दी महासागर के क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ग) क्या भारत ने विश्व की शक्तियों तथा तटवर्ती देशों से मया प्रस्ताव किया था कि वे हिन्दी महासागर को शांति-क्षेत्र बनायें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने 29 मार्च 1974 को कोलंबो में श्री हुआंग मिंगटा द्वारा दिए गए भाषण का मूलपाठ देखा है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा है कि "दो बड़ी शक्तियों इस क्षेत्र में अधिपत्य के लिए अपना विवाद बढ़ा रही हैं ।"

(ख) हिन्दी महासागर में किसी भी प्रकार के सैनिक विस्तार की सरकार निन्दा करती है ।

(ग) हिन्दी महासागर को सदैव शांन्ति का क्षेत्र बनाये रखने से संबधित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का पालन कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मत तैयार करने के उद्देश्य से सरकार वहां की घटनाओं पर सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए है और समान विचाराधारा वाले देशों के साथ विचार-विमर्श कर रही है ।

बिजली की कटौती के कारण पश्चिम बंगाल में भारी उद्योगों के उत्पादन में बाधा

8900. श्री ए० के० एम० इसहक : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में भारी उद्योगों के उत्पादन में बाधा पड़ने के बारे में वहां से कोई समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की कटौती का कारखानों के उत्पादन पर अब तक कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल में बिजली में कटौती और बिजली की सप्लाई में अनिर्धारित कमी के कारण राज्य के लगभग सभी भारी उद्योग एककों के उत्पादन में अचानक गिरावट आई है। वास्तविक रूप में कितना प्रभाव पड़ा है इसका अभी पता नहीं चला है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि बिजली की सप्लाई के बारे में इन एककों के लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि कमी के प्रभाव से अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में हानि न हो।

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में ट्रैक्टर के कारखाने का प्रस्ताव

8901. श्री ए० के० एम० इसाहक :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में ट्रैक्टर का उत्पादन करने वाले उदयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी के बारे में वार्ता

8902. श्री मधु दण्डवते : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों और रेल कर्मचारियों के कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से रेलवे कर्मचारियों द्वारा दी गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों और रेल श्रमिकों के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था कि बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को रेल मंत्रालय और पूरी सरकार को सूचित किया जायेगा। आशा व्यक्त की गई थी कि तय किया गया समझौता सम्भव होगा और हड़ताल टाली जायेगी।

ब्रिटेन द्वारा मोरिशस को दिए वचन के उल्लंघन में डिएगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के लिए सुविधायें

8903. श्री मधु दण्डवते : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिएगो गार्शिया मे सैनिक अड्डा बनाने के लिए अमरीका को सुविधायें देते हुए ब्रिटेन ने वर्ष 1967 में जब हिन्द महासागर के उस द्वीप को ब्रिटिश शासन से स्वाधीनता मिली थी ; मौरिशस की जनता को दिए गए पवित्र वचन का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के प्रतिनिधियों का विचार इस मामले को उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंत्र से उठाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय का एक स्थानीय समाचार देखा है कि यू० के० की सरकार द्वारा निष्ठापूर्वक दिये गये आश्वासन के अनुसार दियागो गार्सिया द्वीप केवल एक संचार अड्डा होगा, आक्रमक सैनिक प्रतिष्ठान नहीं ।

(ख) यह आश्वासन मारिशस सरकार और यू० के० की सरकार की बीच का मामला है। दियागो गार्सिया में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के बारे में भारत के विचार सुविदित हैं; हमारा विश्वास है कि इससे क्षत्र में तनाव और प्रतिद्वन्द्विता को बढ़ावा मिलेगा और यह हिन्द महासागर को शांति का क्षत्र बनाये रखने के तटवर्ती राज्यों के प्रयत्नों के विरुद्ध होगा ।

बिहार में बाक्साइट का उत्पादन

8904. श्री जगदीश नारायण मंडल :
श्री कार्तिक उरांव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार में बाक्साइट का जिलावार उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) गत तीन वर्षों में बाक्साइट का राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बाक्साइट के राज्य वार उत्पादन का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है । बिहार राज्य में बाक्साइट का समूचा उत्पादन केवल रांची जिले में हुआ ।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों में 1971, 1972 और 1973 के दौरान बाक्साइट का उत्पादन

(उत्पादन मीट्रिक टनों में)

राज्य	1971	1972	1973 (अनुमानित)
बिहार*	566,000	605,000	430,000
गोआ	47,000	4,000	0,143
गुजरात	218,000	277,000	266,000
मध्य प्रदेश	248,000	294,000	238,000
महाराष्ट्र	302,000	329,000	266,000
कर्नाटक	54,000	68,000	35,000
तमिल नाडु	74,000	101,000	33,000
उत्तर प्रदेश	9,000	6,000	2,000

*बिहार का सारा उत्पादन रांची जिले से हुआ ।

रांची में एल्युमिनियम कारखाना

8905. श्री जगदीश नारायण मंडल :
श्री कार्तिक उरांव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची जिले में लोहार डागा में, जहां कच्चा माल बाक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एल्युमिनियम कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ;

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात के आयात के बारे में विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाई

8906. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइ के कारण इस्पात के आयात में कटौती की जायेगी ;

(ख) क्या सरकार को इस्पात के आयात पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है ; और

(ग) इस्पात और अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस्पात के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सरकार ने इस्पात के आयात में कोई कटौती नहीं की है । वर्ष 1974-75 में लगभग 12.5 लाख टन इस्पात की आयात करने का प्रस्ताव है । तथापि वास्तविक आयात स्पर्धी मूल्यों पर अपेक्षित माल की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप

8907. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर खनिज निक्षेपों के पाये जाने की संभावना है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन स्थानों अथवा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खनिज निक्षेपों की संभावना वाले स्थानों की खोज कर ली गई है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने राज्य के विभिन्न स्थानों में विभिन्न खनिजों के लिए सर्वेक्षण किया है । इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप मुख्य खनिजों के अनुमानित निक्षेप इस प्रकार है : बिलासपुर, सिरमूर, कांगड़ा और मंडी जिलों में 3,000 लाख टन सीमेंट ग्रेड चूना—पत्थर सिरमूर जिले में 13.20 लाख टन जिप्सम और 15,300 टन बैराइट ; मंडी जिले में पहाड़ी नमक का विशाल भंडार ; लाहोल स्पीति जिले में 2.88% एंटीमनी वाले 3,300 टन एंटीमनी अयस्क ; कांगड़ा, मंडी, महासू और छम्ब जिलों में इमारती सामान योग्य स्लेट के विशाल भंडार ; तथा बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कांच बनाने योग्य अच्छी मात्रा में क्वार्टज़ाइट ।

मूल्य सूचकांक तैयार करने का आधार

8908. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए केवल उचित मूल्यों की दुकानों पर उपलब्ध नियंत्रित वस्तुओं की निर्धारित दरों को आधार माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए खुले बाजार में अधिक मूल्यों पर उपलब्ध दैनिक उपयोग में आने वाली अन्य गैर-नियंत्रित वस्तुओं को भी आधार मानने का है ?

श्रम मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सांविधिक राशनिंग के अन्तर्गत आये हुए केन्द्रों में, नियंत्रित चीजों के उचित मूल्यों को, उपयोग में लाया जा रहा है बशर्ते कि राशन की दुकानों के माध्यम से स्वीकार्य मात्रा एक श्रम जीवी वर्ग परिवार की आवश्यकताओं से अधिक या बराबर हो। तथापि, यदि इस मात्रा में कोई कमी होती हों, तो कुछ परिस्थितियों में दोष निवारक कार्यवाही की जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि खुले बाजार में कीमतों के उन रुखों का उपयोग होता है जो अन्य सभी खाद्य पदार्थों के संबंध में अनुभव किए जाते हैं और इस प्रभाव को राशन किए गए स्रोतों में से किसी अनाज विशेष की कम उपलब्धता की सीमा तक इसका अध्यारोपण किया जाता है।

उन केन्द्रों में, जहां अनौपचारिक राशिनिंग चालू है, दोनों मूल्यों, अर्थात, खुले बाजार की कीमतों और राशनीकृत वस्तुओं की नियंत्रित कीमतों को उचित संयोजन में प्रयुक्त किया जाता है। खुले बाजार और उचित दरों का औसत निकालने के लिए भारों की गणना की जाती है।

सूचकांक में, नियंत्रित वस्तुओं के अलावा, दैनिक व्यवहार की अनेक गैर-नियंत्रित वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिनके लिए खुले बाजार के मूल्य लिए जाते हैं।

किराना समिती, दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन

8909. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें किराना समिति, दिल्ली की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) इस ज्ञापन में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन तथा उसमें संशोधन करने के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं।

(ग) इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

राजस्थान को चौथी योजना में परिवार नियोजन के लिए अनुदान

8910. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लिए वर्षवार कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) चौथी योजना के अन्त तक जिलावार परिवार नियोजन संबंधी कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जीवन जन्म दर पर कितना नियंत्रण हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	राजस्थान राज्य को दिया गया अनुदान (रुपये लाखों में)
1969-70	148.64
1970-71 .	252.27
1971-72 . . .	242.42
1972-73	287.65
1973-74	256.39

(ख) 1969-70 से 1973-74 (फरवरी, 1974 तक) की अवधि के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों (तरीकेवार) का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6891/74]**

(ग) चौथी योजना के अन्त की जन्म दरों का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि भारत के महापंजीकार की नमूना पंजीयन योजना से प्राप्त अनुमानों के अनुसार राजस्थान राज्य में 1969 में 42.9 जन्म प्रति हजार जनसंख्या की तुलना में 1972 में 42.3 जन्म प्रति हजार जनसंख्या आती है जिससे जन्म दर में 1.4 प्रतिशत की कमी दिखाई देती है ।

सोफ्ट कोक का मूल्य

8911. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सोफ्ट कोक के फुटकर मूल्य में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सोफ्ट कोक के थोक भावों में भी वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) इस वर्ष के दौरान कोयला उत्पादकों द्वारा सोफ्ट कोक के मूल्य नहीं बढ़ाए गए है परन्तु रेल भाड़, माल के लदान/उतार आदि के प्रभार में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर, कुछ राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्र में सोफ्ट कोक के खुदरा मूल्य बढ़ा दिए हैं ।

हेवी इंजिनियरिंग (इंण्डिया) लिमिटेड तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विलय

8912. श्री पी० गंगादेव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इंजीनियरिंग (इण्डिया) लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विलय के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : संभवतः इसका संबंध हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड से है, जिसका जनवरी, 1974 से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ औपचारिक रूप से विलय कर दिया गया है।

पैट्रोलियम गैस के मुकाबले में कोयला गैस का सस्ता होना

8913. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में कोयला गैस में संयंत्रों की स्थापना के बारें में 18 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7220 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या कोयला गैस पेट्रोलियम गैस से अधिक सस्ती है ; और

(ख) क्या इससे तेल संकट की समस्या का समाधान होगा और यदि हां, तो किस हद तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला गैस की लागत कोयले की मांग किस्म और आकार खानों से गैस संयंत्रों को और/या गैस संयंत्रों से उपभोक्ता केन्द्रों को गैस बनाम कोयले की ढूलाई की मितव्ययिता, दिए गए क्षेत्रों में गैस और/या ठोस इंधन की मांग के स्तर तथा उर्जा प्रति-स्थापन के विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर होगी। सामान्यतः तरल पैट्रोलियम-गैस के प्रतिस्थापन के रूप में कोयला गैस का तभी उपयोग किया जाएगा जब ऐसा करना तुलनात्मक रूप से सस्ती दर पर संभव होगा। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना की अर्थवत्ता विशेष रूप से तय की जाएगी। फिलहाल इस पर अध्ययन हो रहा है।

(ख) पैट्रोलियम पदार्थों की वजाए कोयला गैस या अन्य प्रतिस्थापनों के अपनाने का क्षेत्र सीमित है। इस प्रकार तेल संकट से उत्पन्न स्थिति से छुटकारा पाने की संभावना से पेट्रोलियम, पदार्थों के प्रतिस्थापन के लिए यद्यपि विभिन्न उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है किंतू उनसे समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकेगा।

देश में पंजीकृत कारखाने

8914. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या कितनी है ?

श्रम-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : नवीनतम उपलब्ध सूचनानुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत वर्ष 1971 के दौरान पंजीकृत किए गए कारखानों की संख्या 80,996 (अनन्तिम) थी।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में डाक्टरों और जनसंख्या के बीच अनुपात

8915. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में डाक्टरों एवं जनसंख्या के बीच अनूपात क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान इस विषमता को दूर करके वहां डाक्टरो और जनसंख्या के बीच अनुपात को नगरीय क्षेत्र में विद्यमान अनुपात के बराबर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों और आबादी के अनुपात के अलग-अलग आंकडे उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1972-73 के अनुमानों के अनुसार देश में समुचा अनुपात 1 : 4370 है।

(ख) पांचवी योजना के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक स्वास्थ्य सेवाएं देने तथा प्रादेशिक असंतुलन को सही करने पर बल दिया जायेगा। डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने को आकृष्ठ करने के लिए भारत सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने निम्नलिखित कदम उठाये है :—

भारत सरकार :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के डाक्टरों को जिन्हें अलाभकारी क्षेत्रो में काम करना पड़ता है, 150 रुपये प्रति मास का विशेष भत्ता दिया जाता है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें :

(1) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों के लिए समान काडर बनाना।

(2) ग्रामीण भत्ता, परिवहन सविधायें, मुफ्त सुसज्जित मकानों जैसे सभी प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषतः इमारतों और रिहायशी मकानों जैसी भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को सहमत सेवा-निवृत्त डाक्टरों की पुनः नियुक्ति

(5) अग्रिम वेतन-वृद्धियां की संस्वीकृति (गुजरात राज्य में)

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था।

(7) कुछ राज्य सरकारों ने मेडिकल छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित अवधि तक सेवा करने के लिए बाध्य करने हेतु छात्रवृत्तियां/वृत्तिकाओं की पेशकश की है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का राज्य-वार लक्ष्य

8916. श्री शिव नाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लक्ष्य क्या थे और प्रत्येक राज्य की उपलब्धि क्या थी; और

(ख) इन वर्षों के दौरान हम जनसंख्या वृद्धि पर (प्रति सहस्त्र) किस सीमा तक रोक लगाने में सफल हुए है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1969-70 से 1973-74 तक (अप्रैल 1973 से फरवरी, 1974 तक) की अवधि के लिये अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6892/74**]

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य के फलस्वरूप अनुमान है कि 1969 में जो जन्म दर लगभग 39 प्रति हजार थी वह घट कर 1973-74 के अन्त तक 35.6 प्रति हजार तक हो गई है। भारत के महापंजीयक की नमूना रजिस्ट्रेशन योजना द्वारा उपलब्ध अनुमानों के अनुसार मृत्यु दर जो 1969 में 17.6 प्रति हजार थी, घट कर 1972 में 16.9 तक हो गई है। इस प्रकार अनुमान है कि 1969 में जो स्वाभाविक वृद्धि दर लगभग 21.4 प्रति हजार थी वह घट कर 1972 में 19.6 प्रति हजार तक हो गई है जिसके परिणामस्वरूप 1969 से 1972 तक की अवधि में लगभग 8 प्रतिशत की कमी होने का पता चलता है।

रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई संयंत्रों की क्षमता

8917. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में रूरकेला, दुर्गापूर और भिलाई इस्पात संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्यों की कुल क्षमता कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि में तीनों इस्पात संयंत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इन संयंत्रों में अधिकारी एवं गैर अधिकारी संवर्ग में कुल कितने कर्मचारी थे; और

(घ) उन तीनों संयंत्रों में प्रशासनिक व्यय कितना हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की अवधि में भिलाई, दुर्गापूर और राउरकेला इस्पात कारखानों की वार्षिक निर्धारीत क्षमता, इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात के वार्षिक लक्ष तथा वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

(हजार टन)

	इस्पात पिण्ड			विक्रेय इस्पात		
	भिलाई	दुर्गापूर	राउरकेला	भिलाई	दुर्गापूर	राउरकेला
निर्धारित क्षमता	2500	1600	1800	1965	1239	1225
1971-72						
(क) लक्ष्य .	2200	1150	1400	1720	877	999
(ख) वास्तविक	1953	700	823	1568	432	597
1972-73						
(क) लक्ष्य .	2250	1000	1250	1790	729	889
(ख) वास्तविक .	2108	723	1177	1746	477	765
1973-74						
(क) लक्ष्य .	2250	1000	1300	1790	774	875
(ख) वास्तविक	1894	776	1081	1680	375	736

(ग) भिलाई दुर्गापूर तथा राउरकेला इस्पात कारखानों में 31 दिसम्बर 1973 को स्थायी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

भिलाई इस्पात कारखाना	48,993
दुर्गापूर इस्पात कारखाना	31,028
राउरकेला इस्पात कारखाना	34,954

(घ) वर्ष 1972–73 में कर्मचारियों को की गई कुल अदायगी तथा उनके लिये की गई व्यवस्था इस प्रकार है :–

	(करोड रुपये)
भिलाई इस्पात कारखाना	35.6
दुर्गापूर इस्पात कारखाना	22.0
राउरकेला इस्पात कारखाना	24.5

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का रज्जु मार्ग

8918. **श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्नपुर से चसनाल खान तक इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के रज्जु मार्ग के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई;

(ख) क्या इस निर्माण कार्य में पश्चिम जर्मनी का कोई दल हिस्सेदार था; और

(ग) क्या रज्जु मार्ग के निर्माण में किए गए भारी खर्च तथा कदाचारों के बारे में कोई आरोप लगाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लगभग 8 करोड रुपये ।

(ख) रज्जुपथ का निर्माण पश्चिम जर्मनी की एक फर्म मेसर्स पोलिग हैगकेल बलीचर्ट (Messrs POHLI GHECK EL-BLEICHERT) द्वारा किया गया था । ये निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार थे न कि हिस्सेदार ।

(ग) भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । आरम्भ में रज्जुपथ पर लगभग 4.8 करोड टेल रुपये खर्च आने का अनुमान था और यह काम 42 महीनों में पूरा होने की सम्भावना थी तथापि भूमि अर्जन तथा अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब के कारण इसके निर्माण कार्य में 20 महीनों की देरी हो गई और इस की लागत बढकर लगभग 8 करोड रुपये हो गई । रज्जुपथ का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है । इसलिए ठेके के मूल्य का 2 ढाई प्रतिशत रख लिया गया है । अब पश्चिम जर्मनी की फर्म ने अपने इंजीनियरों का एक दल भेजा है जो रज्जुपथ को निर्धारित समय में ठीक हालत में लायेगा जिससे यह निर्धारित क्षमता पर कार्य कर सके ।

Research in Ayurvedic Contraceptive Medicines

8919. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have not given any thought to the question of undertaking research in Ayurvedic contraceptive medicine; and

(b) if so, the reasons therefor and in case any research has been conducted, the names of the research institutes as also the results achieved?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No. All encouragement is being given for research in ayurvedic medicine for contraceptive use.

(b) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy is coordinating the research in contraceptive effects of ayurvedic medicines.

Clinical and Chemico-pharmacological screening of drugs claimed to possess contraceptive potentiality have been taken up for study by the Council.

Clinical trials are being conducted on the following drugs:

(1) Vidangadi Yoga (Ayurveda)

(2) Talisadi Yoga (Ayurveda)

(3) Pippalayadi Yoga (Ayurveda)

(4) Chinghi — Majaun-e-najah (Unani).

Facilities to Patients by Willingdon Hospital, Delhi

8920. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the facilities provided to the patients in the Willingdon Hospital in Delhi fall short of their requirement; and

(b) whether Government have under consideration a scheme for increasing these facilities and if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No.

(b) Does not arise.

Shortage of Medicine and Surgical Instrument in Willingdon Hospital, New Delhi

8921. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether there is shortage of special medicines needed for surgical treatment and modern surgical instruments in the Willingdon Hospital, New Delhi;

(b) whether any enquiry has been made from the Head of the Surgical Department in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof and the steps being taken by Government therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Appointment of Nurses in Government Hospitals

8922. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether nurses are not appointed in all the Government hospitals of the country for looking after the patients there; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to bring parity in this regards?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) Nurses are appointed in all the Government hospitals of the country for looking after the patients there.

(b) Does not arise.

Steps to Provide Jobs to Ex-servicemen

8923. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1328 on the 28th February, 1974 and state the steps being taken by Government to provide them employment and if no such steps are being taken, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): The Government have already taken steps to provide employment to ex-servicemen. 10% of vacancies in Class III services/posts and 20% of vacancies in Class IV services/posts under the Central Government have been reserved for ex-servicemen. The overall limit of reservations for vacancies to be filled in any recruitment year, including reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and ex-servicemen has been raised to 50% and the additional vacancies so created are to be given to ex-servicemen, with priority to disabled ex-servicemen. Relaxations of educational qualifications for recruitment to Class IV posts and relaxation in age have also been given.

The Bureau of Public Enterprises have also directed the public sector undertakings under the Central Government to reserve 17½% of Class III vacancies and 27½% of Class IV vacancies under them for ex-servicemen. The nationalised banks have been advised to make reservations on Similar lines.

Most of the State Governments have made varying percentage reservations for ex-servicemen.

In the background of the general situation of unemployment in the country, the scope for providing direct employment to ex-servicemen is somewhat limited. Therefore, greater emphasis is being laid on schemes of self-employment for resettling ex-servicemen.

वैगन निर्माण एककों का उत्पाद-मिश्र

8924. श्री देवेन्द्र नाथ महाता: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैगन निर्माताओं ने अपने उत्पाद मिश्र में विविधीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एककवार ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): जैसे (क) तथा (ख) रेलवे वैगन के अनेक निर्माता एक या एक से अधिक संबद्ध वस्तुओं जैसे इस्पाती ढांचा निर्माण क्रेनों आदि का उत्पादन भी करते हैं। रेलवे वैगन के अतिरिक्त निर्माताओं द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में रेलवे वैगन के उन निर्माताओं की सूची जो वैगनों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं ।

क्रमांक	फर्म का नाम	रेल के मालडिब्बों के अतिरिक्त निर्माण की जाने वाली अन्य वस्तुएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मे० आर्थर बटलर एण्ड कं० (इण्डिया) लिमिटेड, 11, ब्रेबॉर्न रोड, कलकत्ता	कल्टीवेटर प्लग, चीनी मशीनों	बन्द
2	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०, हाइड रोड, किडउरपूर, कलकत्ता–43	ग्रे आयरन कास्टिंग, क्रेनें, रोड रोलर, इस्पाती गढी हुई वस्तुएं, ढांचा निर्माण	
3	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी लि०, 21, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	इस्पाती ढ़ांचा निर्माण	
4	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मोकामा एकक		बन्द
5	बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटड, 12 मिशन रो, कलकत्ता	लोहे की ढली वस्तुएं, चेन पुल्ली ब्लाक, हायस्टस स्माल टूल, इस्पाती गढो वस्तुएं, इस्पाती ढांचे, वाल्व आदि ।	
6	सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यू० कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर (राजस्थान)	ट्रेनें, पेनस्टाक, इस्पाती ढली हुई वस्तुएं, ढांचे, जमकीली छडें	
7	हिन्दुस्तान जनरल इडस्ट्रीज लिमिटेड, कुतुब रोड, नवीकरीम, नई दिल्ली	इस्पाती ढांचे	
8	इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, 12 मिशन रो, कलकत्ता	ढांचे, गढी हुई वस्तुए स्प्रिंग, अलोह वस्तुए	
9	जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 63, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	ढांचे, रोड रोलर, मशीनो औजार, मिट्टी हटाने के उपकरण, ट्रेनें, ढलो वस्तुएं कागज मशीनें	
10	के० टी० स्टील एण्ड (फ्र०) लिमिटेड, ब्रोक स्ट्रीट, दाना बंदर, पो० आ० बाक्स नं० 5052, बम्बई	ट्रेलर, ढांचे, गढी वस्तुए, ढली वस्तुएं	
11	रैलेंगोज लिमिटेड, सेवरी, बम्बई–15	केवल रेल के माल डिब्बे	बन्द
12	मार्डन इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद (गाजियाबाद)	ढांचे, गढी वस्तुएं, ढली वस्तुएं	

क्रमांक	फर्म का नाम	रेल के मालडिब्बों के अतिरिक्त निर्माण की जाने वाली अन्य वस्तुएं	
(1)	(2)	(3)	(4)
13	रेमण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 12 ब्रेबार्न रोड, कलकत्ता	ढांचे	
14	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि० जोटी रोड, कानपुर (उ० प्र०)	केवल रेल के माल डिब्बे	बन्द
15	सदर्न स्ट्रक्चरल्स, सीडीसी बिल्डिंग, 19, कैथेडरल रोड, मद्रास–6	ढांचे, क्रेनें	
16	टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन, बेलधारिया, 24, परगना।	इस्पाती ढली वस्तुएं, मशीनी औजार, औद्योगिक मशीनें, रेल इंजन के फालतू पुर्जे, बायलर	

1974-75 में जैसप एण्ड कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य

8925. श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड का 1974–75 का उत्पादन लक्ष्य क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जेसप एण्ड कम्पनी का 1974–75 का उत्पादन लक्ष्य 34.17 करोड रुपये का है।

सीमा सड़क महानिदेशालय में बड़े पैमाने पर छंटनी

8926. श्री पी० के० घोष :

श्री कार्तिक उरांव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सडक महानिदेशालय में बडे पैमाने पर छांटनी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या टर्नर, फिटर, पायोनियर जैसे 1,000 से अधिक कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त किए जाने के बारे में नोटिस दे दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को, जिन्होंने इस संगठन में तीन से अधिक वर्षों तक सेवा की है, वैकल्पिक रोजगार देने/उनको खपाने किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सीमा सडक महानिदेशालय में बडे पैमाने पर छंटनी नहीं हुई है। तथापि, जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स से विभिन्न वर्गों के कुछेक कर्मचारियों को निम्नलिखित कारणों से सेवा मुक्त किया गया है :—

(1) पायनीर के स्थान पर आकस्मिक श्रमिकों को लगाना।

(2) प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 122 की रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों के अनुसरण में खर्च को घटाने के लिए जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स की यूनिटों का पुनर्गठन ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) महानिदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण) और पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशक तथा गृह मंत्रालय और निर्माण कार्य करने के लिए मजदूरों को रोजगार देने वाली अन्य एजेन्सियों के परामर्श में उनके लिए वैकल्पिक रोजगार पाने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए आधुनिकतम परिचालन अनुसंधान तकनीकों का उपयोग

8927. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों एवं औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनका विचार आधुनिकतम परिचालन अनुसंधान तकनीकों का उपयोग करने का है; और

(ख) परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा प्रबन्ध के परिचालन अनुसंधानों के उपयोग के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सम्भवत: इसका संबंध 'परिचालन अनुसंधान' तकनीकों से है। यद्यपि परिचालन अनुसंधान परियोजना के निर्धारण में विशेषरूप से सुसम्बद्ध नहीं है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक आधुनिक प्रबन्ध तकनीक है। प्रबन्ध तंत्र के रूप में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण मे आने वाले कुछ उद्यमो में चुने हुए क्षेत्रों में परिचालन अनुसंधान का प्रयोग प्रारंभ किया गया है । इनका प्रयोग अन्य क्षेत्रों तथा अन्य उद्यमों तक भी बढाने का विचार है। यदि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आन वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य उद्यम कमी की समस्याओं जैसे बिजली, कच्चा माल, परिवहन सुविधाओं में कमी और कुछ मामलों में असंतोषजनक श्रमिक संबंधी की समस्याओं पर काबू पा ले तो परिचालन अनुसंधान और अन्य प्रबन्ध तकनीको का प्रयोग बढाया जा सकता है ।

राजस्थान में लिग्नाइट निक्षेपों का निकाला जाना

8928. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री राजस्थान में खनिज निक्षेपों के बारे में 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इस खनिज को शीघ्रता से निकालने के लिए खनिज खोज निगम से सहायता मांगी है; और

(ख) उत्तरी क्षेत्र में बिजली पैदा करने के लिए इस खनिज को निकालने के कार्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में न लिए जाने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बीकानेर के पास पालना के लिग्नाइट निक्षेपो के समुपयोजन के बारे में खनिज समन्वेषण निगम को राजस्थान सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है । किंतु राज्य सरकार ने निगम से परामर्श

अवश्य किया था और एक संयुक्त दल इन निक्षेपों से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

(ख) इन निक्षेपों को आर्थिक उपादेयता की भलीभांती जांच की जाने के बाद ही केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा पालना के लिग्नाइट भंडारों के समुपयोजन के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है ताकि ताप बिजली का उत्पादन किया जा सके।

लोह अयस्क से गुटके के रुप में इस्पात बनाने का कारखाना

8929. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लौह अयस्क से इस्पाती गुटके के संयंत्रों टेंडरो में कोई आधार पर स्थापित करने को निविदा पर निर्णय लेने के लिय कितना समय लेता है; और

(ख) निर्णय लेने मे विलम्ब के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय खान विकास निगम ने दोनोमलाई में एक रेलेटाइजेशन संयंत्र लगाने के लिए दिसम्बर, 1973 मे टेंडर मांगे थे टेन्डरों की प्राप्त की अन्तिम तारीख अब 30 सितम्बर, 1974 है। उस तारीख के बाद टेन्डरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

विजय नगर इस्पात कारखाने में पूंजी निवेश

8930. श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री के० मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान विजयनगर इस्पात कारखाने मे किये जाने वाले पूंजी निवेश के बारे मे केन्द्रीय सरकार ने अपने निर्णय को घोषणा अभी तक नहीं की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार पांचवी योजना के ड्राफ्ट में (विशाखापत्तनम और विजनगनर इस्पत कारखानों के लिए नियत 250 करोड रुपये के प्रावधान मे से) कम से कम 125 करोड रुपये खर्च करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या है तथा इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसोदें में विजयनगर इस्पात परियोजना के लिए 125 करोड रुपये के पूंजी निवेश का प्रस्ताव है।

यदि संसाधन उपलब्ध हुए और वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की गई तो पांचवी योजना में इस परियोजना के लिए की गई व्यवस्था का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकेगा।

(ग) पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने विजयनगर में अन्ततः लगभग 30 लाख टन वार्षिक क्षमता का इस्पात कारखाना लगान के इस्पात विभाग के प्रस्तावों का समर्थन किया था।

आशा है स्टील ऑथारिटी आफ इंडिया लि० शीघ्र ही विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने का काम हाथ में लेगी। इस प्रतिवेदन में सभी सम्बन्धित ब्यौरा होगा जिसमें यह भी बताया जाएगा कि यह कार्य कितने चरणों में पूरा किया जाएगा। इस बीच भूमि अर्जन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास का अध्यन कार्य चल रहा है।

आई० यू० सी० डी० आपरेशनों से कैंसर

8931. **श्री के० रामकृष्णा रेड्डी :** क्या **स्वाथ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरोध का उपयोग करने वालों तथा आई० यू० सी० आपरेशन कराने वाले को कैंसर की बीमारी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की समय समय पर जांच करने का है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर के कीड़ों का पता लगाने के लिए परीक्षण

8932. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगियों में कैंसर के कीडो का पता लगाने के लिये कुछ त्वरित परीक्षा निश्चित किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन तथा उसकी मांग

8933. **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन पृथक पृथक कितना कितना रहा;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास के लिए कुल कितने इस्पात की आवश्यकता है; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1971–72 से 1973–74 की अवधि में मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन दिखाया गया है : —

(हजार टन)

कारखाना	विक्रेय इस्पात का उत्पादन		
	1971–72	1972–73	1973–74
भिलाई .	1568	1746	1680
दुर्गापुर .	432	477	375
राउरकेला .	597	765	736
टिस्को .	1387	1458	1200
इस्को .	493	347	359
कुल	4477	4793	4349

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973–74 में इस्पात की घरेलू मांग 66 लाख टन होने का अनुमान था। वर्तमान अनुमानों के अनुसार पांचवी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1978–79 तक साधारण इस्पात की घरेलू मांग लगभग 98 लाख टन होगी।

(ग) वर्तमान इस्पात कारखानों का उत्पादन बढाने के लिए किए गये तथा किये जा रहे उपायों के अलावा बोकारो इस्पात कारखाने, भिलाई इस्पात कारखानों की 25 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता से 40 लाख टन पिण्ड क्षमता के विस्तार वर्तमान तथा स्थापित की जा रही विद्युत भट्टियों से अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है ।

हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के उत्पादन में वृद्धि

8934. **श्री कार्तिक उरांव :**

श्री जगदीश नारायण मंडल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के उत्पादन में बृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो इस निगम के विभिन्न संयंत्रों की निर्धारित क्षमता क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन में वास्तव में कितनी सफलता हुई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीन संयंत्रों की निर्धारित क्षमता जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिया गया है, निम्नप्रकार है :—

(1) हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	1,05,000	मी० टन
(2) फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	1,16,671	,,
(3) हैवी मशीन टूल प्लांट	10,000 (278 मशीनें)	,,

(ग) गत तीन वर्षों में तीन संयंत्रों में हुआ वास्तविक उत्पादन मूल्यों में निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1971-72	1972-73	1973-74 (अनन्तिम)
1. फाऊंड्री फोर्ज प्लांट	1099.64	1213.49	1751.27
2. हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	2940.81	3742.72	4290.61
3. हेवी मशीन टूल प्लांट	126.26	146.37	

ट्रकों द्वारा सस्ती कीमत पर कोयले की ढुलाई

8935. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति दिन लगभग 200 ट्रकों द्वारा 'सोफ्ट कोक' काफी कम कीमत पर कोयला खानों से पश्चिम बंगाल के लिये ढोया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है और उसे किस कीमत पर बेचा जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल को सडक द्वारा लगभग 90,000 टन सोफ्ट कोक प्रति मास भेजा गया तथा दिसंबर 1973 में वह निम्नलिखित दरों पर बेचा गया :—

आसनसोल में	रु० 5.00 और रु० 4.90	प्रति 40 किलो
कलकत्ता में	रु० 7.10 और रु० 7.31	
हावडा में	रु० 5.80 और रु० 5.94	

कलकत्ता में कोल माइन्स आथारिटी आफ इण्डिया का मुख्यालय

8936. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में कोल माइन्स आथारिटी आफ इण्डिया के मुख्यालय की स्थापना के पक्ष में क्या क्या कारण है; और

(ख) रांची में कोल माइन्स आथारिटी आफ इण्डिया के मुख्यालय की स्थापना के विरोध में क्या क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कलकत्ता परम्परा से ही वाणिज्य केन्द्र रहा है, जहां से राष्ट्रीयकरण के पहले से ही कोयला खनन उद्योग का नियमन होता रहा है । हाथ में ली गई कोयला खानों के लिए, जो असम से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है, सहज मार्ग सुविधा संचालन सुविधा तथा उनके प्रबंध के प्रति प्रशासनिक सुविधा के कारण कोयला खान प्राधिकरण का मुख्यालय रांची की बजाए कलकत्ता में रखना अधिक उपयुक्त समझा गया ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा ढांचे बनाने के कार्य को स्वयं न करना

8937. श्री कार्तिक उरांव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची ढांचा बनाने के कार्य को बाहर से करा रही है जब कि उस में ढांचा बनाने वाली एक शाप है जिसकी वार्षिक क्षमता 25,000 टन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) उन ढांचों को बनाने का कार्य, जिन्हें प्रारंभ करना भारी इंजीनियरिंग निगम के लिए लाभदायक नहीं है, निगम से सम्बद्ध सहायक एककों से कराया जा रहा है। बाहर वालों सें ढांचा बनाने का कोई भी काम नहीं कराया जाता है ।

Ayurvedic Medical Colleges in the Country

8938. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the places in the country where education in Ayurvedic system of medicine is imparted;

(b) the duration of its courses and the name of the degree awarded after completion of the course;

(c) the qualification required for admission to these courses and the rules governing the admission and whether knowledge of Sanskrit is also compulsory alongwith Science subjects for admission to these courses; and

(d) whether Ayurvedic doctors are also given the same pay-scales that are given to M.B.B.S. doctors and if not, the reasons for not giving the same pay-scales to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d) The information is being collected and will be furnished as soon as it becomes available.

नसबन्दी के परवर्ती प्रभावों के बारे में अनुसंधान

8939. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबन्दी से, यदि इसका आपरेशन पूर्ण कुशलता से न किया जाए, तो मानसिक रोग हो जाते है तथा पागलपन के दौरे पडने लगते है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या नसबन्दी के परवर्ती प्रभाओं के बारे में अनुसंधान किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या नसबन्दी तथा वन्ध्यकरण के पश्चात बहुत सी मौते हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं।

(ख) नसबन्दी के परवर्ती प्रभावों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किये जा रहे हैं।

(ग) नसबन्दी और वन्ध्याकरण आपरेशनों के बाद कुछ मौतों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

पश्चिम बंगाल में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का परियोजना प्रतिवेदन

8940. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री हाजी लुत्फल हक :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के बारे में कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठते।

जैसप एण्ड कम्पनी के उत्पादन में विविधीकरण

8941. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेसफ एण्ड कम्पनी के एककों में विविधीकरण कार्यक्रम के बारे में पांचवीं चवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने के विविधीकरण कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जैसप एण्ड कम्पनी के विविधीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के लिये 15 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) जैसप एण्ड कम्पनी के विविधीकरण और विस्तार कार्यक्रम में मोटे तौर पर पेपर मशीनरी, रोड रोलर, एरियल रोपवे, क्रेनें 'क्राउलर' टैक्टर आदि के निर्माण की परियोजनायें आती है।

Vishwakarma Jayanti

8942. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to celebrate the Vishwakarma Jayanti as a National Labour Day and to declare a labour holiday in factories and private institutions; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Expenditure on Amar Jawan Jyoti at India Gate, New Delhi

8943. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state the total money spent on burning the Amar Jawan Jyoti at India Gate since the 26th January, 1972 to-date?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): Rs. 1,47,116.08; upto 25-4-74.

Casual Labourers in Coal Mines

8944. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the approximate number of casual labourers working in the coal mines at present;

(b) the future scheme and policy of Government for regularising the casual labourers; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में चलाए गए मुकदमों का वापस लिया जाना

8945. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामलों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए चलाए गए मुकदमों को वापस लिया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे मुकदमों को वापस लेने के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या इस दृष्टिकोण से भेदभाव होता है जो न तो अपेक्षित है और न ही श्रम सम्बन्धों के लिए हितकर है; और

(ग) भेदभाव की सम्भावना को दूर करने के लिए ऐसे मामलों के बारे में एक निश्चित कसौटी बनाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रखी जायेगी।

श्रम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

8946. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अधिकारियों के लिए भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली में दो सप्ताह का अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ;

(ख) उक्त संस्थान में ऐसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम का अब तक कितने श्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और प्रशिक्षणार्थियों द्वारा यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वर्ष में सामान्यतः दो बार आयोजित किए जाते है।

(ख) 196।

(ग) किया गया कुल खर्च 2521 था। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कए गए यात्रा संबंधी खर्चों की लागत का वहन उन्हें भेजने वाले संबंधित प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है और वह मालूम नहीं है।

भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

8947. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित त्री सप्ताह को अवधि के छोटे पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकतर प्रशिक्षणार्थियों ने उच्चतर योग्यता प्राप्त कर ली है, देश के अन्य संस्थानों में दीर्घ अवधि के व्यापक तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पास कर रखे है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है तथा क्या यह होने वाले खर्च की तुलना में लाभप्रद तथा उसके अनुरूप है; और

(ग) इसको उपादेयता तथा इस संबंध में खर्च में कमी किए जाने की आवश्यकता के बारे में अध्ययन किए जाने के लिए क्या कदम उठाये है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) दो सप्ताह वाला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केन्द्रीय पूल के श्रम अधिकारियों और वैसा ही हैसियत में नियुक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लिए है और इसे उनकी अर्हताओं और तजुर्बे और उन कार्यों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो उन्हें करने पडते है। अन्य बातों के साथ साथ यह उन्हें अपने विचारों और तजुर्बों के आदान प्रदान के योग्य बनाता है जिस से उनकी कार्यपटुता और क्षमता बढती है। ये पाठ्यक्रम उपयोगी है और जो थोडा सा खर्च इनमें अन्तर्गस्त है, वे उसके अनुरूप है।

भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान में नियुक्तियां

8948. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम अध्ययन सस्थान को केन्द्रीय श्रम आयुक्त का एक क्षेत्रीय कार्यालय माना जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में कोई विचार नहीं किया जा रहा;

(ग) क्या संस्थान में उन व्यक्तियों को नियुक्ति की जाती है जो दिल्ली में रहना चाहते हैं अथवा जिन्हें दण्ड देना हो उन्हें फील्ड से वापस बुलाकर वहां नियुक्त किया जाता है; और

(घ) इस संस्थान के आरम्भ होने से इसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टरों के पदों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्ति को गई है, उनकी अध्यापन में कितनी रुचि है तथा संक्रमण

काल में इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(ख) संस्थान में नियुक्तियां लोक हित को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अब तक छः क्षेत्री श्रमायुक्तों और चौदह सहायक श्रमायुक्तों ने उप/सहायक निदेशकों के रूप में काम किया है । नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन श्रम प्रशासन के क्षेत्र में उनके परिपक्व तजुर्बे और प्रशिक्षण के कार्य में उनकी अभिरुचि के आधार पर किया जाता है ।

डिएगो गार्सिया द्वीप के बारे में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता

8949. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिएगो गार्सियां द्वीप की जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है और वह कहां स्थित है; और

(ख) द्वीप के उपयोग के बारे में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : दिएगो गार्शिया हिंद महासागर में 7 डिग्री अक्षांश पर और 18 मिनट दक्षिण में तथा 72 डिग्री देशांतर रेखा पर और 26 मिनट पूर्व में पड़ता है। यह भारत के दक्षिणी छोर से लगभग 1000 मील के फासले पर है। इसका भूक्षेत्र 11 वर्ग मील है और पहले इसमें लगभग 300–500 व्यक्तियों की आबादी थी जिन्हें अब कही और स्थान पर हटा दिया गया है ।

(ख) दिसम्बर, 1966 के आंग्ल-अमरीकी करार के अनुसार ब्रिटिश हिंद महासागर का क्षेत्र (दिएगो गार्शिया सहित) "दोनों सरकारों के रक्षात्मक उद्देश्यों क लिए आवश्यकता के अनुसार सुलभ होगा"। अक्तूबर 1972 में एक और जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके अनुसार अमरीका की सरकार को "सीमित नौ सैनिक संचार सुविधा" का अधिकार मिल गया था। 4-2-1974 को यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऐलान किया कि वे दिएगो गार्शिया में सैनिक सुविधाओं के विस्तार के अमरीकी प्रस्ताव से सिद्धांत रूप में सहमत है। एक औपचारिक करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीयों का निष्कासन

8950. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अफ्रीकी देशों के नाम क्या है, जिन्होंने भारतीयों को निष्कासित कर दिया है अथवा जिन्होंने उनके वहां निवास को मुश्किल बना दिया है;

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान इनमें से प्रत्येक देश को छोड़ कर आने वाले भारतीयों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से किन देशों ने ऐसे भारतीयों को मुआवजा दिया है और उसकी मात्रा कितनी है; और

(घ) इनमें से कितने शरणार्थियों को भारत में बसाया जा चुका है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि सदन को मालूम है, आजादी पा लेने के बाद बहुत से अफ्रीको देश वाणिज्यिक, आर्थिक और रोजगार के अवसर धीरे धीरे अपने राष्ट्रिकों के लिए ही सीमित करते जा रहे हैं। भारत सरकार को आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार प्रभावित गैर राष्ट्रिकों को व्यवस्थानुसार चरणबद्ध किया जाएगा और उन्हें अपने कारोबार समेटने के लिये पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा तथा वाजिब राशि में आस्तियों को वापस ले जाने की इजाजत दी जाएगी ताकि व कहीं फिर बस सकें। भारतीयों के परेशानी की हालत में रहने की कोई रिपोर्ट नहीं है, यह बात उगांडा में हुई थी जहां 1972 में भारतीयों को अन्य एशियावासियों के साथ थोड़े समय के नोटिस पर निकाल दिया गया था। उगांडा के निष्कासित ऐसे भारतीयों की संख्या 4129 थी। भारत सरकार उगांडा के अधिकारियों के साथ न्यायोचित मुआविजा दिए जाने के बारे में निरंतर संपर्क बनाए हुए है और उसे सर्वोच्च स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया गया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अधीन, इस प्रकार उगांडा से सभी निष्कासित भारतीय नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भारत में फिर से बसने के लिए सहायता दी जा रही है।

अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय डाक्टर एवं नर्स

8951. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा में कितने भारतीय डाक्टर एवं नर्सें सेवा कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र भेज दी जायेगी।

देश में विभिन्न अधिकरणों द्वारा चलाये जा रहे कुष्ठ रोगियों के अस्पताल

8952. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कुष्ठ रोगी हैं और उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) कुष्ठ रोग के कितने अस्पताल केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, कितनी राज्य सरकारों द्वारा और कितने विभिन्न मिशनों द्वारा चलाए जाते हैं, उन मिशनों के नाम तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन अस्पतालों को कुछ राज सहायता देती है; और यदि हां, तो कितनी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) कुष्ठ रोग एक जीर्ण रोग है जिसका पता कई वर्षों के पश्चात लगता है। इसलिए किसी क्षेत्र विशेष में वह किस रूप में फैला हुआ है इसका हिसाब इस रोग की व्यापकता-दर से लगाया जाता है न कि उसकी घटनाओं के आधार पर। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 32 लाख कुष्ठ रोगियों के होने का अनुमान है। सम्पूर्ण

भारत में इस रोग की व्यापकता दर 0.58 प्रतिशत है। इसकी राज्यवार व्यापकता दर इस प्रकार है :—

राज्य	कुष्ठ की व्यापकता दर (प्रतिशतता)
1. आन्ध्र प्रदेश	1.44
2. तमिलनाडु	1.90
3. बिहार	0.60
4. महाराष्ट्र	0.56
5. कर्नाटक	0.59
6. उड़ीसा	1.08
7. उत्तर प्रदेश	0.19
8. पश्चिम बंगाल	0.86
9. शेष राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र (जहां रोग कम फैलता है)	0.13

(ख) चिंगल पेट में एक ही अस्पताल है जिसे केन्द्रीय सरकार चलाती है। राज्य सरकारें 81 अस्पताल चला रही हैं। स्वैच्छिक संगठन जिनमें अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भी शामिल हैं 150 अस्पताल चला रहे हैं। कुछेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल इस प्रकार हैं :—

संस्थान का नाम	आयोजक और वित्त दाता
ई० एल० ई० पी० कुष्ठ नियंत्रण परियोजना, धर्मपुरी, जिला धर्मपुरी, (तमिलनाडु)	यूरोपियन फैड्रेशन आफ एण्टी लेप्रोसी एसोसिएशन, ब्रुसेल्स (बेल्जियम)।
नगर कुष्ठ नियंत्रण परियोजना, ग्रेटर मद्रास, तमिलनाडु।	जर्मन लेप्रोसी मिशन (पश्चिम जर्मन)।
कुष्ठ अन्तरंग रोगी संस्थान और पुनः स्थापना केन्द्र, कथपड़ी (तमिलनाडु) स्वीडीश लेप्रोसी मिशन अस्पताल, रामनदा, तमिलनाडु।	स्वीडीश मिशन (स्वीडन)।
कुष्ठ अनुसंधान और प्रशिक्षण एवं उपचार केन्द्र, आगरा, उत्तर प्रदेश।	जापान लेप्रोसी मिशन फार एशिया (जालमा)।
ई० एल० ई० पी० केन्द्र, धर्मपुरी कुष्ठ केन्द्र, पोलाम्बक्कम (तमिलनाडू)	डेमियन लेप्रोसी, फाउण्डशन (बेल्जियम)।
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर (तमिलनाडु)	लेप्रोसी मिशन, लण्डन। इसके अलावा भारत ऐसे अनेक अस्पताल, क्लिनिक है जो इस मिशन द्वारा चलाए जा रहे हैं।
जर्मन कुष्ठ केन्द्र, चेतपट (जिला उत्तरी आर्कोट) तमिलनाडु।	जर्मन लेप्रोसी सेन्टर (पश्चिम जर्मनी)।
लेप्रोसी सेन्टर इन तमिलनाडु	एम्मस स्वीस (स्वीटजरलैण्ड)।
कुष्ठ संस्थान, त्रिचुर (केरल)	डेम्यिन लेप्रोसी फाउण्डशन (बेल्जियम)।
बालीजापेटा, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश) और पांडिचेरी	फ्रेन्च एड सेन्टर (फ्रान्स)।

इनके अलावा अन्य अस्पताल भी हैं जिन्हें छोटे छोटे संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है।

(ग) राज्य के सरकारी अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती हैं। अलबत्तें, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाया जा रहे अस्पतालों को भवन निर्माण और उपकरण के लिए तदर्थ अनुदान दिए जाते हैं यदि उनका अनुरोध सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो। यह अनुदान मामले के गुण-दोष के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं।

डियागो गार्शिया द्वीप के बारे में मारीशस को दिये गये आश्वासन का ब्रिटेन द्वारा उल्लंघन

8953. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार भारत में मोरिशस के उच्चायुक्त ने यह कहा है कि ब्रिटन ने यह कहा था कि डियागो गार्शिया एक संचार केन्द्र होगा ;

(ख) इस द्विप का नौसैनिक अड्डे में बदला जाना करार का उल्लंघन होगा ;

(ग) क्या मारीशस का बिचार है कि यदि ब्रिटन आश्वासन को पूरा नहीं करता तो इस मामले को हेग स्थित विश्व न्यायालय में ले जाया जाए ताकि इसकी स्थिति का उल्लेख किया जा सके तथा इसके अधिकारों की पुष्टि हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने वह प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें मारिशस के हाई कमिश्नर का हवाले देते हुए कहा गया है कि "दियागो गार्शिया द्वीप ... केवल संचार का अड्डा होगा, आक्रमक सैनिक प्रतिष्ठान नहीं"।

(ख) सरकार को आश्वासन की शर्तों के बारे में पता नहीं है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में मारिशस की सरकार की मंशा के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) यह आश्वासन मारिशस की सरकार और यू० के० की सरकार के बीच का प्रश्न है। दियागो गार्सिया में नौसनिक अड्डे की स्थापना और उसके विस्तार के प्रश्न पर सरकार के विचार सुविदित हैं ; हमारा विश्वास है कि इससे क्षेत्र में नव तनाव और प्रतिद्वन्दिवताको वढ़ावा ही मिलेगा और यह हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए तटवर्ती राज्यों के लिए प्रयत्नों के विरुद्ध होगा।

भारत-पाक संघर्ष के दौरान शहीदों की प्रतिमाओं की पाकिस्तान द्वारा उठा ले जाया जाना

8954. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा ले जायी गयी शहीदों की कुछ प्रतिमाएं अभी भी पाकिस्तान के पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान से उन प्रतिमाओं को वापस करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सशस्त्र सेना शहीद भगत सिंह की समाधि से जो मूर्तियां उठा ले गई थी वे पाकिस्तान की सरकार ने 22 अप्रैल, 1974 को हमें लौटा दी है।

Strike in Delhi Cloth Mills and its Factories

8955. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of labour strikes that occurred in the Delhi Cloth Mills and in the factories working under it in Delhi during the last one year;

(b) the main demands of the labourers and the attitude of the management towards them; and

(c) the reasons why Government have not ended this dispute once for all by intervening in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) The attached statement summarises the available information as supplied by the Delhi Administration about the number and duration of strikes in the Delhi Cloth Mills and in the factories under its control during the period April 1, 1973 to April 29, 1974, and workers' main demands. The Industrial Relations Machinery of the Delhi Administration who were principally concerned have been holding discussions with the parties in an effort to promote amicable settlements. In the case of the strike in the Delhi Textile Mills and the DCM Chemical Workers in April-May 1973, the Union Deputy Labour Minister and the Union Minister of Home Affairs had also lent their good offices to resolve the matter.

STATEMENT

S. No.	Name of the factory	Period of strike	Main demands
1	2	3	4
1	Delhi Cloth Mills	11-4-73 to 5-5-73	Increase in D. A. and pay ment of interim relief.
2	Swatantra Bharat Mills	Do.	Do.
3	D. C. M. Silk Mills	Do.	Do.
4	S. B. M. Synthetics	Do.	Do.
5	D. C. M. Chemical Works	29-4-73 to 6-5-73	In support of the strike of the workers of the Textile Mills.
6	D. C. M. Chemical Works	12-10-73 to 231-10-73	40 demands including demands for increase in wages, D.A. etc.
7	Delhi Cloth Mills	4-12-73 (Night) to 23-12-73(Moring) when a lock-out was declared wihch was lifted on 14-1-74.	Demand regarding full wages for the strike period in April May 1973.
8	Swatantra Bharat Mills	22-12-73 to 13-1-74.	Do.
9	D. C. M. Silk Mills	Do.	Do.
10	D. C. M. Synthetics	Do.	Do.
11	Swatantra Bharat Mills	12-12-73	Token strike support of striking workers of D.C.M.
12	D. C. M. Silk Mills	Do.	Do.
13	S. B. M. Synthetics	Do.	Do.

Measures to Avert Labour Strikes

8956. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Labour** be pleased to state the measures bering adopted by Government to avert labour strikes in the public sector undertakings?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Industrial Relations Machinery at the Centre and in the States continues to make efforts in their respective spheres to avert labour strikes in both the public and private sector undertakings through informal mediation, conciliation and adjudication or arbitration as necessary, under the existing statutory machinery and voluntary arrangements. Government have also been holding discussions with the interests concerned, including the Employers' and Workers' Organisations to evolve agreed measures to secure improvement in the industrial relations system.

Employment to Disabled Soldiers and Dependents of killed Soldiers

8957. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of disabled soldiers and the dependents of soldiers killed who have been provided with employment till December, 1973;

(b) the number of the disabled soldiers and the dependents of soldiers killed separately who could not be provided with employment so far; and

(c) the time by which they are likely to be provided with employment?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) 1513 service personnel disabled in 1962, 1965 and 1971 operations and 387 war widows and dependents of those killed in these operations have been provided with employment upto December 1973.

(b) 259 disabled servicemen of 1962, 1965 and 1971 operations have not been provided with employment so far. The above figure does not include 49 disabled servicemen of 1971 operations who are still undergoing medical treatment in various hospitals.

602 widows and dependents of those killed in the above operations are still awaiting employment.

(c) It is not possible to indicate a definite time by which all such persons can be provided with employment. Identification of jobs for disabled is a continuous process and is dependent on the availability of vacancies and their suitability. So far as war widows/dependents of those killed in action are concerned, the primary measure of rehabilitation is the liberalised pensionary award announced immediately after the 1971 operations and employment is intended to supplement the pension. Most of the widows and dependents who are still awaiting jobs come from a rural background and it may not be desirable to move them to the unfamiliar environment of urban areas in the process of providing employment. However, no efforts are being spared to provide jobs to them expeditiously even though there is an overall job scarcity in the country.

कोयला खान प्राधिकरण और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में अनुसूचित जाती और अनुसुचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती

8958. श्री आर० एन० बर्मन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० आदि जैसे नव-गठित संगठनों में विभिन्न श्रेणियों को सेवाओं मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को नियुक्ति करने के बा` में मंत्रालय ने कोई निश्चित आदेश जारी किए हैं

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उपर्युक्त संगठनों के गठन के बाद से खान श्रमिकों के अलावा श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों के लिए क्या कोई भर्ती की गई है;

(ग) क्या उनके लिए कोई निश्चित कोटा आरक्षित किया गया है ; और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार से भरने का प्रस्ताव है और इस कोटे को कब तक पूरा कर लिया जायगा ; और

(घ) कोयला खान प्राधिकरण और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राउरकेला इस्पात कारखाने से "प्लेट" उत्पाद

8959. श्री आर० एन० बर्मन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी मात्रा में "प्लेट" उत्पाद, जो सड़क द्वारा भेजे जा सकते थे, राउरकेला इस्पात कारखाने के अहाते से उपभोक्ताओं अथवा व्यापारियों को, जिन्होंने बहुत पहले बनाने के आर्डर दिए थे, नहीं दिए गए ;

(ख) यदि हां, तो स्टाक को इस प्रकार रोकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) मुख्यत: रेल परिवहन की कठिनाइयों के कारण इस्पात कारखानों (राउरकेला इस्पात कारखाना भी शामिल है) में विक्रेय इस्पात काफी मात्रा में इकठ्ठा हो गया था । इस्पात को ले जाने का काम शीघ्रता से करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया ने रेलवे बोर्ड, इस्पात कारखानों तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलवे के साथ दैनिक सम्पर्क बनाया हुआ है । कलकत्ता में एक विशेष रेलवे परिवहन समन्वय कक्ष भी खोला गया है जिसमें सभी सम्बन्धित अभिकरण सक्रिय रूप से भाग लेते हैं । स्थिति पर सतत नजर रखी जाती है और इसकी समीक्षा की जाती है । इस बीच अस्थायी उपाय के रूप में उन सब लोगों को, जिन के पास इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकताओं के आधार पर आबन्टन के लिए प्राथमिकताएं हैं, यदि वे चाहे तो, कारखानों से माल उठाने की अनुमति दी गई है ।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में रोलिंग मिलें

8960. श्री आर० एन० बर्मन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, रोलिंग मिल स्थापित करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) योजना आयोग द्वारा निश्चित पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के पिछडे क्षेत्रों से नये लाइसेंसों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस बात को देखते हुए कि देश में पुनर्बेलन क्षमता पहले ही काफी है तथा पुनर्बेलन योग्य सामग्री की निरन्तर कमी है इसलिए इस समय नई पुनर्बेलन इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

7—18 LSS(ND)/74

(ख) पश्चिम बंगाल में लाइसेन्स की गई वर्तमान इकाइयों में से तीन पुनर्बेलन इकाइयां औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए उन जिलों में स्थित हैं जिन्हें वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर सहायता देने के लिए चुना गया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल में पिछड़े हुए एसे जिलों में पुनर्बेलन कारखाने स्थापित करने के लिए नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान का पूना को स्थानान्तरण

8961. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान को अस्थायी रूप से पूना स्थानान्तरित करने के कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मकान मालिक इमारत खाली करने के लिए काफी जोर डाल रहे हैं, वैकल्पिक आवास को ढूंढने के लिए कितना समय, श्रम और श्रम-घंटों को खर्च किया गया और इस समय कितना समय, श्रम और श्रम घंटें खर्च किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या कार्यालय और होस्टल—दोनों के लिए स्थान ढूंढने की प्रक्रिया पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से चल रही है, परन्तु इसके कोई निश्चित परिणाम नहीं निकले ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के निरर्थक प्रयासों को बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिसमें समय, धन की क्षति होती है और परिणामतः अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस समय भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान को पूना में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) वैकल्पिक जगह ढूंढ़ने के लिए जो प्रयास किए गए वे सामान्य कार्य के भाग के रूप में किए गए हैं । इस सम्बन्ध में लगाए गए समय, श्रम और श्रम-घण्टों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) संस्थान के लिए दिल्ली में समुचित स्थान ढूंढने के लिए प्रयास समाप्त करने का कोई विचार नहीं है ।

यूरोप में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि

8962. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :
श्री बयालार रवि :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में भारत से गए प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो गयी ह और उन में से अनेक अवैध प्रवासी हैं ;

(ख) क्या इससे यूरोप में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत से इस प्रकार के अवैध प्रवासियों को जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) तथ्यों का पक्का पता लगाया जा रहा है और जो परिणाम निकलेगा वह सदन की मेज़ पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के (तदर्थ) डाक्टरों को मासिक वेतन का भुगतान

8964. **श्री ईश्वर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के (तदर्थ) डाक्टरों को मासिक वेतन की अदायगी किन-किन तारीखों को की गई ;

(ख) क्या इस श्रेणी के अनेक डाक्टरों को वर्ष 1974 में हर महीने नियमित रूप से मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के (तदर्थ) चिकित्सा अधिकारी दूसरी श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते अपने बारे में स्वयं ही आदान और संवितरण अधिकारी होते हैं। इस लिए जनवरी, 1974 और उसके बाद के महीनों में उन्होंने अपने वेतन किस-किस तारीख को लिए इस का विवरण इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति आरम्भ में 31-12-73 तक संस्वीकृत की गई थी । संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ परामर्श करने जैसी कार्यविधिक औपचारिकताओं को पूरा होने में देर लग जाने के कारण इन पदों को आगे जारी रखने के आदेश केवल 26-2-74 को ही जारी किए गए थे । चिकित्सा अधिकारियों को अपना वेतन समय पर मिले इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास निरन्तर किए जाते हैं ।

मिलावट के दोष के लिये आजीवन कारावास का दण्ड देने हेतु राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक

8965. **श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी राज्य विधान मंडल ने मिलावट के दोष के लिए आजीवन कारावास का दण्ड देने हेतु विधेयक पारित किया है ;

(ख) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या यह लागू हो गया है और कब से ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार का विधान बनाने के परामर्श देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने जिस विधेयक को पारित किया था उसे 21-4-1974 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है परन्तु इसे लागू करने के बारे में राज्य सरकार की औपचारिक पुष्टि अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) जहां खाद्य वस्तुएं, दवाइयां या सौन्दर्य प्रसाधन इस तर्क पर पकड़े जाते हैं कि उन की छाप नकली हो सकती है या उन में मिलावट हो सकती है, तो उन मामलों में उन वस्तुओं की नकली छाप या मिलावट से रहित सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति का हो जिस से वे वस्तुएं पकड़ी गई हैं ।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के चौथे अध्याय और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके दवाओं को बनाने और बेचने के अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड की व्यवस्था की गई है ।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों को सज्ञेय और गैर-जमानतीय बना दिया गया है।

(4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के कार्यों का राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाए।

(ग) कुल मिलाकर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में उसी प्रकार ही संशोधन करने का विचार है। केन्द्रीय अधिनियम होने के नाते ये सभी राज्यों पर लागू होंगे।

स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया और कोल माइनिंग आथोरिटी के होटलों में स्थित कार्यालय

8966. श्री शशि भूषण: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और कोल माइनिंग आथोरिटी के होटलों तथा किराए के गैर-सरकारी भवनों में स्थित कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यालयों को होटलों तथा किराए के गैर-सरकारी भवनों में कार्य करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) ऐसे कार्यालय ठीक कौन से स्थानों पर स्थित हैं और उनमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक के लिए वार्षिक कितना किराया दिया जाता है ;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें सरकारी भवनों अथवा कम किराये के भवनों में स्थानान्तरण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इन कार्यालयों के लिए होटलों तथा बड़े भवनों में स्थानों का सुझाव देने के लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के बारे में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है। कोल माइन्स अथारिटी के बारे जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय तथा विजयनगर और विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजनाओं के कार्यालयों के लिए क्रमशः बंगलोर और हैदराबाद में प्राइवेट पार्टियों से किराए पर जगह ली हुई है।

(ख) आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :—

स्थान	कर्मचारियों की संख्या	मासिक किराया
		रुपये
1. हिन्दुस्तान टाईम्स हाऊस, 18/20, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1, की 13 वीं और 14 वीं मंजिलें।	137	87,780
2. 30, रेसकोर्स रोड, बंगलोर-1 (1-4-1974 से)	7	3,200
3. शंकर भवन, बी-1-174, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद-4 (आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उप-किराए-दार)	4	3,600

(ग) सामान्यतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी जगह नहीं दी जाती है। इस समय इन कार्यालयों को अन्यत्र बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इन कार्यालयों को किराए की इन इमारतों में रखने का निर्णय कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा लिया गया था।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन योजनाओं लिये के दी गई केन्द्रीय सहायता

8967. श्री शशि भूषण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, परिवार नियोजन योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कुल कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलायी गयी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि का एक विवरण संलग्न है (विवरण 1)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6893/74]**

(ख) परिवार नियोजन एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार के सर्वोपरी निदेशन में क्रियान्वित किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य भी किए जाते हैं : (1) सेवाओं और पूर्ति की व्यवस्था करना (2) चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण (3)जनांकि की संचार-क्रिया एवं जैव-चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान (4) जन शिक्षा (5) बच्चों और गर्भवती माताओं का डी०पी०टी० से प्रतिरक्षण तथा माताओं और बच्चों में पोषणिक रक्तक्षिणता से रोकथाम की योजनाएं तथा (6) नए विचारों और तकनीकों का प्रयोग।

परिवार नियोजन की निष्पत्ति एवं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किए गए आधारभूत ढांचे के सम्बन्ध में दो विवरण संलग्न हैं (विवरण 2 और 3)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6893/74]**

गुजारत में बिजली की कमी की वजह से श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना

8968. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में बिजली की कमी के कारण, 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये थे ;

(ख) क्या राज्य के श्रमिक वर्ग में असन्तोष निरन्तर जारी है;

(ग) राज्य में श्रमिक असन्तोष की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस बारे में राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक सहमत हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार

8969. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान और बंगला देश के बीच समझौते पर अप्रैल, 1974 में हस्ताक्षर होने के बाद तीनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य क्षेत्रों में सम्बन्धों में सुधार हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1971 के संघर्ष से उत्पन्न मानवीय समस्याओं का समाधान करके बंगला देश-भारत-पाकिस्तान समझौते ने सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने का तथा इस उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र

8970. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो मजदूर यूनियनों द्वारा आयोजित हड़ताल के फलस्वरूप दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में हाल ही में उत्पादन बन्द हो गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इन मजदूर यूनियनों की मांगें क्या हैं ; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (घ) हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन तथा एलाय स्टील श्रमिक यूनियन के नेतृत्व में श्रमिकों के एक अनुभाग द्वारा 23 मार्च, 1974 से गैर कानूनी हड़ताल कर देने के कारण मिश्रित इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप के उत्पादन में रुकावट आई थी । हड़ताल प्रत्यक्षत: प्रोत्साहन बोनस योजना में कुछ तथाकथित कमियों के विरोध में तथा योजना में उचित परिवर्तन कराने के लिए की गई थी । कारखाने के प्रबन्धकों की यह शर्त थी बातचीत तभी की जा सकती है जब गर-कानूनी हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी तथा कारखाने में सामान्य हो जाएगी । 16 अप्रैल, 1974 से हड़ताल वापिस ले ली गई । अब राज्य सरकार के श्रम विभाग की सहायता से प्रबन्धों तथा सम्बन्धित यूनियनों में बातचीत हो रही है ।

सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई

8971. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री वी० मायावन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में इस्पात रोलिंग और रिरोलिंग मिलों की सप्ताह में पांच दिन सुबह 9 बजे से शाम छ: बजे तक दिन की शिफ्ट में बिजली सप्लाई करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने अन्य राज्य सरकारों को इस्पात मिलों को बिजली सप्लाई करने हेतु प्राथमिकता देने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के प्रस्ताव से सहमत हुई है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति मालूम की जा रही है।

(ख) सम्भवत: अभिप्राय: विद्युत चाप भट्टियों तथा पुनर्वेलन इकाइयों के लिए बिजली की सप्लाई से है। यदि यह ठीक है तो इसका उत्तर "ना" में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों और मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानों में वृद्धि करना

8972. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री बेकारियां :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों और मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदान की दर में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि भविष्य निधि अंशदान की दर को, जहां यह $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत है, बढ़ा कर 8 प्रतिशत और जहां 8 प्रतिशत है वहां 10 प्रतिशत कर दिया जाय। सिफारिश विचाराधीन है।

नये कोयला क्षेत्रों का खोला जाना

8973. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए कोयला क्षेत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण का पांचवीं योजना के दौरान लगभग 60 नई खानें चालू करने का विचार है, जो इस प्रकार से है :—

एरिया/प्रभाग	खानो की संख्या
असम	1
पूर्वी प्रभाग	4
केन्द्रीय प्रभाग	26
पश्चिमी प्रभाग	29
योग	60

इसी प्रकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी 10 नई खानें खोलने का प्रस्ताव है जो अछूते खण्डों और सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी में होंगी। 21 नई खानें गोदावरी, गौरी देवीपेठा, मगूर, चारला तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य कोयला क्षेत्रों में खोली जाएंगी।

विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें

8974. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान विभिन्न कोयला खानों में हुई गम्भीर दुर्घटनाओं की कोयला खानवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यू हुई और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) 1972 और 1973 के दौरान कोयला खानों में क्रमशः हुई कुल दुर्घटनाएं, गम्भीर दुर्घटनाएं तथा मारे गए व्यक्तियों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	गम्भीर दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घातक दुर्घटनाएं
1972	1540	217	200
1973	1904	238	173

इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार पात्र व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है।

(ग) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सुरक्षा नियमों और विनियमों का प्रवर्तन ।

(2) सुरक्षा के मामलों में खान सुरक्षा महानिदेशक के साथ नियमित विचार विमर्श और उसके बाद उपर्युक्त कार्रवाई ।

(3) दुर्घटनाओं की तत्काल जांच-पड़ताल और विश्लेषण तथा उनकी पुनरावर्ती को रोकने के लिये की गई अनुशंखाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही ।

(4) परवर्ती सुरक्षा कार्यों में मजदूरों और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खान मुहाना सुरक्षा समितियों का गठन ।

(5) सुरक्षा उपायों के बारे में बुलेटिनों तथा अन्य जन संचार साधनों की मार्फत प्रचार ।

इस्पात स्क्रैप का व्यवसाय करने वाले नकली उद्यम

8975. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात स्क्रैप का व्यापार करने वाले नकली उद्यम हैं और ऐसे कितने संगठनों का पता चला है ;

(ख) क्या स्क्रैप की बिक्री के लिए कुछ मानक नियम हैं ; और

(ग) क्या सरकार औद्योगिक उद्देशों के लिए स्क्रैप का व्यापार करने वाले बेरोजगार इन्जीनियरों और स्नातकों को संरक्षण देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सम्भवतः अभिप्राय इस्पात के मुख्य उत्पादकों के पास निकलने वाले लोह और इस्पात के स्क्रैप, दोषयुक्त माल, कतरनों आदि

से है। इनका वितरण अधिकतर मुख्य उत्पादकों के माध्यम से संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है और यह माल मुख्यतः राज्यों के उद्योग निदेशकों, लघुउद्योग निगमों आदि की सिफारिशों पर वास्तविक उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इन्जीनियरों और स्नातकों द्वारा स्थापित की गई वास्तविक उपभोक्ता इकाइयों को भी यह माल इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दिया जाएगा। जब कभी भी किसी कल्पित फर्म का पता चलता है, तो सम्बन्धित क्षेत्रीय लौहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा मामले की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है कारवाही की जाती है।

राउरकेला में कथित अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता

8976. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में गम्भीर अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राऊरकेला इस्पात कारखाने में अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता चल रही है।

(ख) कारखाने में चल रही इस अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता के बारे में ऐसे कोई विशिष्ट उपाय नहीं है जो सरकार अथवा कारखाने द्वारा किए जा सकते हैं।

इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की योजना

8977. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान द्वारा परिवार नियोजन वर्ष के रूप म घोषित किए गए इस वर्ष में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई है ; और

(ख) क्या परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) संयुक्त राष्ट्र ने 1974 को विश्व जन संख्या वर्ष घोषित किया है न कि परिवार नियोजन वर्ष। भारत में विश्व जन संख्या वर्ष मनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री की अध्यक्षता में एक विश्व जनसंख्या वर्ष समिति गठित की गई है। इस समिति ने निर्णय किया है कि सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करके विश्व जनसंख्या वर्ष, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर उपयुक्त ढंग से मनाया जाएगा।

(ख) परिवार नियोजन के लिए कार्य कर रहे गैरसरकारी संगठनों को पहले से ही वित्तीय सहायता दी जा रही है।

डियागो गार्सिया में ब्रिटिश-अमरीकी अड्डे को चीन का समर्थन

8978. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डियागो गार्सिया में ब्रिटिश-अमरीकी सैनिक अड्डे का विकास करने सम्बन्धी निर्णय के बारे में चीन ने संयुक्त अमेरिका के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डे के विकास के लिए किसी आंग्ल अमरीकी प्रस्ताव का चीन लोक गण-राज्य ने समर्थन किया है।

दादरा और नगर हवेली में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र

8979. **श्री आर०आर० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 तक दादरा और नगर हवेली में कितने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे थे ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) नियत धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दादरा और नगर हवेली में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पांच उप-केन्द्र काम कर रहे थे ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चार और नए उप केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत दादरा और नगर हवेली के लिए 21.12 लाख रुपये के अस्थायी परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 11.30 लाख रुपये का परिव्यय भी शामिल है ।

एल्युमिनियम कारखाना, पालामाऊ

8980. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के पालामाऊ जिले में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बोनस अधिनियम का संशोधन

8981. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोनस अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि बोनस की अदायगी पर कोई सीमा न रहे और कम्पनियों के लाभ के अनुसार उसका भुगतान किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर में बाक्साइट खान का क्षेत्र

8982. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर में बाक्साइट खान का कुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) उसमें से कुल कितना क्षेत्र प्राइवेट एल्यूमिनियम कारखानों को दिया गया है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में प्रस्तावित कारखाने के लिए इसे सुरक्षित रखने पर सरकार विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बिहार के रांची जिले में बाक्साइट का कुल खनन पट्टा क्षेत्र 5157.918 हैक्टेयर है। इस में से 1705.996 हैक्टेयर क्षेत्र निजी क्षेत्र के एल्यूमिनियम उत्पादकों को पट्टे पर दिया हुआ है।

(ग) नए कारखाने की स्थापना का फिलहाल कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

निवेली लिग्नाईट परियोजना के लिए स्वीकृत राशि

8983 **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली लिग्नाइट परियोजना कब शुरू होनी थी और इसे वास्तव में कब शुरू किया गया; और

(ख) कितनी राशि स्वीकृत हुई और वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) नेवेली लिग्नाइट परियोजनाओं के पूरे होने की निर्धारित तारीख और वास्तविक तारीखें नीचे दी गई है :--

		मूलत: नियत तारीख	पुरे होने की सही तारीख
खाने . .		जुलाई, 61	लिग्नाइट अगस्त, 61 में निकाला गया
ताप बिजली घर .	पहला चरण (250 मेगा-वाट)	अप्रैल, 61	अप्रैल, 1964
	दूसरा चरण (400 मेगा-वाट)	मार्च, 66	मार्च, 1967
	तीसरा चरण (600 मेगावाट	दिसम्बर, 69	फरवरी, 1970
उर्वरक बी एण्ड सी		नवम्बर, 60 मई, 63	मार्च, 1966 अगस्त, 65

(ख)

	स्वीकृत राशि (अनुमानित लागत)	परियोजना की पूर्णतया रिपोर्ट पर वास्तविक लागत
	(लाख रुपयों में)	
पुरी हुई योजनाएं .	17811.39	17423.83
चालू योजनाएं . . .	1775.35	378.99*

(*31-3-73 तक वास्तविक व्यय)

मध्य प्रदेश में कार्बन इस्पात संयंत्र

8984. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर, मध्यप्रदेश में कार्बन इस्पात संयंत्र चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की अनुमानित क्षमता कितनी है ; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सम्भवतः अभिप्राय मेसर्स अलाइड स्टील्स लि० द्वारा रायपुर (मध्य प्रदेश) के निकट लगाए जा रहे कारखाने से है। मेसर्स अलाइड स्टील्स लि० को प्रतिवर्ष 50,000 टन साधारण इस्पात, कार्बन इस्पात तथा स्प्रिंग इस्पात के बिलेटों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया है। इस इकाई के शीघ्र चालू हो जाने की सम्भावना है। इस पार्टी ने सूचित किया था कि भूमि, भवनों और मशिनों पर लगभग 308 लाख रुपये खर्च होंगे।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा थर्मल सेटों का उत्पादन

8985. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानक परिमापी थर्मल सेटों का उत्पादन करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोई अग्रिम कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सस्ती कीमत पर बनाने के लिए भोपाल और हरिद्वार स्थित एककों के उत्पादों की डिजाइन को सरल बनाने और उन्हें मानकीकृत करने के लिए एक संगठन की स्थापन भी की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अनुसंधान तथा विकास के लिए एक संगठन की स्थापना की है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन को युक्तिपूर्ण बनाने और मितव्ययता बरतने के लिए अपने विभिन्न एककों में उत्पादों के डिजाइनों के मानकीकरण और सरलीकरण का काम प्रारम्भ किया है।

"निर्धन राष्ट्रों के लिये आर्थिक चार्टर" (एन इकोनोमिक चार्टर फार पूअर नेशन्स) के सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा दस्तावेज

8986. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया, अल्जीरिया और कुछ अन्य गुट-निरपेक्ष देशों सहित भारत ने "निर्धन राष्ट्रों के लिए आर्थिक चार्टर" के रूप में एक दस्तावेज तैयार किया है जिसे सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों में परिचालित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दस्तावेज के कारण राष्ट्र-संघ के विशेष सत्र के पहले के समय में व्यापक राजनयिक क्रियाकलाप प्रारम्भ हुए हैं ; और

(ग) क्या तेल के मूल्यों की समस्या और निर्धन राष्ट्रों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को हटा दिया है या यह विषय विचार-विमर्श के लिए भी निर्धारित है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यूगोस्लाविया, अल्जीरिया भारत तथा कुछ अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के कार्यकारी दल के प्रारम्भीक मसौदे के आधार पर 77 (विकासशील)

देशों के दल ने घोषणा और कार्रवाई के कार्यक्रम के जो मसौदे तैयार किए थे वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में रखे गए हैं। इन दस्तावेजों पर इस समय विशेष सत्र में इस कार्य के लिए गठित तदर्थ समिति में जोरदार विचार-विमर्श हो रहा है। एक दूसरा कार्यकारी दल आम बहस में रखे गए दूसरे विशेष एवं ठोस प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है। परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) महासभा के विशेष सत्र का विषय "कच्चा माल और विकास" है। अब तक हुए विचार-विमर्श में अनेक शिष्टमण्डलों ने, अन्य बातों के साथ-साथ तेल की कीमत की समस्या और विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पर भी विचार किया गया है।

जन्म-दर में कमी

8987. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के एक अध्ययन तथा प्रतिवेदन के अनुसार, परिवार नियोजन कार्यक्रम के शुरु होने से 30 नवम्बर, 1972 तक देश में 1.2 करोड़ बच्चों के जन्म को रोका गया था अथवा टाला गया ;

(ख) यदि हां, तो वे तरीके क्या हैं जिनके द्वारा उन बच्चों की ठीक और वास्तविक संख्या का पता लगा, जिनका जन्म टाला गया ; और

(ग) क्या गत अनेक वर्षों से परिवार नियोजन कार्यक्रम के पूरी तरह से चलने पर भी जनसंख्या की वृद्धि दर में कमीं नहीं आ रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में रोके गए जन्मों के परिणामस्वरूप राष्टीय जन्म दर जो कि 1961 में 41.7 प्रति हजार जनसंख्या थी, अनुमान है कि 1972–73 के अन्त तक घटकर 36.5 हो गई है। अनुमान है कि मृत्यु दर में इससे अधिक तेजी से कमी हुई है जो कि 1951-60 में 22.8 प्रति हजार जनसंख्या से घटकर 1972 में 16.9 प्रति हजार जनसंख्या हो गई है। यदि जन्म दर घटकर उपर्युक्त स्तर पर न पहुंच जाती तो जनसंख्या की वृद्धि दर उससे कहीं अधिक होती जो अब है।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप रोके गए जन्मों की संख्या का हिसाब लगाने के तरीके पर संक्षिप्त नोट

रोके गए जन्मों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गर्भनिरोधकों के सहगण (इस पद में नसबन्दी किए गए मामले, लूप पहनाए गए मामले प्रचलित गर्भनिरोधक के उपयोगकर्ता शामिल है) का तब तक अनुसरण किया जाता है जब तक कि बुढ़ापे, मृत्यु, उपयोग छोड़ देने तथा गर्भनिरोध के असफल हो जाने के फलस्वरूप वे प्रजननशील अवधि से निकल नहीं जाते। विभिन्न वर्षों में सहगण को होने वाले जन्मों की संख्या का अनुमान गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली महिलाओं की प्रत्याशित आयु विशिष्ट प्रजनन-क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। यह हिसाब गर्भनिरोध के विभिन्न तरीके अपनाने वालों की वर्तमान तथा सम्भावित भावी आयु, के वितरण तथा लूपों के मामले में उपयोग की अवधि के पर्यवसान की दरों से भाग देकर वर्तमान और सम्भावित भावी अनुभव के आधार पर लगाया जाता है। किसी तरीके द्वारा रोके गए जन्मों की संख्या इस तरीके द्वारा दम्पत्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करती है। चूंकि सुरक्षा का प्रकार और उसकी मात्रा हर तरीके के लिए अलग अलग होती है अत: प्रत्येक तरीके के लिए अलग अलग हिसाब लगाया जाता है। नसबन्दी के मामले में नव-विवाहित और प्रजननशील

आयु की महिलाओंमे यदि वे जीवित रहें तो स्त्री के जीवन के प्रत्येक वर्ष के दौरान गर्भधारण के खतरे के विरुद्ध सुरक्षा जारी रहती है। इस अपवाद के साथ यही लूप के लिए भी सत्य है कि तरीके के असफल हो जाने, लूप निकल जाने, अथवा निकाल दिए जाने से इस मामले में भी सुरक्षा समाप्त हो सकती है। अत: चालू वर्षों में तथा पिछले वर्षों में नसबन्दी अथवा पहनाए गए लूप इन गर्भनिरोधक तरीकों से रोके गए जन्मों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए हिसाब में लिए जाते हैं। परन्तु कण्डोम, डायाफ्राम, झागदार टिकियां, जैली और क्रीम जैसे अन्य प्रचलित गर्भनिरोधकों के मामले में गर्भ-धारण के विरुद्ध सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक कि तरीके का उपयोग किया जाए। अत: इन प्रचलित गर्भनिरोधकों के कारण रोके गए जन्मों की संख्या का हिसाब वार्षिक आधार पर लगाया जाता है भले ही उपयोगकर्ता नए हों अथवा पहले से उपयोग जारी रख रहे हों। रोके गए जन्मों का हिसाब लगाने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है उसका एक विस्तृत तकनीकी नोट परिवार नियोजन विभाग में उपलब्ध है।

उपर्युक्त क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए आशा है कि नवम्बर, 1972 तक 1.2 करोड़ जन्म रोके गए हैं।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या-परियोजना

8988. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के छ: जिलों एवं कर्नाटक के पांच जिलों में परिवार नियोजन को अधिक सफल बनाने के लिए 23 करोड़ रुपये की एक जनसंख्या-परियोजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में चयन किए गए छ: जिले कौनसे हैं ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टर नेशनल डेवलपमेन्ट विकास एसोसिएशन) तथा स्वीडन सरकार ने इस पर होने वाले पूरे व्यय को वहन करना स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक प्रयोगात्मक परियोजना है और इसकी विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार है :—

(1) भारत सरकार के वर्तमान पैटर्न के अनुसार परियोजना के जिलों में आधारभूत व्यवस्थाओं, सुविधाओं और उपकरणों को पूरा करना ;

(2) नगरीय तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में प्रसूति सुविधाओं पर आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करना ;

(3) खास तौर से अतिरिक्त पूरक पोषण कार्यक्रम द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सुविधाओं की पूर्ति करने तथा इसका कोई विकल्प ढुंढने के लिए प्रत्येक राज्य के दो-दो जिलों को अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना ; और

(4) एक उन्नत प्रबन्ध सूचना एवं मूल्यांकन सेवा की व्यवस्था करने और परियोजना के सतत मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में एक-एक जनसंख्या केन्द्र स्थापित करना ताकि उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों को भारत के सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए लागू किया जा सके। इन केन्द्रों को अपना कार्य करने के लिए विशेष प्रबन्ध संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में परियोजना के जिलों के नाम निम्नलिखित हैं :—

लखनऊ, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुहारनपुर ।

(ग) भारत सरकार सभी संचालन खर्च अर्थात भारत सरकार के सामान्य पैटर्न के अन्तर्गत आने वाले खर्चों के लिए धन प्रदान करेगी और परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की गई 212 लाख अमरीकी डालर की राशि और अनुदान के रूप में स्वीडन सरकार द्वारा प्रदान की गई 106 लाख अमरीकी डालर की राशि का अतिरिक्त सुविधाओं के रूप में उपयोग किया जाएगा ।

जापानी सहयोग से एच० एम० टी० की घड़ियों के उत्पादन में वृध्दि करने के लिए करार

8989. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स घड़ी कारखाने और उसके मूल सहयोग कर्ता जापान की सिटीजन वाच कम्पनी के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अनुसार एच० एम० टी० अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकेगी और लगभग पूर्णतः देशी कल पूर्जों से निर्मित घड़ियों का निर्माण किया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो समझोते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक किस्म की घड़ियों में कितने प्रतिशत कलपूर्जों का आयात किया जाएगा ; और

(घ) क्या टाइम पिस घड़ियों के निर्माण के बारे में भी कोई समझौता हुआ है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार को हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से घड़ियों की वर्तमान दर में वृद्धि करने तथा घड़ियों की हेयर स्प्रिग आदि का भी निर्माण करने के बारे में जापान के मे० सिटिजन वाच कम्पनी के साथ तकनीकी सहयोग करार करने हेतु एक प्रस्ताव मिला है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) जी, नहीं ।

देश में खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के बारे में सरकार द्वारा किया गया सर्वेक्षण

8990. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य पदार्थ में की जाने वाली मिलावट की सीमा का पता लगाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और तन्त्र के सुधार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) देश में खाद्य पदार्थों में किस हद तक मिलावट है इस बारे में कोई अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अलबत्ते जैसी रिपोर्ट राज्यों से प्राप्त हो रही हैं उनके हिसाब से खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या की निरन्तर बड़ी बारीकी से समीक्षा की जा रही है ।

इंजीनियरिंग प्राजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गैस निर्माण संयंत्र के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट

8991. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस-निर्माण संयंत्र के बारे में इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता-रिपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कोयला गैस संयंत्रों को स्थापित करने का सरकार ने निर्णय किया है और वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए गैस और कोयला का निर्माण करने हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है । पश्चिम बंगाल सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है और अब यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

इस्पात नीति

8992. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक निवेश लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस्पात नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने हाल में नीति का जो पुनर्विलोकन किया है, उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में नए संयंत्रों को स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भिलाई तथा बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है । सेलम, विशाखापत्तनम तथा विजयनगर में लगाए जाने वाले तीन नए इस्पात कारखानों का काम भी पांचवीं योजना में चलता रहेगा ।

Delay in delivery of scooters after allotment

8993. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Government employees get delivery of 'Vespa' and 'Lambretta' scooters allotted from Central Government quota after about three or four months from the date of its allotment; and

(b) if so, the reasons for such an inordinate delay in getting scooter after its allotment?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) and (b) The manufacturers and dealers are trying their best to deliver scooters without delay to the allottees from the Central Government quota. There are, however, certain essential formalities which have to be complied with after the allotment letter is issued, viz, the allottees will have to give delivery instructions to the manufacturers and the manufacturers have to process them and inform the dealers concerned. In this process, delivery is effected within two to three months time. In a few cases, transport bottlenecks also contribute to the delay.

राजस्थान से सेना में भर्ती किए गए व्यक्ति

8994. **श्री लालजी भाई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से सेना में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती जा रही है ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में अधिकारी वर्ग में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या भी कम हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन ।

(ख) जी नहीं श्रीमन ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया जाना

8995. **श्री विक्रम महाजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में चेचक के उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता का किस सीमा तक उपयोग किया गया और तत्सम्बन्धी उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की तरह चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ करने का सरकार का विचार है; यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चेचक उन्मूलन के लिए महामारी वैज्ञानिकों, अल्प कालीन परामर्शदाताओं, शिक्षावृत्तियों और सामान तथा उपकरणों के रूप में पिछले तीन वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो सहायता मिली थी उसका पूरी तरह से उपयोग किया गया । चेचक के रोगियों की सूचना देने, निगरानी पद्धति का विकास करने और इस प्रकोप की रोकथाम के उपायों को बरतने की दिशा में काफी काम हुआ है । अब कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां किन्हीं किन्हीं स्थानों पर चेचक होती रहती है जमाकर सुखाई गई वैक्सीन के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो गया है ।

(ख) चेचक उन्मूलन कार्यक्रम पहले से ही एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है ।

चेचक से हुई मौतें

8996. **श्री विक्रम महाजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, देशभर में हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चेचक से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

8—18 LSS(ND)/74

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : गत तीन वर्षों में देश में वर्षवार, राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार चेचक के कारण हुई मौतों का ब्योरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1971	1972	1973*
आन्ध्र प्रदेश	38	40	107
असम	12	2	152
बिहार	344	870	4189
गुजरात	34	2	..
हरियाणा	367	216	20
हिमाचल प्रदेश	6	..	1
जम्मू और कश्मीर	1	43	123
केरल	..	..	..
मध्य प्रदेश	168	380	914
महाराष्ट्र	21	40	22
मणिपुर			9
मेघालय	..	..	1
मैसूर	24	112	1
नागालैण्ड	..	..	..
उड़ीसा	4	2	264
पंजाब	17	22	14
राजस्थान	444	236	115
तमिलनाडु		..	..
त्रिपुरा	..	1	2
उत्तर प्रदेश	1098	2234	4717
पश्चिम बंगाल	49	1227	4649
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह			..
अरुणाचल प्रदेश			1
चण्डीगढ़			
दादर और नगर हवेली	..	..	..
दिल्ली	79	30	42
गोआ, दमण और दिव			
लक्ष्यद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप समूह			
मिजोरम	..		
पांडिचेरी	..	..	..
	2706	5457	15343

*ये आंकड़े अनन्तिम है।

कार के ग्राहकों को फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई

8997. श्री अनादि चरण दास :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निर्माता कार के ग्राहकों को फालतू पुर्जे और उपकरण नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) मोटर गाड़ियों के कुछ प्रकार के खरीदे गए फालतू पुर्जों और सहायक सामान की कमी है। कमी मुख्य रूप से बिजली और कच्चे माल की भारी कमी और कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में निर्माण क्षमता पर दबाव जैसे कारणों से हुई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने सभी कमजोर क्षेत्रों में विद्यमान एककों का विस्तार करके और नये एककों की स्थापना करके अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी है।

दंडकारण्य परियोजना के मलकनगिरी जोन में सतीगुडा बांध पर श्रमिकों को सुविधाएं

8998. श्री अनादि चरण दास : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के मलकनगिरी जोन में सतीगुडा बान्ध स्तर पर कितने तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन में से कितने कर्मचारियों ने आपने परिवारों को वहां रखा हुआ है ;

(ख) क्या उक्त स्थल पर आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए ऐम्बूलेन्स की व्यवस्था सहित पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था है, यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों की काफी लम्बे अर्से से की जा रही मांगों के बावजूद बांध स्थल पर बनी कालोनी में एक प्राथमिक विद्यालय खोला नहीं गया है ; यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकिटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन केन्द्र तथा उनके लिये निर्धारित की गई धनराशि

8999. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिले वार, कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए गए ;

(ख) वर्ष 1973–74 के लिए प्रत्येक केन्द्र के लिए परिवार नियोजन अभियान हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई ;

(ग) कितनी धन राशि व्यय की गई ; और

(घ) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए परिवार नियोजन केन्द्रों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

(1) ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र . . .	310
(2) उप केन्द्र . .	1351
(3) नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	103

जिलेवार सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न योजनाओं तथा केन्द्रों के लिए पूरे राज्य के लिए इकट्ठी दी जाती है। केन्द्रवार धन के आबन्टन और खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार अपने आप रखती है। 1973-74 के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों, उपकेन्द्रों तथा नगरीय केन्द्रों का खर्च पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल को कुल 126.60 लाख रुपये आबन्टित किए गए थे। प्राप्त हुई सूचना के अनुसार अप्रैल से दिसम्बर, 1973 की अवधि के दौरान 113.13 लाख रुपये खर्च किए गए। जनवरी से मार्च, 1974 तक की अवधि के खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य में निष्पत्ति की प्रगति इस प्रकार है :—

परिवार नियोजन के तरीके	1973-74 (अप्रैल, 73 से फरवरी 1974 तक)	कार्यक्रम के आरम्भ से फरवरी 1974 तक की कुल निष्पत्ति
(1) नसबन्दी .	21,699	957,801
(क) पुरुष नसबन्दी .	7,218	843,372
(ख) बन्ध्याकरण . .	14,481	114,429
(2) गर्भाशयी गर्भनिरोधक (लुप)	5,822	325,213
(3) समकक्ष प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	224,540	224,540

पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम

9000. **श्री एस० एम० सिंह देव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन क्षेत्र के पिछले वर्षों के उत्साहजनक परिणामों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए वहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में क्रियान्वित करने के लिए पांचवीं योजना में सम्मिलित परिवार नियोजन कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पांचवीं योजना के दौरान देश के अन्य क्षेत्रों की भांति पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और भी तेज करने का विचार है।

(ख) पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जाने वाली निम्नलिखित विशेष परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया है :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आधारभूत ढाचे स्थापना के कार्य को जारी रखना।

(2) 228 अतिरिक्त नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, 8 प्रसवोत्तर केन्द्र, 1 क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

(3) 2.50 लाख महिलाओं को लूप पहनाना, 15.00 लाख नसबन्दियां करना और पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक प्रचलित गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर 7 लाख तक करना।

(4) डी० पी० टी० से प्रतिरक्षण की योजना के अन्तर्गत 0.5 वर्ष तक की आयु के 48 लाख बच्चों को और 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 26.25 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाना।

(5) पौषणिक रक्तक्षिणता की रोकथाम सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 40 लाख बच्चों और माताओं को तथा विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में होने वाली अन्धता के नियंत्रण सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाना।

राज्य सरकारों द्वारा इस्पात का आयात

9001. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी राज्य को इस्पात का आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान आयात की गई इस्पात की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा कोटे के अपर्याप्त आबन्टन और खुले बाजार में इस्पात की ऊंची कीमत को ध्यान में रखते हुए ईस्पात का आयात करने के लिए अनुमति देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा करने की अनुमति दे दी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ग) इस वर्ष आयात के बारे में पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य सरकार से इस मंत्रालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस्पात की एसी श्रेणियों के बारे में जिनका आयात करने की अनुमति है और जिनका आयात किसी माध्यम अभिकरण द्वारा नहीं किया जाता है, राज्य सरकारें सरकारी विभागों/उपक्रमों के वास्तविक उपभोक्ता के रूप में आयात करने के लिए सीधा आवेदन कर सकती हैं और इस मंत्रालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) कमर्शियल इन्टेलिजेन्स तथा स्टेटिस्टिक्स के महानिदेशक द्वारा संकलित वास्तविक आयात के आंकडों में राज्य सरकारों द्वारा किया गया आयात अलग अलग नहीं दिखाया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिद्धार्थ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता

9002. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री पश्चिम बंगाल में लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृप करेंगे कि सिद्धार्थ स्टील लिमिटेड, कलकत्ता की टनभार क्षमता क्या होगी और यह कारखाना कहां लगाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मेसर्स सिद्धार्थ स्टील्स लिमिटेड, कलकत्ता को प्रतिवर्ष 18,000 टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया है। यह कारखाना पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में रिशरा के स्थान पर लगाया जाना है।

वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाइसेंस देना

9003. **श्री हाजी लुतफल हक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन 1,04,000 प्रति वर्ष तक बढ़ा देने के लिए अनेक आशय-पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं, वे कहां कहां पर स्थित है और उन की क्षमता कितनी है ; और

(ग) इन एककों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एककों के नाम उनके स्थल और उनकी क्षमता का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	फार्म का नाम	स्थान	क्षमता प्रति वर्ष
(1)	मे० इन्सोव आटो लि०, कलकत्ता . .	उत्तर प्रदेश	12,000
(2)	मे० कृष्णा रघुनाथ शेट्ये एण्ड सन्स बिकोलिम गोवा	बिकोलिम, गोआ	12,000
(3)	मे० यू० पी० इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० कानपुर।	रायबरेली (उ०प्र०)	20,000
(4)	मे० सरु इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मेरठ।	मेरठ (उ० प्र०)	10,000
(5)	मे० आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया लि०, बम्बई।	नागपुर (महाराष्ट्र)	50,000
	योग . .		104,000

(ग) उपर्युक्त पार्टियों में से मे० सरु इन्जी० कारपोरेशन लि०, मेरठ नामक एक पार्टी को दिया गया आशय-पत्र व्यपगत हो गया है क्यों कि वे इसकि वैधता की अवधी के भीतर अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठानें में असफल रहे। जहां तक अन्य पार्टियों का संबंध है इस अवस्था में अभी ठीक ठीक यह वता सकना सम्भव नहीं है कि उनमें कब तक उत्पादन आरम्भ होगा।

पश्चिम बंगाल में वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन करने वाले उद्योग की स्थापना

9004. **श्री हाजी लुतफल हक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वाणिज्यिक मोटर गाड़ियां बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिए राज्य के पिछड़े जिलों में एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रस्तावित एकक की क्षमता 35,000

गाड़ियां प्रतिवर्ष होने के अतिरिक्त इस योजना में विदेशी सहयोग करने का उल्लेख किया गया है और इसके लिए 776.50 लाख रुपये के मूल्य के पूंजीगत उपकरणों का आयात करना होगा तथा आवेदन पत्र में आवश्यक ब्यौरे जैसे निर्माण की जाने वाली गाड़ी का डिजाइन विशिष्ठीकरण और प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि प्रथम दृष्टि से आवेदन पत्र इस योग्य नहीं था कि उस पर अनुकूल विचार किया जा सके लेकिन पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अभ्यावेदन पर सरकार आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है बशर्ते कि निगम अपनी परियोजना के सम्बन्ध में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करना

9005. **श्री हाजी लुतफल हक : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तीन एककों को वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर 24,600 कर देने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान क्षमता से, एककवार, कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

एकक का नाम	विद्यमान क्षमता	अतिरिक्त क्षमता जिसके लिए अनुमति दी गई है
	(सं० प्रतिवर्ष)	(सं० प्रतिवर्ष)
(1) मे० टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी बम्बई	24,000	12,000
(2) मे० अशोक लोलेन्ड लि०, मद्रास	5,400 (कामेट गाड़ियां)	4,600
(3) मे० बजाज टेम्पो लि०, पूना . .	4,000	8,000

(ग) पांचवीं योजना के अन्त तक वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन लक्ष्य प्रतिवर्ष 1,10,000 निर्धारित किया गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कारों और वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन

9006. **श्री हाजी लुतफल हक : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्षवार तथा यूनिटवार, कारों तथा वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पांचवी योजनावधि के अंत तक प्रति वर्ष 60,000 यात्री कारों और 110,000 वाणिज्यिक गाड़ियों (जीपों सहित) का उत्पादन करने का लक्ष्य है। वर्ष-वार और एकक-वार लक्ष्य तैयार नहीं किए गए हैं।

चिली के भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा मादाम अलेंडे से वार्ता

9007. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली के भूतपूर्व राष्ट्रपति सलवाडोर अलेंडे की विधवा मादाम होरटैन्सिया बी० अलेंडे ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस अवसर पर सरकार ने सैनिक जनता के कुकर्मो के बारे में जिसने संवैधानिक रुप से निर्वाचित चिली की सरकार को अपदस्थकर दिया था और हिंसक सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हथिया ली थी, विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार चिली में वर्तमान अवैध शासकों द्वारा किए गए मानव अधिकारों के हनन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से विरोध प्रकट करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय साल्वडोर अलेंदे की पत्नी मदाम होर्तेसिया बी० अलेंदे 'नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वोमन' के निमंत्रण पर भारत आई थीं और 7 से 18 अप्रैल तक यहां ठहरी थीं ।

(ख) भारत सरकार चिली की घटनाओं के प्रति पूरी तरह सजग है ।

(ग) इस बारे में भारत सरकार की स्थिति सर्व विदित है । संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले अधिवषन में विदेश मंत्री ने इस पर प्रकाश भी डाला था जबकि उन्होंने यह कहा था कि, "ऐसी हिंसक और दुखद परिस्थितियों में डा० अलेंदे की मृत्यु पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं । किसी प्रभुसत्ता प्राप्त राज्य की घटनाओं पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता । लेकिन, व्यापक संदर्भ में, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उनका (डा० अलेंदे का) तख्ता पलटे जाने से चिली के लोगों की लोकतंत्रीय परम्पराओं को जो धक्का लगा है उस पर, तथा हिंसा, रक्तपात और मानवाधिकारों के हनन तथा राजनयिक दायित्वों के उल्लंघन की उस देश से हाल ही में जो खबरे मिली हैं, उन पर हमें अत्यधिक खेद और चिन्ता है । हम हृदय से यह आशा करते हैं कि शांति और समरसता शीघ्र पुनः स्थापित होगी जिससे कि चिली के लोग अपने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और मेल-मिलाप के काम में, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के और बिना किसी हिंसा के लग सकें" ।

दिल्ली में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का मुख्यालय

9008. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटि आफ इण्डिया लि० के मुख्यालय को दिल्ली में रखने के क्या कारण है, जब की लग-भग सभी वर्तमान इस्पात संयंत्र पूर्वी क्षेत्र मे स्थापित हैं और प्रस्तावित तीन संयंत्रों में से दो संयंत्र को दक्षिण-पूर्वी तट के निकट स्थापित किया जाएगा ;

(ख) मुख्यालय के अधिकारियो द्वारा दिल्ली से विभिन्न इस्पात संयंत्रों को जाने और वहां से वापस दिल्ली आने में प्रति माह कितने दिन लगते हैं और अधिकारियों के इस प्रकार आने जाने में कितनी राशि खर्च होती है ; और

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के मुख्यालय को कलकत्ता में स्थापित करने से किफायत शारी नहीं होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० का मुख्यालय नई दिल्ली में रखने का मुख्य कारण यह है कि लोहा और इस्पात तथा समबद्ध आदान उद्योगों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन के रूप में इसके कार्यो तथा गतिविधियों

के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी अभिकरणों से निकट तथा सतत सम्पर्क की आवश्यकता है। इसके अलावा 'सेल' के अध्यक्ष इस्पात विभाग के सचिव भी है।

(ख) वर्ष 1973-74 में कम्पनी के 18 अधिकारियों ने विभिन्न इस्पात कारखानों का दौरा किया था और इस कारण से वे कुल मिलाकर 356 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर रहे हैं। इन दौरों पर हुआ कुल खर्च 68,450 रुपये है।

(ग) एक संगठन के मुख्यालय के स्थल के बारे में निर्णय करते समय मितव्ययिता के अलावा कई अन्य बातो को ध्यान में रखना पड़ता है।

एच एफ-24 विमान में सुधार

9009. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच एफ-24 विमान में "सुपरसानिक" क्षमता पैदा करने के लिए जिसके लिए इसे मूलतः बनाया गया, किए जाने वाले प्रयत्नों में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किसी ठोस परिणाम के कब तक प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) क्या देश में ही इन्जन और/या फ्यूजलेज के डिजाइन में भारी परिवर्तन किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एच एफ-24 की क्षमता में सुधार लाने से सम्बन्धीत समस्याओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस परियोजना के विकास कार्यों पर काफी प्रयास की आवश्यकता है ; ऐसा अनुमान है कि इसका आद्य रूप लगभग पांच वर्षो के उपरान्त परीक्षण के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

(ग) वायुयान के ढांचे को पुनः डिजाइन करने की काफी क्षमता स्वदेश में विद्यमान है। तथापि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बाहरी एजेन्सियों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

दुर्गापुर में संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था

9010. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में की गई संयुक्त मंत्रण व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है;

(ख) क्या ऐसा मुख्यतया आई० एम० टी० बी० सी० से सम्बद्ध यूनियन के असहयोग के रवैये के कारण हुआ है; और

(ग) क्या इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य इस्पात संयंत्रों में 'शाप फ्लोर लेबिल' पर की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आरम्भ में संयुक्त सलाहकार मशीनरी मई, 1972 से एक वर्ष के लिए बनाई गई थी। सभी सम्बन्धितों की अनुमति से इस की अवधि नवम्बर, 1973 तक 6 महीने के लिये बढ़ा दी गई थी इस की अवधि और आगे नहीं बढ़ाई गई क्योंकि इसकी घटक 3 यूनियनों में एक यूनियन अर्थात हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन (इन्टक) इस मशनरी को बनाये रखने के लिए सहमत नही थी।

(ग) किसी अन्य इस्पात कारखाने में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है और नहीं ऐसी मशीनरी बनाने का कोई विचार है।

Lime from gravels found in Champaran District, Bihar

9011. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether gravels are found in the soil of Champaran District in Bihar;

(b) whether lime produced from these gravels has greater potentiality; and

(c) if so, whether Government propose to produce lime from these gravels in the public sector?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Gravels are found in parts of Champaran district of Bihar.

(b) Lime is not produced from Gravels.

(c) Does not arise.

Construction of Road on Bihar-Nepal Border

9012. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government of India propose to construct a road from the east to west on Bihar-Nepal border keeping a number of factors in view; and

(b) if so, the time by which Government will take a decision?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Reported Sino-Nepalese Agreement Regarding Free Movement between Nepal and Tibet

9013. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Nepal has concluded an agreement with China whereunder five hill tracks between Nepal and Tibet have been made free for movement;

(b) whether a large volume of Chinese literature and so many other things from China are being accumulated in Nepal adjoining Indian borders; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There have been reports in the press that Nepal had reached an agreement with China to open five passes on the border for unrestricted movement. These reports have, however, been denied by the Government of Nepal.

(b) The Government are not aware of any large volume of Chinese literature etc. being accumulated in Nepal.

(c) Does not arise.

Withdrawal of Victimisation Cases of Junior Doctors

9014. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn all victimisation cases of Junior Doctors; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) As announced by the Minister of Health and Family Planning in the statement made in the Lok Sabha on 2-4-1974, Government have agreed to withdraw all punitive action initiated against the junior doctors including suspension, termination, eviction orders and recovery of scholarship amount. However, the period of strike will be treated on the principle of "No work, no pay". Further action is being taken accordingly.

Coal Production

9015. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the coal production in 1974 has been less than the demand therefor;

(b) whether agricultural development has come to a stand still in North Bihar for want of coal; and

(c) if so, the fresh measure proposed to be taken by Government in regard to coal production?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Against the estimated demand of 80 to 85 million tonnes during 1973-74, the production is estimated at about 78 million tonnes.

(b) No, Sir.

(c) In order to meet the growing demand for coal especially in the context of the current oil crisis, the production is proposed to be stepped up from the current estimated level of about 78 million tonnes to 95 million tonnes in 1974-75. The increased production is to be achieved by intensive working of the opencast and mechanised mines in the Central and Western Divisions of Coal Mines Authority Ltd. re-opening of closed mines, introduction of seven-day working and four shift working instead of three shifts to be put into practice wherever possible in consultation with the trade unions etc.

ग्राम बख्तारपुर, दिल्ली में ग्रामीण निष्क्रांत कृषिभूमि/घरों पर अनधिकृत कब्जा

9016. श्री दलीप सिंह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम बख्तारवरपुर में ग्रामीण निष्क्रान्त भूमि/घरों के कुल कितने क्षेत्र पर अभी तक अनधिकृत लोगों का कब्जा बना हुआ है और ऐसी सम्पत्ति को वापस लेने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) विभाजन के पश्चात् ग्राम बख्तावरपुर, दिल्ली में निष्क्रान्तों द्वारा कुल कितनी कृषि भूमि (संयुक्त भूमि) पीछे छोड़ी गयी और दिल्ली निवासियों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके दावों को पूरा करने के लिए कुल कितनी ऐसी भूमि आवंटित की गयी और उक्त ग्राम में आवंटित न की गयी कुल कितनी भूमि है;

(ग) क्या विभाग द्वारा शरणार्थियों (पश्चिम पाकिस्तान) को उनके भाग को शेष कृषि भूमि आवंटित करने में विलम्ब करने के कारण उन्हें हुई आर्थिक क्षति के लिए कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो उनको हुई हानि की किस प्रकार क्षति-पूर्ति की जायेगी; और

(घ) क्या सरकार ने इस अनधिकृत कब्जा करने वालो से कोई क्षतिपूर्ति लगाने वसूल किया है या करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कुदरेमुख के अयस्क के प्रति जापान की रुचि में कमी

9017. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान जो पहले कुदरेमुख के अयस्क में अत्यन्त रुचि प्रदर्शित कर रहा था, अब उसे प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने पेलेटाईज़ेशन प्लान्ट स्थापित करने के लिए विदेशी फर्म से बातचीत आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सबोध हंसदा) : (क) जापान की कुछ पार्टियों ने पहले कुद्रमुख में जो अभिरुची दिखाई थी वह पैलट फीड की सप्लाई के लिये थी । उन पार्टियो ने लगभग एक वर्ष पूर्व सूचित किया था कि जापान में नये दूषण विरोधी उपायों के अन्तर्गत पलटाइजेशन कार्यक्रम को धक्का लगने से व अब पैलेट फील्ड का आयात नहीं करना चाहते हैं ।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा पहले करने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय शहीदों की मूर्तियां वापिस करना

9018. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार गत भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा ले जाई गई शहीद भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्तियां वापिस करन को सहमत हो गई है और यदि हां, तो उक्त मूर्तियां कब लौटाइ जायेंगी ;

(ख) क्या कुछ अन्य शहीदों और सन्तों की मूर्तिया भी, जो उस समय ले जाई गई थी, लौटाई जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उक्त मूर्तियों की स्थापना कहां की जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सशस्त्र सेना शहीद भगत सिंह की समाधि से जो आवक्ष मूर्तियां ले गई थी वे पाकिस्तान सरकार ने 22 अप्रैल, 1974 हमें लौटा दी हैं ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सशस्त्रसेना शहीदों की कोई मूर्तिया भी ले गई थी, इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये वित्त निगम

9019. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए निगम के बारे में 21 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगम की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग खोलने के लिए एक निगम बनाने की आवश्यकता और उसकी व्यवहार्यता के प्रश्न

पर अभी विचार किया जा रहा है इसका ब्यौरा अभी तैयार करना है और किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अभी कुछ और समय लग सकता है।

जीपों की सप्लाई के लिये दर ठेकों का नवीकरण

9020. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों को जीपों की सप्लाई का दर-ठेका व्यपगत हो गया है और उसका नवीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका नवीकरण कब किया जायेगा; और

(ग) नवीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडीलकर) : (क) और (ख) मैसर्स महिन्द्र और महिन्द्र, बम्बई के साथ 15-12-73 से 31-3-76 तक की अवधि के लिए जीपों के लिए एक नया दर ठेका निष्पादित किया गया है।

(ग) दर ठेके की परस्पर स्वीकार्य शर्तों के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और पूर्ति विभाग दोनों में फर्म के साथ अनेक बैठकें करनी पड़ी थीं। इनमें कुछ समय लगा।

हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर तिरा में सैनिक स्कूल खोलना

9021. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर तिरा में सैनिक स्कूल खोलने के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना इस वर्ष से चालू हो जाये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सुजानपुर तिरा ज़िला हमीरारपुर में सैनिक स्कूल स्थापति करने के सम्बन्ध में 19 सितम्बर, 1973 को एक उच्च शक्ति सम्पन्न तकनीकी समिति, जिसके अध्यक्ष राज्य के राजस्व मंत्री हैं, गठित की है, जो भूमि के अर्जन, सड़कों तथा भवनों इत्यादि के निर्माण से सम्बन्धित कार्य करेगी। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष हैं। राज्य सरकार के द्वारा सुजानपुर तीरा में सैनिक स्कूल चलाने के लिए आवश्यक भवनों तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होते ही सैनिक स्कूल कार्य प्रारम्भ कर देगा।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सीसा स्मेल्टर

9022. **श्री गजाधर मांझी :**
श्री एम० एस० पुरली :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार तथा तत्कालीन इस्पात और योजना मन्त्रियों के साथ भवनेश्वर में हुई उच्चस्तरीय बैठक के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि सीसा स्मेल्टर में कुल पुंजी निवेश सरकारों द्वारा किया जायेगा और इसे पांचवी योजना दौरान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सर गोपल्ली में स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या उड़ीसा में सीसा स्मेल्टर संयन्त्र के बारे में आश्वासन इस निर्णय के बाद दिया गया था कि अधिकांश शेयर केन्द्रीय सरकार के होंगे और उड़ीसा सरकार के शेयर 49 प्रतिशत होंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जनवरी 1972 में भुवनश्वर में हुई बैठक में यह तय हुआ कि सुंदरगढ़ जिले (उड़ीसा) के सर्गीपल्ली स्थित अयस्क निक्षेपों पर आधारित सीसा के लिए एक अलग निगम बना दिया जाए। लेकिन सीसा–प्रद्रावक के स्थान के बारे में, परियोजना की आर्थिक साध्यता की जांच के बाद ही निर्णय किया जाएगा। प्रस्ताविक निगम में पूंजी लगाने हेतु यह सुझाव दिया गया कि उसमें 51 प्रतिशत शेयर केन्द्रीय सरकार के और शेष 49 प्रतिशत शेयर उड़ीसा सरकार के हों।

(ग) नवम्बर, 1972 में उड़ीसा सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जो खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, को सर्गीपल्ली सीसा निक्षेप की साध्यता/परियोजना रिपोर्ट बनाने सहित प्रारंभिक विकास का काम सौंप दिया जाए ताकि इस पूर्वेक्षण पर आधारित सीसा उत्पादन की आर्थिक उपादेयता को स्थापित किया जा सके। परन्तु कम्पनी खनन पट्टे की स्वीकृति विचाराधीन रहने के कारण उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रवेश नहीं कर सकी। पट्टे के शीघ्र ही निष्पादित किए जाने की आशा है तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने अधिकारी सर्गीपल्ली भेजे है। क्षेत्र में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे खोज कार्य की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कम्पनी साध्यता/परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगी। इस रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है और यह शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी।

न्यायाधिकरण को विवाद सौपने में विलम्ब

9023. **श्री गजाधर मांझी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, जबकि उन्हें न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय किए हुए छह महीने से अधिक समय बीत गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक विवादों के मामले में, विवादों को न्यायनिर्णय के लिए भेजने से पूर्व निर्धारित की गई प्रक्रिओं के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयो से परामर्श करना पड़ता है। प्रायः प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संबंधित प्रतिष्टानों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाते है, वे या तो सीधे या केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धतंत्र के माध्यम से वार्ताओं के द्वारा बिवादों को निपटाने का प्रयास करते हैं, जो स्वभावतः समय लेते हैं।

कोयला खान अंशधारी संघ की ओर से प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन

9025. **श्री डी० पी० जडेजा** :
श्री बेकारिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1973 में जब कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब प्रधान मंत्री को कोयला खाम अंशधारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला था;

(ख) यदि हां, तो वह अभ्यावेदन कब मिला और उसमें क्या क्या बातें लिखि हुई थी;

(ग) उक्त बातों से ज्ञापन में निर्दिष्ट सरकारी कम्पनियों के अंशधारी किस प्रकार प्रभावित होंगे; और

(घ) अंशधारी को अपने 100 रुपये और 10 रुपये के प्रति शेयर पर कितनी राशि मिलेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां। मई–जून, 1973 में किसी समय शेयर होल्डर्स एसोशिएशन से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कोयला खानो में छोटी पूंजी के निवेशकर्ताओं तथा मध्यम वर्ग के शेयर धारियों की आशंकाओं का उल्लेख किया गया था।

(ग) और (घ) जानकारी देना कठिन है।

इस्पात संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग

9026. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्रीमती रोझा देशपांडे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों की पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि इस्पात संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है तो कितने इस्पात का उत्पादन हो सकेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कई आंतरिक तथा बाह्य कारणो पर निर्भर है। बाह्य कारणों से आई कठिनाइयों के बावजूद हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धकों ने सरकारी क्षेत्र के भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं और कर रहे हैं। इन में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग, ईंधन के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कुछ भट्टियों में तेल का उपयोग, उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए रख–रखाव में सुधार, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमो में तेजी लाना, तथा फालतू पुर्जों तापसह ईंटों तथा अन्य आवश्यक सामान की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। कोक तथा कोक भट्टी गैस की कमी को पूरा करने के लिए भिलाई में एक अतिरिक्त कोक ओवन बैटरी तथा राउरकेला और दुर्गापुर प्रत्येक में अधीक कोक ओवन बैटरी की स्वीकृति दी गई है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई ऐक्शन कमेटी, जिसने कुछ समय पूर्व राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखानों के कार्यकरण की जांच की थी, निर्धारित क्षमता तक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। इन उपायो को कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति की दुर्गापुर इस्पात कारखाने से सम्बन्धित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इस समय इसकी जांच की जा रही है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० भी कारखानों को सभी आवश्यक सहायता दे रही है और आगामी वर्षो में इन कारखानों में उत्पादन में श्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश कर रही है। बिजली की सप्लाई तथा आवश्यक आदानों और तैयार माल के लिए रेल परिवहन के बारे में सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियो, सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा रेलवे से निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखा जा रहा है।

जहां तक 'इस्को' का सम्बन्ध है कारखाने के लिए एक प्रतिस्थापना कार्यक्रम बनाया गया है जिसकी अनुमानित लागत 43 करोड़ रुपए है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

टिस्को ने भी चरणों में पुरानी कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माण तथा पुराने बायलरों को बदलने और कोयला खानों में अधिक उत्पादन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) पांचों मुख्य इस्पात कारखानों की विक्रेय इस्पात के उत्पादन की कुल क्षमता 67.29 लाख टन है। यदि इन कारखानों का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के 90 प्रतिशत तक हो जाए तो विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 60.56 लाख टन हो जाएगा।

खुदाई की नयी मशीनों की खरीद

9027. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'चीफ आफ जियालोजी' ने दो वर्ष के अन्दर ही खुदाई की 100 नई मशीनों की खरीद के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के भंडार में बेकार पड़ी खुदाई की आयातित मशीनें

9028. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बड़काकाना केन्द्र के भांडागार में फालतू पुर्जों के पूरे नये सैटों सहित खुदाई की बहुत सी (10-15) आयातित मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खुदाई की मशीनों का निपटान

9029. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 के आरम्भ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास खुदाई की 115 मशीनें थीं और इसके पश्चात् बहुत सी मशीनें या तो बेच दी गयीं या स्क्रैप के मूल्य पर नीलाम कर दी गयीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उड़ीसा मायनिंग कारपोरेशन से खुदाई मशीन का खरीदा जाना

9030. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से खुदाई की मशीने खरीदी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य पर तथा इस सम्बन्ध में अन्य तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बिहार सरकार के साथ खुदाई मशीनों के सौदे को रद्द किया जाना

9031. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ आफ जिआलोजी एण्ड ड्रिलिंग एन० सी० डी० सी० ने खुदाई मशीनों के लिये बिहार सरकार के साथ सौदे को रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में पाये जाने वाले लिगनाइट तथा बाक्साइट का उपयोग

9032. डा० महिपत राय मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लखपत ताल्लुक में भारी मात्रा में उत्तम श्रेणी की लिगनाइट तथा बाक्साइट पाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन भारी भंडारों के उपयोग के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा लिग्नाइट के लिए की गई खोजो के फलस्वरूप कच्छ जिले के उमरसार एरिया में लिग्नाइट के 107.00 लाख टन भंडार आंके गए हैं । इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार ने पनाढरे, अरवलीबेटा और मातनोमाध लाफरी इलाकों में 1237.00 लाख टन लिग्नाइट होने का अनुमान लगाया है । गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लखपत तालुका में 49.65% से 55.46% एलूमिना वाले 1180.00 लाख टन बौक्साइट का भी अनुमान लगाया है ।

(ख) इन खनिजों के अधिकतम उपयोग के प्रस्ताव गुजरात सरकार के विचाराधीन हैं । राज्य सरकार ने लिग्नाइट निक्षेपों के समुपयोजन का काम गुजरात खनिज विकास निगम को सौंपा है । लखपत तालुका तथा गुजरात के अन्य इलाको के बाक्साइट निक्षेपों के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए साध्यता-अध्ययन पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

9—18 LSS/ND/74

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

रेल कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): हमने रेल नताओं की गिरफ्तारी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। हमें सभा का निर्धारित कार्य स्थगित करने और रेल नेताओं को गिरफ्तार करने तथा बातचीत को राकने के मामले में गृह मंत्री द्वारा की गई घृणित कार्यवाही पर विचार करने के लिए सभा की स्वीकृति लेने की अनुमति दी जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : उस समय जब कि बातचीत चल रही थी, संघर्ष समिति के संयोजक को गिरफ्तार क्यों किया गया? रेल मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : यदि सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही बातचीत में इस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है तो हमे जानना चाहिये कि हम क्या हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री एस० एम० बनर्जी, श्रीमती पार्वती कृष्णन, श्री रामावतार शास्त्री, श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री सी० के० चन्द्रप्पन, श्री भोगेन्द्र झा, डा० रानेन सेन, श्रीमती रोजा देशपांडे, श्री मधु लिमये, श्री समर गुह, प्रो० मधु दण्डवते और श्री समर मुखर्जी ने दी है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति लेने का उनसे अनुरोध करुंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय, अर्थात् श्री जार्ज फरनन्डीज, श्री बरुआ, श्री सरकार, श्री चौधरी जैसे रेल कर्मचारियों के नेताओं की उस समय जबकि बातचीत चल रही थी अविवेकपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी, पर चर्चा करने के प्रयोजनार्थ सभा का कार्य स्थगित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : चुंकि यह एक प्रकार से निन्दा प्रस्ताव है, मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो जायें जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं। उनकी संख्या पचास से अधिक है। अतः हम इसपर चार बजे विचार करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस पर दो बजे चर्चा आरम्भ की जानी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Some more time may be given for discussion on this matter.

अध्यक्ष महोदय : हमने वित्त विधेयक पर भी आज चर्चा करनी है। वित्त विधेयक पर विचार करने के लिए निर्धारित समय में कटौती की जाय अथवा स्थगन प्रस्ताव पर चार बजे चर्चा आरम्भ की जानी चाहिये।

श्री के० रघुरामैया : वित्त विधेयक कल पारित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इस को एक घन्टा कम समय दें तो हम स्थगन प्रस्ताव पर तीन बजे चर्चा आरम्भ कर सकते हैं और यदि इसकी कोई मद रह जाती है तो हम कल सर्वप्रथम उस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा विचार है कि यह ठीक रहेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना दी थी...

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन जो भी सूचना स्वीकार की जाती है, उसपर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य को प्रतिदिन इस प्रकार खड़ा नहीं हो जाना चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गयें पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य-संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:--

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:--

(एक) गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्यसंक्रामण प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 1 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम० 74-22 एम वी सी टी-1973-वी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 20 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम० 74-50 एम वी सी टी—1173 वी में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) इन अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 6883/74]

अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1974

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 181 (ड़) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6884/74]**

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6885/74]**

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ के प्रमाणित लेखे

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6886/74]**

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6887/74]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 आदि के अधीन पत्र

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1973-74 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1974-75 के बजट प्राक्कलनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6888/74]**

(2) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3क की उपधारा (1) तथा बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 की धारा 53क की उपधारा (1) के अन्तर्गत उद्योगों की एक सूची (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिनके बारे में संयुक्त प्रबंध परिषदें गठित करने के लिये कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6889/74]

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1973-74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों की संवैधानिक स्थिति के बारे में वक्तव्य

STAEMEFT ON CONSTITUTIONAL POSITION REGARDING SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS, PONDICHERRY FOR 1973—74

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : सोमवार को जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो मैंने विशेष रूप से यह अनुरोध किया था कि मंत्री द्वारा सदन में तैयार वक्तव्य दिये जाने की स्थिति में उसकी एक प्रति पहले मुझे उपलब्ध की जाये।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रति आप को उपलब्ध की जायेगी। अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पढ़ें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 23 अप्रैल, 1974 को, श्री इरा चेरियन ने, संघ क्षेत्र पांडिचेरी की 1973-74 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समय पर पारित न हो सकने के संबंध में सवाल उठाया था। माननीय सदस्य के द्वारा उठाये गये सवाल पर भी, जो महत्वपूर्ण है, विचार किया गया है।

2. महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं, मेरे माननीय मित्र द्वारा जो मुख्य प्रश्न उठाये गये वे इस प्रकार थे :--

(i) 1973-74 के लिए पांडिचेरी की अनुपूरक मांगें, जिन्हें 26 मार्च को संघ क्षेत्र विधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था, 28 मार्च, 1974 के राष्ट्रपति के आदेश के अधीन भंग किये जाने के पूर्व, विधान सभा द्वारा पारित नहीं की जा सकी। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार पांडिचेरी विधान सभा के विधायी कार्यों के अधिकार संसद में निहित है, लेकिन अनूपूरक माँगें 1973-74 के वित्तीय वर्ष की समप्ति से पूर्व न तो संसद के सम्मुख पेश ही की गयी और न स्वीकृत ही की जा सकी। परिणामतः अनुपूरक मांगों में परिकल्पित मदों पर किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और इसलिए गैर-कानूनी था ; और

(ii) अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गयी कुछ मदें विशेष रूप से नयी सेवा के लिए थीं जिनका अनुमान मूल बजट में नहीं लगाया गया था और यद्यपि संबद्ध अनुदानों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी लेकिन उचित विधायी स्वीकृति के बगैर किसी भी ऐसी नयी सेवा पर किया गया व्यय संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 को धारा 30 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) में अनुमानित अतिरिक्त अनुदानों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकता।

3. महोदय, इस सदन में तथा दूसरे सदन में यह निवेदन किया गया था कि 28 मार्च, 1974 की पांडिचेरी की विधान सभा के भंग किये जाने के पश्चात् 1974–75 के लिए संघ क्षेत्र के बजट अनुमानों के बारे में सूचना देर से 29 मार्च, 1974 को पूर्वाह्न में प्राप्त हुई। 1973-74 की अनुपूरक मांगों के बारे में भी सूचना उसी दिन प्राप्त हुई। पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 29 मार्च, 1974 की तारीख लोक सभा के कार्य की आखिरी तारीख थी। और कुछ ही घण्टे दिन पूरा होने में बाकी थे। इन दिनों सिर्फ लोक-सभा का ही सत्र चल रहा था। अतः संसद में पेश करने के प्रयोजन के लिए अनुपूरक मांगों का अन्तिम

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

रूप देना, उनका हिन्दी में अनुवाद कराना, हिन्दी और अंग्रेजी में कापियां छपवाना, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना और इसके पश्चात् अनुपूरक मांगों को इस सदन के समक्ष पेश करना, उक्त वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पारित करवाना आदि सब कुछ सम्भव नहीं था। राज्य सभा का सत्र नहीं हो रहा था इस लिये यदि यह मांगें और संबंधित विनियोग विधेयक इस सदन द्वारा पारित भी कर दिया जाता तो भी विनियोग विधेयक वर्ष में कानून का रूप नहीं ले सकता था। महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों और संबद्ध विनियोग विधेयक को पारित कराने में और 1974–75 के बजट को पास कराने की स्थिति में कोई अन्तर नहीं था, सिवाय इसके कि संघ क्षेत्र के प्रशासन के लिए 1973–74 के अनुपूरक अनुदान उपलब्ध न होने से वही स्थिति पैदा नहीं होती जोकि पहली अप्रैल, 1974 से किये जाने वाले व्यय के लिए धनराशि के उपलब्ध न होने से होती, क्योंकि 29 मार्च, 1974 तक 1973–74 के एक कार्य दिवस के खर्च को छोडकर सभी खर्च कर लिया गया होता। यही एक कारण है कि 1973–74 के अनुपूरक व्यय के लिए राष्ट्रपति का प्राधिकार प्राप्त करना न तो आवश्यक और न ही वांछनीय समझा गया, हालांकि, इस प्रकार का प्राधिकार संसद द्वारा स्वीकृति दिए जाने तक पहली अप्रैल, 1974 से किये जाने वाले व्यय के संबंध में प्राप्त किया जाना था।

4. इसके अलावा, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने स्वयं कहा है संविधान में और संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 में, कभी कभी अतिरिक्त व्यय होने की स्थिति की परिकल्पना की गयी है और इस व्यय को सक्षम विधानमण्डल द्वारा बाद में नियमित करार दिये जाने की व्यवस्था है। व्यय को इस प्रकार नियमित करार दिये जाने का काम सामान्यत: महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित विनियोग लेखाओं का विधान-मण्डल में पेश किये जाने और वहां की लोक लेखा समिति द्वारा अतिरिक्त व्यय की जांच किये जाने तथा उस को नियमित करार किये जाने की सिफारिश किये जाने के बाद किया जाता है इस मामले में भी, इसी प्रक्रिया का पालन करना पडेगा। कहने का आशय यह है कि विनियोग लेखाओं से जिस अतिरिक्त व्यय का पता चलेगा, उस व्यय को जहां तक उसे नियमित करार देने का संबंध है, विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जायेगा।

5. महोदय, फिर भी, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि नयी सेवा पर किया जाने वाला अनधिकृत व्यय पूर्ण रूप से, यदि वह व्यय संघ क्षेत्र की समेकित निधि से किया गया हो, संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 30(1) (ख) में परिकल्पित अतिरिक्त व्यय के अन्तर्गत नहीं आता। वस्तुत: नयी सेवा के मामलों के संबंध में जो व्यय किया गया है वह उक्त अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत स्थापित संघ क्षेत्र की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आकस्मिकता निधियों की स्थापना न केवल केन्द्र व राज्यों में बल्कि संघ क्षेत्रों में भी वस्तुत: ऐसे ही अवसरों के लिए की गयी हैं। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 48(2) के अनुसार संघ क्षेत्र की विधान मण्डल के व्यय का विधि द्वारा विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकार दिये जाने तक ऐसा व्यय आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किया जाता। दूसरे शब्दों में ये दोनों प्रकार के व्यय अन्तत: यथासमय उपयुक्त विधान मण्डल द्वारा नियमित करार दिये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत आयेंगे चूंकि, नयी सेवा की मदों पर किया गया व्यय आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किया गया है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि इस प्रकार किया गया व्यय गैर-कानूनी है।

इसलिये ऐसा खर्च, चाहे वह नयी सेवा का हो या नहीं, जो पांडिचेरी में 1973-74 के विनियोग से अधिक हुआ हो और जिसका पता उस वर्ष के खातों में लगे उसे संघ क्षेत्र सरकार

अधिनियम, 1963 में दी गयी रीति के अनुसार नियमित करार किया जायगा और उस पर उपयुक्त विधान-मण्डल में यथासमय कार्रवाई की जायगी।

श्री सेझियान : म इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूं। अनुदानों को अनुपूरक मांगें वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व पारित की जानी चाहिये। लोक लेखा समिति और भारत के महान्यायवादी के अनेक निर्णय मैंने देखे हैं। इसमें संवैधानिक बातें भी हैं। अतः इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। कार्यपालिका विधानमंडल के अधिकारों को हडप नहीं कर सकती। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय को अपना निर्णय देना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं पहले महान्यायवादी को बुलाने के पक्ष में नहीं था परन्तु अब स्थिति बहुत जटिल हो गई है। हमें इसपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिय और महान्यायवादी को सभा की सहायता करने के लिए बुलाया जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियार) : क्या इस मामले के संबंध में महान्यायवादी की राय कभी ली गई थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, परन्तु विधि मंत्रालय और विधि मंत्री से परामर्श किया गया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसपर चर्चा के लिए शीघ्र समय निश्चित किया जाना चाहिये। अन्यथा गैर-कानूनी स्थिति बनी रहेगी।

Shri Madhu Limaye (Banka): This may be included in the agenda of the Business Advisoy Committee Scheduled to meet to-day.

Mr. Speaker: We will see to it also.

देश की समुद्री सीमा में आने वाले समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. OWNERSHIP OF LAND BELOW THE SEA WITHIN THE TERRITORIAL WATERS OF THE COUNTRY

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : श्री मधु लिमये, संसद सदस्य ने देश के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व का प्रश्न उठाया है और उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार भारत संघ के अधिकारों का अधिक्रमण कर रही है।

यह प्रश्न तटाग्र के सुधार के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई और अपनाई गई सुधार स्कीम के संदर्भ में उठाया गया है। तटाग्र अर्थात् उच्च-जल सीमा और निम्न-जल सीमा के बीच आने वाले क्षेत्र की बाबत राज्य सरकार का अधिकार महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता, 1966 की धारा 294 और 295 पर आधारित है। 1876 के बम्बई नगर भू-राजस्व अधिनियम में भी लगभग वैसे ही उपबन्ध थे और वे 1966 में पूर्वोक्त विधान द्वारा निरसित कर दिए गये हैं।

उच्च-जल सीमा और निम्न-जल सीमा के बीच के तटाग्र क्षेत्रों में सुधार करने का राज्य सरकार का अधिकार किसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 297 में अन्तर्विष्ट संविधानिक आदेश के विरुद्ध नहीं है। इस अनुच्छेद के अधीन, ऐसी भूमियां, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें, जो भारत

[श्री एच० आर० गोखले]

के राज्य क्षेत्रीय समुद्र में या महाद्वीपीय पट्टी (कान्टिनेंटल शेल्फ) के अन्तर्गत समुद्र में स्थित हैं, संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनार्थ धारित की जाएंगी। यह अनुच्छेद 1958 के राज्य-क्षेत्रीय समुद्र और निकटवर्ती क्षेत्र विषयक जिनेवा-कन्वेन्शन के अनुच्छेद 3 में निहित राज्य प्रथा और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सुमान्यताप्राप्त नियम के अनुरुप है। जीनेवा कन्वेन्शन के अनुसार, "राज्य-क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई मापने के लिए सामान्य आधार तटवर्ती निम्न-जल सीमा है।" आंगल-नार्वे संबंधी मीन क्षेत्र के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1951 में यह निर्णय लिया था कि "इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई को मापने के प्रयोजन के लिए, **उच्च-जल सीमा के मुकाबले निम्न-जल सीमा या दो ज्वार भाटों के बीच का मध्यमान** ही साधारणतया राज्यों की कार्य प्रणाली में अंगीकृत किया गया है। यह सिद्धान्त तटवर्ती राज्य के लिए अधिकतम अनुकूल है और स्पष्टतया भूमि राज्य-क्षेत्र से संबंधित राज्यक्षेत्रीय समुद्र के स्वरुप को प्रदर्शित करता है।" 30–9–67 को राज्यक्षेत्रीय समुद्र के बारे में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा समुचित आधार रेखा से, जो इस प्रसंग में निम्न-जल सीमा के प्रति निदेश है, मापी गई 12 सागरीय मीलों की दूरी तक राज्यक्षेत्रीय समुद्र के विस्तार को निर्देशित करती है।

समुद्र तट के उच्च-जल सीमा और निम्न-जल सीमा के बीच का क्षेत्र, जिसे महाराष्ट्र विधान के अन्तर्गत लाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 297 के अर्थ में भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र अथवा महाद्वीपीय पट्टी (कान्टीनेंटल शेल्फ) में स्थित के रूप में नहीं माना जा सकता। न तो 1967 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा और न ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्वीकृति नियम तथा सिद्धान्त इस निष्कर्ष का समाश्वासन करते हैं कि ऐसे क्षेत्र राज्यक्षेत्रीय समुद्र के अन्तर्गत आते हैं।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि महराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई सुधार-स्कीम के अधीन उनके द्वारा तटाग्र का सुधार, संविधान के अनुछेद 297 का उल्लंघन नहीं करता है।

Shri Madhu Limaye (Banka): The statement of the Minister is factually wrong as well as from the legal point of view. The Minister had deliberately misled the House, and has failed in performing his duties. I should, therefore, be allowed to raise the matter to disapproval what the Minister had said in his statement.

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी कानूनी प्रश्न पर अपनी राय कैसे दे सकता हूं ?

नियम 377 के अधीन मामला

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) केन्द्रीय सरकारी अधिकारी एसोसिएशन के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा 1 मई 1974 की भूमि के नीचे दबाये गये कालपत्र का मामला

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए तीन सदस्यों श्री मुनि मिश्र, श्री० वी० वी० नायक, श्री० मधू दण्डवते ने सूचनाएं दी है। इन तीनों मे से मैं उस सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा जिसकी नोटीस सब से पहले आयी है। श्री विभुति मिश्र

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The All India confederation of Central Govt. Officers' Association had burned a time capsule wherein the promises broken by the Govt. were listed. Class I Officers of the Govt. were also members of that confederation. This showed that there was discontent even among class I officers, on whom Govt. depended for implementation of its policies. In a resolution the confederation warned that the Govt. employees would join other section of the people concertedly to redress their grievances.

This was a very serious matter. The Home Minister should make a statement in regard to this matter.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम) : मैं नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। इस संबंध में मुझे एक तार भी मिला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की जांच करें और इस संबंध में सभा में वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में तत्काल कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता।

(दो) उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपतिय चुनाव के बारे में विशेष निर्देश के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष को जारी किये गए नोटिस के बारे में

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I had addressed you a letter about the Election of President. There was also a news that the Supreme Court of India had issued a notice to you. I hope you will take the House into confidence in this regard.

Mr. Speaker: I have also read this in newspapers but I have not received it so far. When it comes I will consult the Members in the General Purposes committee.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि महान्यायवादी ने भी न्यायालय को नहीं बताया कि माननीय अध्यक्ष को इस संबंध में सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : महान्यायवादी को इस बारे में विधि मंत्री से परामर्श करना चाहिये था।

श्री इरा सेझियान (कुम्बकोणम्) : जो कुछ भी महान्यायवादी ने कहा है वह अनावश्यक है। महान्यायवादी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : महान्यायवादी तक यह बात पहुंचाई जानी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उतर-पूर्व) : इस मामले में सरकार की क्या राय है ? विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस समय मुझे स्वयं नहीं पता कि न्यायालय में क्या चर्चा हुई। मैंने भी समाचार पत्रों में ही पढ़ा है। मैं निश्चय ही महान्यायवादी से इस मामले के तथ्य मांगूंगा तथा सामान्य प्रयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, 1974

CODE OF CIVIL PROCEDURE AMENDMENT BILL, 1974

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

> "कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक की दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30, अर्थात्:—
>
> (1) श्री आर० वी० बड़े
>
> (2) श्री टी० बालकृष्णैया

(3) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
(4) श्री चन्द्रिका प्रसाद
(5) श्री ए० एम० चेलासामी
(6) श्री मूल चन्द डागा
(7) सरदार मोहिन्द्र सिंह गिल
(8) श्री एच० आर० गोखले
(9) श्री दिनेश जोरदर
(10) श्री बी० आर० कावदे
(11) श्री लीलाधर कटकी
(12) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
(13) श्री मधु लिमये
(14) श्री देवन्द्र नाथ महाता
(15) श्री वी० मायावन
(16) श्री मोहम्मद ताहिर
(17) श्री सुरन्द्र महंती
(18) श्री नुरुल हुडा
(19) श्री डी० के० पंडा
(20) श्री प्रभुदास पटेल
(21) श्री के० प्रधानी
(22) श्री राजदेव सिंह
(23) श्री एम० सत्यनारायण राव
(24) श्रीमती सावित्री श्याम
(25) श्री आर० एन० शर्मा
(26) श्री सत्यन्द्र नारायण सिन्हा
(27) श्री टी० सोहन लाल
(28) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(29) श्री आर० जी० तिवारी
(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी

और राज्य सभा से 15 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को पांचवीं लोक सभा के 12 वें सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रुपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधनकरने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभासे 30, अर्थात् :—

(1) श्री आर० वी० बड़े
(2) श्री टी० बालकृष्णैय्या
(3) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट
(4) श्री चन्द्रिका प्रसाद
(5) श्री ए० एम० चेलासामी
(6) श्री मूल चन्द डागा
(7) सरदार मोहिन्द्र सिंह गिल
(8) श्री एच० आर० गोखले
(9) श्री दिनेश जोरदर
(10) श्री बी० आर० कावदे
(11) श्री लीलाधर कटकी
(12) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
(13) श्री मधु लिमये
(14) श्री देवेन्द्र नाथ महाता
(15) श्री वी० मायावन
(16) श्री मोहम्मद ताहिर
(17) श्री सुरेन्द्र महंती
(18) श्री नुरुल हुडा
(19) श्री डी० के० पंडा
(20) श्री प्रभुदास पटेल
(21) श्री के० प्रधानी
(22) श्री राजदेव सिंह
(23) श्री एम० सत्यनारायण राव
(24) श्रीमती सावित्री श्याम
(25) श्री आर० एन० शर्मा
(26) श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
(27) श्री टी० सोहन लाल
(28) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(29) श्री आर० जी० तिवारी
(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी

और राज्य सभा से 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को पांचवीं लोक सभा के 12 वें सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रुपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वित्त विधेयक, 1974

FINANCE BILL, 1974

श्री गिरीधर गोमांगों (कोरापुट) : संविधान के अनुच्छेद 275(i) के उपबंध के अनुसार यह जिम्मेदारी केन्द्र की है कि वह एक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को उस राज्य के अन्य क्षेत्रों के प्रशासन स्तर के समान ऊंचा उठायें। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

योजना आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमे बताया गया है कि जनजातीय विकास एजेंसियों और केन्द्रीय समाज योजनाओं की पांचवीं योजना के दौरान समेकित कर दिया जायेगा। जनजातीय विकास एजेंसी को कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। जब पांचवीं योजना में नयी समेकित विकास योजनायें आरम्भ की जायेंगी तो कृषि मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई योजना को जनजातीय विकास एजेंसी में समेकित कर दिया जायेगा। और इस परियोजना के लिये समेकित विकास आवन्टन से धन नियत किया जाना चाहिये।

जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इन क्षेत्रों के विकास की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम इस बजट की पूरी तरह जांच पड़ताल किये बिना ही इसे पारित कर रहे हैं। इन सब बातों की पर्यवेक्षा करने हेतु कारगर समिति की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। आशा है कि अध्यक्ष महोदय और अन्य संबंधित अधिकारी संसदीय प्रणाली के संकट की ओर अपना ध्यान देंगे।

वित्त विधेयक आज हमारे चारों ओर व्याप्त बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। लोगों के कष्ट बढ़ रहे हैं। 'गरीबी हटाओ' अभियान के इन दो वर्षों से निर्धनता से नीचे स्तर का जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। साथ ही स्पष्ट रुप से खर्च हो रहा है। आज समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था चल रही है और वित्त मंत्री इस संबंध में कोई कारगर उपाय नहीं कर सके हैं।

बड़े बडे पुंजीपति सरकारी नेताओं और शक्तिशाली नौकरशाहों से सांठगांठ कर रहे है । सरकार विमुद्रीकरण करने, तिजोरियों को सील करने, अनियमित और स्पष्ट रूप से हो रहे व्यय को रोकने जन उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और केवल निर्यात के लिये ऐश्वर्य सामग्री का उत्पादन करने में असमर्थ है या ऐसा करना नहीं चाहती । बडे बडे पुंजीपतियों द्वारा राजस्व की धोखाधडी की बात को छोड़ दो, सरकार आयकर की बकाया राशि को भी वसूल नहीं कर रही है।

यह सरकार निर्दय और अविवेकी मुनाफाखोरों पर निर्भर कर रही है यही कारण है कि आज व्याप्त कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन कराधान प्रस्तावों में वित्तमंत्री ने करों को कम करने की घोषणा की है।

मूल्यों में वृद्धि के बावजूद उन्होंने मूल प्रस्तावों से भी कुछ अधिक रियायतें दी है। 1972-73 में राष्ट्रीय आय में वस्तुत: कमी हुई। पिछले 12 वर्षों में बेरोजगारी 400 प्रतिशत बढ़ी है रेल हडताल के संबंध मे सरकार ने सत्तावादी सुख अपनाया है। रेलवे बोर्ड आज भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नौकरशाही निकाय है। इस सरकार को श्रमिक अनुशासन के लिए कहने का क्या अधिकार है ?

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दिसम्बर 1969 में मितव्ययिता संकल्प पारित किया था किन्तु उस को बिलकुल कार्यान्वित नहीं किया गया।

वित्त मंत्री को यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि विदेशी सहायता, विशेषकर अमरीकी सहायता पर निर्भर रहने का अर्थ है देश को पुन: उपनिवेश बनाना । नया पी० एल० 480 समझौता अमरीकी ब्लैक मैल के आगे समर्पण करना है। ईरान और जापान तथा अमरीका को खुश रखने के लिए देश कच्चे लोहे जैसी सम्पत्ति से भी वंचित होने के लिए तैयार है । हमे ऐसी सम्पत्ति को तेल की अधिकता वाले देशों की तरह आर्थिक सुदृढ़ता और राजनितिक प्रभाव के लिए उपयोग में लाना चाहिये ।

देश पर शासन बनाये रखने के लिए सरकार के पास बल प्रयोग का एक हथियार है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत हजारो व्यक्ति जेलों में पडे हैं ।

मैंने पहले भी सरकार को चेतावनी दी है कि चढ़ना धीरे-धीरे होता है किन्तु गिरना एकदम से होता है और एक बार लोगों की नजरों से गिरने पर शक्ति भी हाथ से जाती रहती है।

सरकार श्रमिकों को और किफायत करने के लिए कहती है किन्तु 26 अप्रैल के तारांकित प्रश्न 867 के अनुसार केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के 681 अधिकारी विदेशों में गये और इन पर 73 लाख रुपये खर्च हुआ। एक अधिकारी तो एक वर्ष में 17 बार विदेश गया।

सरकार दक्षिणपंथी खतरे की बात करती है किन्तु केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है।

यह आवश्यक है कि भूमि सुधारों को लागू करने, औद्योगिक एकाधिकार को धीरे-धीरे समाप्त करने, राष्ट्रीय आमदनी को उच्च लाभांशों, रायल्टी और मूल्य प्रभारों के रुप में बाहर भेजने से रोकने के लिए तत्काल, ईमानदारी से कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। अवैध सम्पत्ति पर कब्जा करके और अपराधियों को अनिवार्यत: कैद करके काले धन को खत्म करने के तत्काल उपाय किये जाने चाहिए । विदेश और आंतरिक नीतियों में परिवर्तन करने से सुरक्षा और पुलिस पर होने वाला काफी अधिक व्यय बडी सीमा तक कम किया जा सकता है किन्तु सरकार ऐसा नही कर रही है और वित्त विधयक में नये करों का प्रस्ताव रख रही है।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री ने बजट में वांचू समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारशों सम्मिलित की हैं। व्यक्तिगत आय की सीमा बढ़ाई गई है। विकास छूट को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है किन्तु 7000 रु० से 20000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई लाभ नही मिलेगा। लगता है नजर से चूक जाने के कारण यह असमानता आई है। चूंकि इससे प्रभावित व्यक्ति अधिकांशत: वेतनभोगी और छोटे व्यापारी हैं, अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस की पुनः जांच करके इस समूह को थोडी और राहत हो जानी चाहिए ताकि इससे मूल्य वृद्धि का प्रभाव कम हो।

वांचू समिति ने सिफारिश की है कि व्यक्तिगत आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 7500 रु० तक कर दी जानी चाहिए। इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इससे कुछ करोड रुपयों के राजस्व की हानि तो होगी किन्तु इस हानि को उच्चतर समूह वाले करदाताओं की विवरणियों की बारीकी से जांच करके और कर की बकाया राशि को कम करके पूरा किया जा सकता है।

अधिशेष धनको खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक ने जमा राशिपर ब्याज की दर चौथाई अथवा आधा प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा है किन्तु इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि बैंक जमाखातों, सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य जमा खातों से होने वाली आय पर कर छूट सीमा 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रु० या 4500 रु० कर दी जानी चाहिए। इससे बैंकों में अधिक राशि जमा की जायेगी और उस धन को सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बचत योजनाओं में लगाया जा सकेगा।

यह तथ्य है कि देश एक अत्यंत कठिन समय से गुजर रहा है। पिछले वर्ष मूल्यों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और घाटे की अर्थव्यवस्था लगभग 1000 करोड रुपये हुई थी। सरकार ने कुछ उपाय किये हैं किन्तु इनसे मूल्य वृद्धि नहीं रोकी जा सकती है। मूल्य वृद्धि अधिक उत्पादन से रोकी जा सकती है और उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारने देश की भलाई के लिए जो कार्यवाही की है उस सबके उलटे परिणाम निकले हैं। कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि इसे ताप संयत्रों, इस्पात संयंत्रों, उर्वरकों और रेलों कों सुलभ बनाया जा सके किन्तु यह, दुर्लभ हो गया है।

1972 में उत्पादन में कमी प्राकृतिक विपदाओं के कारण आई थी किन्तु इस वर्ष प्राकृतिक विपदाएं नहीं आई हैं, फिर भी बिजली की कमी के कारण उत्पादन काफी कम रहा है।

कर्मचारियों को सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति नही पहुँचानी चाहिए। इसे सहन नही किया जा सकता है। जब तक सरकार दृढ़ नहीं होती, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। अब न तो मूल्यों में और अधिक वृद्धि और न ही उत्पादन में कमी को सहन किया जा सकता है।

विमुद्रीकरण का उल्लेख किया गया है। मेरा विचार है कि विमुद्रीकरण की चर्चा से भी मूल्य वृद्धि होती है। इससे अनिश्चय की स्थिति बन जायेगी और उत्पादक अपनी वस्तुएं अपने पास रखेगा और उन्हे बेचेगा नहीं इससे मूल्यों में वृद्धि होगी। इस संबंध में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

जहां तक पिछडे क्षेत्रों के उद्योगिकरण का संबंध है, निसंदेह सरकार चाहती है कि वहां उद्योग स्थापित हो। सरकार ने अनेक प्रोत्साहन दिये हैं किन्तु इन पिछडे क्षेत्रों में कोई आधारभूत ढांचा नहीं है और इसलिए वहां उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाया जाना चाहिये। जिन छोटे कस्बों में थोडा-बहुत आधारभूत ढांचा विद्यमान है, वहां उद्योगिकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

डॉ कर्णीसिंह (बीकानेर) : वित्त मंत्री को अपेक्षतया अधिक संतुलित और औचित्यपूर्ण बजट के लिए बधाई दी जानी चाहिए किन्तु इस से गरीबी नही हटेगी

देश के सामने मुख्य समस्या आर्थिक संकट की है। इसे हल करने में सरकार और विपक्ष दोनों ही असफल रहे हैं। नौकरशाही और श्रमिक तत्व भी असफल रहे हैं। इतना होने पर भी हम अलग-अलग दिशा ओं में चल रहे हैं जबकि होना यह चाहिए था कि हम एकजुट होकर बढ़ते हुई महंगाई के बोझ के नीचे दबे हुए गरीब लोगों की समस्याओं और विपत्तियों का हल ढूंढते।

मैं यह जानता हूं कि महंगाई सारे विश्व में बढ़ी है किन्तु सरकार उसे दूर करने के स्थान पर सत्ता में बने रहने के लिए अधिक प्रयत्नशील है।

1971 और 1972 में लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस को विशाल बहुमत दिया था, उससे यदि सरकार चाहती तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ला सकती थी और अधिक रोजगार दे सकती थी किन्तु इस अवसर का बिलकुल लाभ नहीं उठाया गया है।

इस देश की जनसंख्या 50,000 प्रतिदिन की दर से बढ़ती जा रही है जिससे हमारी सम्पूर्ण आयोजना असफल हो रही है। जनसंख्या इस भीषण विस्फोट को रोकने के लिये परिवार नियोजन पर बल दिया जाना चाहिये जिसपर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है।

आज केवल राजनीति में ही भ्रष्टाचार नहीं अपितु प्रशासन में, नौकरशाही में यहाँ तक कि सम्पूर्ण राष्ट्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अत: हमे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिये फिर चाहे वह कितना ही क्यों न हो।

जहाँ तक चुनाओं में काले धन का प्रयोग किये जाने की बात है, मैंने देखा तो नहीं सुना अवश्य है कि बड़े-बड़े व्यापारिक सदनों से चुनाव के लिये काला धन ऐंठने के लिये हर सम्भव उपाय किये गये है। उन्ह धन न देने पर लाइसेंसो सें वंचित रह जाने की चेतावनी तक दी गयी है। अत: कांग्रेस तथा विपक्ष दोनोंको ही चाहिये कि राजनीति विशेषत: चुनाओं में काले धन का उपयोग न करें । हमारी महान भारतीय संस्कृति का स्वरुप भी बडी तेजी से बदल रहा है। हमारे नैतिकता के मानदण्ड तेजी से बदल रहे हैं। हम पश्चिमी देशों की उस संस्कृति की और झुकते जा रहे है जिस में बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। इस स्थिति में गरीब को सहायता की जरुरत है। सरकार को इस संबंध में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिये।

सरकार की लाइसेंस देने तथा कर लगाने की नीति ने साधारण व्यक्ति का जीवन दुभर बना दिया है।

अंधाधुंध राष्ट्रीयकरण करते जाने से समस्या का कोई हल सम्भव नहीं है। जीव बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण इस का उदाहरण है। गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना भी सरकार के लिये हितकर सिद्ध नहीं हुआ है। वस्तुत: इन सब कार्यों से देश पिछड़ा है।

पिछले दो वर्षों में असाधारण रुप से अर्थात् 42 प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि नियोजित विकास को हुई है। पांचवीं योजना तो इस कारण आरम्भ भी नहीं हो पा रही है। 1971 में 'गरीबी हटाओ' के नारे के बाद से हम राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से बहुत बिछड़े गये हैं। दो वर्षों में ही लगभग दुगने मूल्य हो जाने के कारण हमारी आर्थिक विकास की दर जो पहले ही 4.5 प्रतिशत थी, शून्य रह गयी है । बरोजगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है तथा प्रति व्यक्ति आय भी कम होकर 1972 में केवल 333 रह गयी है।

[डॉ० कर्णी सिंह]

देश की निरन्तर विकासशील अर्थव्यवस्था तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप ही विद्युत उत्पादन किया जाना चाहिये। इस संबंध में अभीतक अत्यन्त गड़बड़ की स्थिति है। करोडों रुपये व्यय करके 45 लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता वाले जो संयंत्र आयात किये गये थे वे विभिन्न स्थानों पर पड़े जंग खा रहे हैं। इस समय हमारे पास 1025 लाख कि० वाट बिजली उत्पादन की क्षमता है परन्तु बिजली का संकट बना हुआ है जबकि हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र को केवल 110 लाख किलोवाट बिजली की आवश्यकता है। प्रबंधव्यवस्था में सुधार करके यह संकट दूर किया जा सकता है। परन्तु इस का सर्वथा अभाव है।

खाद्य समस्या के संबंध में प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री द्वारा विभिन्न आश्वासन दिये गये हैं। इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भ्रामक है।

युवा विद्रोह की बात भी यही है। सरकार उनके लिये समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है। देश इस समय ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है। इस समय विपक्ष को एक होकर सरकार का विकल्प प्रस्तुत करना चाहिय क्योंकि सरकार देश का प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं चला पा रही है। मैंनें कहा था कि देश में एक राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिये। मात्र यह कह देने से कोई समस्या हल नहीं होती कि विरोधी दल गड़बड़ी करते हैं। आवश्यकता लोगों की सामुहिक इच्छा की है। हम सभी कांग्रेसी तथा विरोधी पक्ष के सदस्यों को मिलकर कार्य करना चाहिये। यह कार्य और इस प्रकार की एकता राष्ट्रीय सरकार से ही संभव है। संगठित रहकर कार्य करने से देश की स्थिति सुधर सकती है।

पेट्रोल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे देश में गतिवान यातायात के बिना उद्योगिक विकास नहीं हो सकता।

जीवन बीमा निगम की एकल प्रीमियम वार्षिकी पर धन कर की छूट दी गयी थी परन्तु अब उसे वापस ले लिया गया एसा एकपक्षीय निर्णय उचित नहीं है। अतः बीमा अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिये जिससे संबंधित व्यक्ति को कोई हानि न उठानी पड़े। सरकार को अपने किये हुये वायदों से हटना नहीं चाहिये क्योंकि इससे सरकार पर से लोगों का विश्वास हट जायेगा और फिर वायदे तोड़-तोड़ कर एक महान राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता।

कुछ बात मैं अपने चुनावक्षेत्र के संबंध में भी कहना चाहता हूं। गंगा नहर के संबंध में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार पंजाब को फिरोजपुर से आगे उसमें से पानी नहीं लेना चाहिये था परन्तु हाल ही में इस में से पानी लेना शुरू कर दिया गया है। इस पर रोक लगायी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह कि राजस्थान नहर परियोजना का कार्य भी सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है। इस विशाल परियोजना के कार्य को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उद्वहन जलमार्ग (शिफ्ट चैनल) का कार्य जून 1972 तक पूरा हो जाने की बात कही गयी थी परन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के लोग पिछले 20 वर्ष से बिकानेर विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। योजना तथा क्षेत्र, नियतन के बावजूद यह कार्य अभी नहीं किया गया है। वित्त मंत्री को अब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये समुचित धन दे देना चाहिये।

विद्युत संकट के ऐसे समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि राजस्थान में भी एक तापविद्युत केन्द्र स्थापित किया जाये अतः सरकार पलाना में एक तापबिजली घर स्थापित करने के संबंध में बिचार करे जिससे बिजली के अभाव की समस्या हल की जा सके।

श्री पी० के० घोष (रांची) : कर की अधिकतम दर 97 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर देना वित्त मंत्री का एक यथार्थपूरक तथा साहसिक कदम है। परन्तु खेद की बात है कि कराधान की न्यूनतम सीमा केवल 6000 रुपए की गयी है। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाना चाहिये क्योंकि आज अनिवार्य वस्तुओं के अत्यधिक बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुये 800 रुपए मासिक कमाने वाला व्यक्ति गरीब ही है उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये। साथ ही यदि करों की ठीक ढंग से वसुली की जाय तो सरकार के राजस्व में कमी नहीं होगी। कराधान की न्यूनतम सीमा 10,000 कर देने से आयकर अधिकारियों के पास बड़े मामलों पर ध्यान देने के लिये अधिक समय होगा क्योंकि उच्च आयवर्ग के मामलों में ही कर अपवंचन अधिक होता है। बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन होने से अमीर व्यक्तियों के पास बड़ी माता में काला धन इकट्ठा हो रहा है। फलतः धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं।

वस्तुतः असाधारण मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण भी काला धन ही है। यह काला धन उद्योग, शहरी सम्पत्ति या कृषि में नहीं लगाया जा सकता अतः इन लोगों के पास किसी भी वस्तु से अपने गोदामों को भर लेने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। फलतः हर वस्तु का हर समय कृत्रिम अभाव बना रहता है। पिछले वर्ष असाधारण मूल्य वृद्धि होने का कारण भी यही है।

मूल्यों में असाधारण वृद्धि उत्पादन घटने के कारण नहीं बल्कि जमाखोरी के कारण हुई है। जमाखोरी के कारण वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं और फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिससे काले धन वालों के पास वस्तुयें जमा करने के लिये तथा वस्तुओं को महंगी दर पर निकालने के लिये और अधिक धन आ जाता है इस प्रकार निश्चित आय वर्ग वालों का ईमानदारी से कमाया धन मूल्य की दृष्टि से निरन्तर कम होता जा रहा है तथा व्यापारियों के हाथ में पहुंच कर काला धन बनता जा रहा है।

बैंक जमा में भी असाधारण रूप से गिरावट आयी हैं। इसका कारण यह है कि निश्चित आय वर्ग अपनी कमाई को बैंकों में इसलिये जमा नहीं करता कि उनकी वास्तविक आय निरन्तर घटती जा रही है।

काले धन का पता लगाने तथा उस पर रोक लगाने के लिये तत्काल उपाय किये जाने चाहियें। अन्यथा देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जायेगी। कहा गया है कि विमुद्रीकरण कर के काले धन का पता लगाया जा सकता है किन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि संबंधित व्यक्ति काले धन का सोना खरीद लेंगे या मकान के रूप में सम्पत्ति बना लेंगे। इस का एक मात्र हल तो यही है कि एक व्यक्ति के लिये अपने पास अधिक से अधिक 5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति रखने का नियम बनाया जाना चाहिये। यदि हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिये सम्पत्ति की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित कर दी तो यह काला धन नहीं रख सकता। इस अधिकतम सीमा के अन्दर व्यक्ति की सभी प्रकार की आस्तियाँ सम्मिलित हैं। सभी आस्तियों का निर्धारण अलग-अलग न हो कर एक साथ किया जाना चहिये।

रांची की निरन्तर उपक्षा की जा रही है। यहां की जनसंख्या 4 लाख से अधिक है। इसका ग्रेड बढ़ा कर इसे 'ख' श्रेणी का नगर नहीं बनाया जा रहा है। इतना प्रसिद्ध स्थान तथा औद्योगिक दृष्टि से उन्नत होने पर भी इसकी यह स्थिति है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रांची की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। यह दिखाने के लिये कि रांची की जनसंख्या 4 लाख से अधिक नहीं है, एच० ई० सी० क्षेत्र तथा रांची नगरपालिका क्षेत्र को पृथक् कर दिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें तथा अविलम्ब रांची शहर का ग्रेड बढ़ाया जाये।

10—18 LSS (ND)/74

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में वर्ष 1974 को निराशाजनक बताया है । वर्ष 1973 भी संकटों का वर्ष रहा है । बजट सम्बन्धी कुछ प्रश्नों का उत्तर देते समय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर इस उत्तेजक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये और यह सब कुछ मुख्यतः अपरिहार्य राष्ट्रीय तथा आन्तर्राष्ट्रीय कारणो से हुआ है । मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं । यद्यपि हो सकता है कि यह आंशिक रूप में फिर भी अपरिहार्य है अधिकांशतः सरकार इस स्थितो से बच सकती थी । यह आश्चर्य की बात है कि बजट भाषण के दो महीनों के पश्चात् जब वित्त विधेयक पेश किया गया तो वित्त मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि स्थिति और भी बिगड़ गई है । सभी आवश्यक खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और औद्योगिक कच्चे माल तथा साथ ही निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भी उतनी ही वृद्धि हुई है । वित्त मंत्री महोदय ने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए बजट प्रस्तावों के अतिरिक्त क्या उपाय कर रही है । यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जो की देश को अर्थव्यवस्था तथा प्रशासन पर नियंत्रण रखता है । यह समझना कठिन है कि यह शक्ति प्राप्त होने पर भी मंत्रालय स्थिति पर निमंत्रण क्यों नहीं रखता है । क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि विलम्ब के लिए देश को जो हानि उठानी पडती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र पर ही है ? यदि इन विलम्बों को रोका जा सकता तो अरबों रुपए की बचत हो सकती थी । भिलाई और बोकारो संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने में हुए विलम्ब का उल्लेख किया गया था । इनमें दो वर्ष तक का विलम्ब हुआ है । इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में हुए दो वर्षों के विलम्ब में पूंजी व्यय, ब्याज प्रभार तथा उत्पादन में इन परियोजनाओं पर आधारित अन्य परियोजनाओं में होने वाली हानि निहित हैं । ऐसे विलम्बों की जांच करने के संबंध में वित्त मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसे विलम्ब न हों तथा ऐसे विलम्बों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, क्या उपाय किए गए हैं ।

मेरे विचार से सम्बन्धित मंत्रालयों के अधिकारियों की उदासीनता के कारण ही इस रूप में देश को बहुत बड़ी हानि हो रही है । आजकल कई परियोजनाओं में विदेशी सहयोगियों तथा विदेशी पूर्तिकर्ताओं के साथ ठेके किये जाते हैं जिन में प्रायः ऐसे खंड होते हैं कि प्रारम्भिक कार्यों के पूरा होते ही संविदाकारी फर्म को सूचित किया जाये कि निश्चित तारीख तक वह अपना कार्य आरंभ कर सकती है तो मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी । कुछ मामलों में यह खण्ड भी दिया रहता है कि कुछ छूट मिलेगी किन्तु कई मामलों में निर्धारित तारीखों की उपेक्षा की जाती है । इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि प्रारंभिक कार्य उन निश्चित तारीखों के भीतर क्यों पूरा नहीं किया जा सकता ।

मैं अधिकारियों की ओर से उदासीनता बरतने के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । प्राक्कलन समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण की पुनरीक्षा करते समय अपने 58 वें प्रतिवेदन (1973-74) में कहा है कि 1968 में कुछ विशेष पहलुओं की जांच करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण समिति नियुक्त की गई थी, इस समिति ने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवदन में की गई किसी भी सिफारिश को न तो स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है । प्राक्कलन समिति का एक अन्य प्रतिवेदन भी है जिसमें समिति ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंत्रालय के पुनर्गठन तथा कुछ अन्य बातों पर विचार करने के लिए 1951 में एक समिति नियुक्त की थी । समिति की कुछ गौण सिफारिशों को स्वीकार किया था जबकी 23 वर्ष बाद भी सभी प्रमुख सिफारिशें अभी विचाराधीन है ।

मैं कुछ अन्य बातों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यदि वित्त मंत्रालय इस ओर ध्यान दें तो बहुत अधिक राशि बचाई जा सकती है । मैं नहीं जानता

कि क्या वित्त मंत्रालय लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का भी अध्ययन करता है। यदि वह एसा करता है तो इससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड की कुशलता बढान में उन्हें सहायता मिलगी यदि वित्त मंत्रालय कम से कम उन प्रतिवेदनों पर जिनमें कराधान नियमों के प्रशासन में व्याप्त कमियों का उल्लेख किया गया हो, ध्यान दे तो वित्तीय नियमो तथा विनियमों में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सकता है और देश म करोडों रुपयों की बचत हो सकती है। इससे नए कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पडेगी।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण): मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि "समाजवादी उद्देश्यों को लेकर तीव्र गति से बढती अर्थव्यवस्था" का अभिप्राय यह है कि जो शक्तियां समाजवादी उद्देश्यों के विरुद्ध है उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे, इसका आशय यह है कि सरकार को स्थिति का सामना करने के लिए तेजी के साथ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह भ्रांति उत्पन्न हो कि सरकार उन शक्तियों की धमकियों के आगे झुक रही है जो समाजवादी उद्देश्यों के विरुद्ध हैं।

मैं "सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करना" और "हमारी राष्ट्रीय मजुरी योजना की ठोस नीति" आदि शब्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, दोनों मोर्चों पर सरकार राष्ट्र के सामने ऐसी कोई सुस्पष्ट तथा उत्साहवर्धक तस्बीर प्रस्तुत नहीं कर सकी जिससे कि उन लोगों में, जो वास्तव में समाजवादी उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, यह भावना उत्पन्न हो कि हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारी विजय निश्चित है। मुझे सरकार की ईमानदारी पर संदेह नहीं है और न ही मैं एसा अनुभव करता हूं कि सरकार अपने वायदों से पीछे हट रही है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समय देश जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें कोई यह नहीं कह सकता कि छः महीने पश्चात हमारी अर्थ व्यवस्था का क्या स्वरुप होगा और चालू वर्ष के दौरान देश को किस स्थिति से गुजरना पडेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसने लोगों से जो वायदे किए हैं वे ही पूरे न किए जायें अपितु उनके क्रियान्वयन के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था की रूप रेखा भी तैयार की जाये।

अब मैं वित्त विधेयक में किये गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सरकार ने उन मामलों में एक वर्ष तथा दो वर्ष की और छूट देने का एक अच्छा निर्णय लिया है, जहां आयल फर्नेस बायलरों को कोयला फर्नेस बायलरों में बदला जाना है। यदि हम उत्पादन बढायें तो भी वर्तमान आर्थिक संकट हल नहीं होगा। हमें सभी वस्तुओं के वितरण के लिए एक समुचित तथा वैज्ञानिक प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

सदन तथा सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद रेल मंत्रालय तथा कोयला खानों के बीच वैज्ञानिक समन्वय न होने के कारण कोयला खानों के समीप कोयला बड़ी मात्रा में एकत्र हो रहा है। लोगों के अपने उपयोग के लिये कोयला नहीं मिल रहा है। यदि देश की वर्तमान समस्याओं पर सही दृष्टि से विचार किया जाये तो इन समस्याओं को हल किया जा सकता है।

पैट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी हम संकट का सामना कर र हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहियें कि पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग केवल उत्पादन प्रयोजननों के लिये ही किया जाय। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि संकट की इस घड़ी में ईंधन विशेषकर पैट्रोलियम उत्पादों की खपत निरन्तर बढ़ रही है। प्रतिदिन हजारों मोटरगाड़ियों, कारों तथा ट्रकों को नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं। क्या सरकार अम्बेसडर

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

तथा फियाट कारों की सप्लाई कम करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती ? ऐसा करने से कोई हानि नहीं होगी अपितु पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने में सहायता मिलेगी तथा देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी ।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो कि वतन वृद्धि तथा अन्य बातों के बारे में है । मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वतन वृद्धि करने से समस्या का समाधान नहीं होगा । मैं इस बात से समहत हूँ कि मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संगठित कार्मिक संघों ने अधिक वेतन की मांग की है, किन्तु जब सरकार इस बात पर विचार किए बिना कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कैसे कम किया जाये, उनकी मांग स्वीकार करती है तो इससे अन्ततोगत्वा मुद्रास्फिति को प्रोत्साहन मिलता है जिससे दश विनाश की ओर जाता है । सरकार को वेतन सीमा निर्धारित करनी चाहिये तथा राष्ट्रीय वेतन निती निर्धारित करनी चाहिए जिससे कम से कम आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिति स्थिर हो सकेगी । जब संगठित कार्मिक लोगों की ओर से वेतन बढ़ाने के संबंध में कोई मांग आये तो सरकार को उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चहिये तथा समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

लगभग दो महीने पहले बिश्वविद्यालय तथा कालेज के शिक्षकों ने वेतन बढ़ाने की मांग की थी और उनकी मांग स्वीकार की गई थी । यदि शिक्षकों को अधिक वेतन मिलता है तो इस में किसी को आपत्ति नहीं है । किन्तु छात्रों के सम्बधों में सरकार क्या कर रही है ? हाल ही में जब मैंने एक स्कूल का दौरा किया तो एक अध्यापक ने मुझ बताया कि खाना न मिलने के कारण गांव से आने वालों छात्रों की संख्या में 30 प्रतिशत तक कमी हो गई है । छात्र कक्षाओं में एक सप्ताह में केवल दो या तीन दिन आत हैं जबकि उन्हें भोजन मिल जाता है । छात्रों और उनकी समस्याओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहियें । छात्रों को नियमित रूप से भोजन न मिलने के कारण लगभग 70 प्रतिशत छात्रावास बंद हो गए हैं । छात्रों के लिये कम मूल्य पर भोजन प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है ।

इस देश के छात्रों को सस्ते मूल्य की पाठचपुस्तकें देने के लिये सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है । दूसरी ओर सरकार सारे देश में अत्यधिक संख्या में उत्तेजक तथा अश्लील साहित्य प्रकाशित करने की अनुमति दे रही है । यदि संकट की स्थिति में समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तो सरकार की जो भी नीति हो उससे स्थिति नहीं बदलेगी ।

मेरा यह अनुरोध है कि जब सरकार किसी संगठित क्षेत्र के वेतन में वृद्धि करना चाहती है तो उसे गैरसंगठित शक्ति की समस्याओं पर भी विचार करना चाहिये । कृषि श्रमिक गैर संगठित हैं । सरकार उनके बारे में कुछ नही सोच रही है । सरकार केवल संगठित वर्ग की ओर ही ध्यान देती है तथा उनकी धमकियों के सामने झुक जाती है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब कि सरकार को इसके परिणामों पर विचार करना होगा ।

सरकार ने बजट प्रस्तावों में कहा था कि हमें निर्यात व्यापार बढ़ाना ह, चाय, काफी तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं निर्यात की मदें हैं । यदि आप इन उद्योगों के स्वरूप को देखें तो आपको पता चलेगा कि इन उद्योगों को वे लोग चला रहे हैं जिन्होंने अपनी बातों से यह प्रमाणित कर दिया है कि वे समाजवादी उद्देश्यों के विरुद्ध हैं । सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभा में बजट पेश करत हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि किसी भी केन्द्रीय बजट का मुख्य लक्ष्य तीव्र आर्थिक विकास, स्थायित्व, अधिकाधिक सामाजिक

न्याय तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकताओं के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना होता है, परन्तु मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्ताव रखे हैं, उनसे यह सब नहीं होने वाला ।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की अर्थव्यवस्था अपेक्षा से अधिक हो गई है । पहली योजना में यह 333 करोड़ रुपए की थी । दूसरी योजना में यह 854 करोड़ रु० की रही । तीसरी योजना में 1133 करोड़ रु० की थी और चौथी योजना के पहले चार वर्षों में यह 2000 करोड़ रु० की है । इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी वर्ष में यह 125 करोड़ रुपए की होगी इससे अधिक भी हो सकती है ।

अधिक घाटे को अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है अधिक मुद्रास्फिति जिससे मूल्य वृद्धि होगी और सभी के जीवन स्तर में गिरावट आयगी । वित्त मंत्री यह कहते हैं कि यह विश्वव्यापी बात है। यह पूर्णतः गलत है क्योंकि मूल्य वृद्धि के साथ-साथ विश्व में मजदूरी में भी वृद्धि हुई है परन्तु हमारे देश में मूल्य वृद्धि के साथ मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है ।

बजट से मुद्रास्फिति बढ़ी है और इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है । स्थायित्व और सामाजिक न्याय के आदर्श समाप्त होते जा रहे हैं । बजट में उद्योग पतियों और बड़े बड़ उद्योग गृहों के हित में पक्षपात किया गया है । ये लोग शासक दल के संरक्षक हैं । निगमित क्षेत्र को छोड़ ही दिया गया है और उस पर कोई कर नहीं लगाया गया है ।

वांचू समिति की रिपोर्ट के संबंध में उच्च आय स्तर के मामले में रियायत बरती गई है । शासक दल के सदस्यों ने विमुद्रीकरण से काले धन का पता लगाना असंभव बताया है । यहां काले धन का प्रयोग चुनावों के लिये किया जाता है ।

कम्पनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर धन कर और अधिकर में वृद्धि कर दी गई है । विलासिता के सामान पर कर बढ़ाया जा सकता है परन्तु मोटरगाड़ियों, स्कूटरों, तम्बाकू और डाक-सामग्री पर कर वृद्धि से जनसाधारण पर बोझ पड़ेगा ।

जहाँ तक माल तैयार करने वाले उद्योगों का संबंध है, इनमें एक मशीन वाले उद्योग हैं और दूसरे हाथ से माल तैयार करने वाल उद्योग हैं । इन दोनों में उत्पादन शुल्क के मामले में इस बजट में अन्तर कर दिया गया है । मेरा सुझाव है कि इस अन्तर को समाप्त कर दिया जाय और दोनों पर बराबर उत्पादन शुल्क लगाया जाये ।

एयर कंडीशनर्स आदि विलासिता की वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये । जनता द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क कम किया जाना चाहिये । व्यय कर और पूंजी कर लगाया जाये । राजसमिति के सुझाव के अनुसार कृषि आय और दूसरी आय के आयकर के मामले एक साथ मिलाकर लगाया जाये । आय, सम्पत्ति और व्यय की सीमा निर्धारित की जाये ।

काले धन को निकालने और देश में गैर-विकास व्यय को जो 16 प्रतिशत है, रोकने के लिये विमुद्रीकरण किया जाय । यदि यह सभी उपाय किये जायें तो सरकार के लिये मुद्रास्फिति रोकना संभव हो पायेगा और गिर रहे जीवन स्तर को गिरने से बचाया जा सकेगा ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): Our experiment of the take over of whole-sale trade in food grains last year has failed. Instead of analysing the reasons for the failure, we have changed the whole policy and now the wholesalers have again been introduced in the trade. Government should reconsider this and revise its policy.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल फिर जारी कर सकते हैं । अब मैं श्री बसु को अपना वक्तव्य देने के लिये कहने के पूर्व आपको यह बताना चाहूँगा कि रेल मंत्री ने मुझ से अनुरोध किया है कि प्रस्ताव पर बहस प्रारंभ होने से पूर्व वह सदन को कुछ बातों से अवगत कराना चाहते हैं । यदि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति न हो तो मैं रेल मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे दूं ।

प्रस्थापित रेल हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. THREATENED RAILWAY STRIKE

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैंने 25 अप्रैल, 1974 को सदन में जो बयान दिया था उसमें मैंने सदन को हड़ताल के उस नोटिस के बारे में सूचित किया था जो आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन से संबद्ध मान्यताप्राप्त यूनियनों और कुछ गैरमान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा 22 और 23 अप्रैल, 1974 को क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को दिया गया था । उस समय मैंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के लिये भरसक प्रयास करूंगा और मैंने भारतीय रेलों के सभी कर्मचारियों से अपील की थी कि वे देश की वर्तमान संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति पर विचार करें और जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई न करें जो देश के लिये अहित कर हों । तब से 27, 29 और 30 अप्रैल, 1974 को रेल उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में वार्ता समिति की लम्बी-लम्बी बठक हुई है । सभी मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था और जहां कहीं सरकार मांगो को पूरा कर सकती थीं वहां इसे स्वीकार कर लिया गया है । 30 अप्रैल की सायं को बाद में मैंने भी बातचीत में भाग लिया था और तब यह विनिश्चय किया गया था कि बैठकों के कार्यवृत्त को और जिन मामलों पर समझौता हो चुका है, उनको तथा दूसरी मदों पर जो रूख अपनाया गया है उसको एक मई को रेल भवन में होने वाली उस बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाये जिसमें सभी यूनियनों के प्रतिनिधि, सदस्य (स्टाफ) से मिलेंग । एक मई की इस बैठक में श्री ए० पी० शर्मा, श्रीमती पार्वती कृष्णन और श्री गोखले ने भाग लिया था लेकिन आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन या दूसरी यूनियनों का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। पहली मई के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था और आज 2 मई को उनपर और आगे विचार-विमर्श किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया । मांगों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है ।

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : किसने स्वीकार की थीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : जो उपस्थित थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय इस बात को मानेंगे कि सदन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ केवल आपके ही अनुरोध पर हमने रेल मंत्री को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं यूनियनों की विभिन्न मांगों और बातचीत के अंतिम निष्कर्ष के बारे में संक्षिप्द में उल्लख करूँगा ।

एक मुख्य मांग यह थी कि वेतन में लगभग 75 प्रतिशत वृद्धि की जाय और महंगाई भत्ते के सूत्र में परिवर्तन किया जाय । 1972-73 में भारतीय रेलों का वेतन बिल लगभग 500 करोड़ रुपए था वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों को 110 करोड़ रु० का लाभ हुआ है, अर्थात् इससे वतन बिल में 20 प्रतिशत वृद्धी हुई है । वेतन बिल में 75 प्रतिशत की और वृद्धि का अर्थ होगा कम से कम 400 करोड़

रु० का और खर्च । जब वेतन आयोग ने वतन और महंगाई भत्ते की सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और सरकार ने उनपर अपना निर्णय दे दिया है तो वेतन और महंगाई भत्ते के सूत्र में संशोधन करना संभव नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय का कहना था कि वे सदन को कुछ बातों से अवगत कराना चाहते हैं और हम उनको जानने के उत्सुक थे, इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे हमारी बात सुनने के पूर्व ही अपना उत्तर देने लगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई उत्तर नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि यह उत्तर नहीं है तो हमारा कहना है कि स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाने के पूर्व माननीय मंत्री द्वारा इस प्रकार का भाषण दें, इसके बारे में नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः उनसे अब चुप रहने को कहा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस नियम से परिचित हूं और इसलिये मैंने सदन से पूछा था कि उसे इस विषय में कोई आपत्ति तो नहीं ।

श्री एल० एन० मिश्र : एक अन्य मांग यह थी कि रेलवे में सभी पदों का वैज्ञानिक आधार पर कार्य मूल्यांकन किया जाय और वेतन आयोग की सिफारिशों को परिधि में मैंने इस स्वीकार कर लिया है । कर्मचारियों की अनेक नोटिसों और इस समस्या की जटिलता को देखते हुए लगता है कि इस वैज्ञानिक कार्य मूल्यांकन में कम से कम तीन वर्ष लग जायेंग । लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर निश्चित रूप से यह उपयोगी सिद्ध होगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा ।

जहां तक रेल कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न है, बोनस समीक्षा समिति इस समस्या पर विचार कर रही है । इसलिये जब तक सरकार को बोनस समीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में कोई निर्णय लेना असामायिक होगा ।

जहाँ तक काम के घंटों की मांग का संबंध है मैंने मियाभाई अधिकरण की सिफारिश को पूर्णतः मान लिया है और इससे कर्मचारियों को 35 करोड़ रु० का लाभ मिला है । नैमित्तिक श्रमिकों को गैर नैमित्तिक बनाने की मांग भी अधिकांशतः स्वीकार कर ली गई है। जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों का प्रश्न है, रेलों पर निर्माण कार्यों के स्वरूप और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता । फिर भी मैं स बात पर सहमत हो गया हूं कि कारखानों, यार्डों, स्टेशनों, लोको शेडों आदि जैसे कुछ विशेष स्थानों में नियमित और निरन्तर प्रकार के निमीण कार्यों के लिये नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा । उपर्युक्त स्थानों पर यथाशीघ्र संवर्ग पुनरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदों का निर्माण करने के लिये मैं सहमत हो गया हूँ । इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा ।

श्री एस० एन० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या मंत्री झूठा बयान देने के लिये स्वतंत्र है । बोनस समीक्षा समिति ने रेल कर्मचारियों के लिये बोनस के प्रश्न पर विचार नहीं किया । मंत्री जी के वक्तव्य के प्रति मेरे पास नहीं है । मैं केवल उनको पढ़ते हुए सुन रहा हूँ । अब कहना गलत है कि रेल कर्मचारियों के बोनस का मामला बोनस समीक्षा समिति के विचाराधीन है, अतः उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : जहाँ तक अनाज की दुकानों में सस्ते दामों पर खाद्यान्नों की सप्लाई की मांग का प्रश्न है, मैं इस बात पर सहमत हूँ कि जितनी आवश्यकता होगी उतनी उचित दर की दुकाने खोलने की व्यवस्था की जायेगी ताकि रेलों पर उन सभी स्थानों पर, जहाँ 300 से

[श्री एल. एन. मिश्र]

अधिक कर्मचारी तैनात है, उचित दर की दुकानें खोली जायें जहाँ उसी मात्रा में और उसी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध किये जायेंगे जिस पर राज्य सरकार देती है।

उचित दर की ये दुकानें या तो सहकारी समितियाँ द्वारा चलायी जायेंगी या उनके लाइसेंस कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को दिये जा सकते हैं जो उनकी व्यवस्था करेंगे। सरकार आवश्यक इमारतें उपलब्ध करायेगी और यदि सहकारी समितियों को दुकानें चलाने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो रेलों से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिया जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) महोदय, आप आदरणीय मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यह स्थगन प्रस्तावों संबंधी नियमों के विरुद्ध है। ऐसा करने से नई प्रथा स्थापित हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है मिश्र जी आप जारी रखिए।

श्री एल० एन० मिश्र :... जैसा कि मैंने आपको बताया है उससे कार्मिक संघों ने जो मांगें की हैं वे स्पष्ट हो जाती हैं। सदन ने इस बात का निर्णय करना है कि क्या सभी मांगे मान ली जायें। केवल दो विकल्प है—एक तो किरायों और भाड़ों से वृद्धि करना और दूसरा यह कि रेल को भारी घाटे में चलाना। दोनों विकल्पों से राष्ट्र की हानि होगी। अतः उन मांगों पर विचार किया जा सकता है जिनसे रेल के वित्तीय संसाधनों पर गंभीर असर न पड़े। बातचीत के दौरान मैंने वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप संशोधनों के अतिरिक्त 70-80 करोड़ रुपए की मांगें स्वीकार कर ली हैं। कुल मिलाकर रेल पर 190 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय बढ़ जायेगा जो 1972-73 के वेतन बिल से 40 प्रतिशत अधिक होगा। अतः मेरी अपील है कि सदन मेरे इस रुख का समर्थन करे ताकी रेल का पहिया चलता रहे और अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से बोलने के लिये कहूं मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं था और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। सामान्यतः जब अध्यक्ष की अनुमति से वक्तव्य दिया जाता है तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। परन्तु जिस प्रकार इस वक्तव्य के लिये अनुरोध किया गया यह कुछ असामान्य था। अतः मैंने सदन की अनुमति लेनी चाही। जब आपने अनुमति दे दी है तो आपको बीच में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।

प्रोफेसर मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय मैंने जब आपसे कुछ जानकारी देने की अनुमति मांगी तो आपने कहा कि बाद में दे देना। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्ण मुझे वह जानकारी देने दीजिए।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : यह असामान्य प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रोफेसर मधु दंडवते उस समय जानकारी देना चाहते थे जब एक सदस्य वित्त अधिनियम पर बोल रहे थे। अतः अब आप प्रोफेसर दंडवते को वह जानकारी देने दीजिए। मैंने इस प्रकार की अनुमति मंत्री महोदय को भी दी है।

प्रोफेसर मधु दंडवते : अभी अभी खबर मिली है कि भारतीय मजदूर संघ के महासचिव श्री मालगी जो कि बम्बई में रेल के महान मजदूर नेता थे उन्हें, यद्यपि वे दिल की बीमारी से

ग्रस्त थे, डाक्टरी सलाह की अवहेलना करके गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिये कल को बंबई बन्द हो रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु बोलेंगे।

स्थगन प्रस्ताव--जारी

MOTION FOR ADJOURNMENT—*contd.*

रेल कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी—जारी

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि सभा अब स्थगित है।" ताकि रेल के कर्मचारियों और श्री जार्ज फर्नांडिस, श्री पी० के० बरुआ, श्री एन० एस० चौधरी और अन्य नेताओं की अन्दाधुन्द गिरफ्तारी पर चर्चा हो सके।

मैं प्रारम्भ में ही यह बात मानता हूं कि इन सात वर्षों में, जब से मैं लोक सभा में हूं किसी मंत्री महोदय द्वारा धोखा देने का एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है। परन्तु अब हमें धोखा दिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के सर्वोच्च आदेश से श्री उमाशंकर दीक्षित और श्री एल० एन० मिश्र ने एक विशेष स्थिति पैदा कर दी है। वे लाखों लोगों पर विपदा ढोने के लिये कृत-संकल्प है। यह विश्वासघात है और नीचता का निकृष्टतम प्रदर्शन है।

रेल के नेताओं और हजारों अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी उस गुप्त परिपत्र के आधार पर की गई है जोकि मैंने दो दिन पहले सभा पटल पर रखा था। इस परिपत्र में कहा गया है :

> "प्रभावशाली निरोधक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण तत्व यह होगा कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके और उनके कार्यक्षेत्र से हटा दिया जाये जो हड़ताल की सफलता में सहायक होंगे..."

[**श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी** पीठासीन हुए।
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair.*]

इस परिपत्र में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज से पता चलता है कि सरकार मजदूर आन्दोलन से निपटने के लिये कितने गन्दे उपाय कर सकती है।

कल की कार्यवाही के लिये रेल के पास क्या बहाना है? हम लोकतांत्रिक अधिकारों और आश्वासनों की खुलेआम अवहेलना की निन्दा करते हैं। यह मुह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार मुकाबला करना चाहती है और इसे इस बात की चिन्ता नहीं है कि हड़ताल न हो। अन्यथा आज 10 बजे की महत्वपूर्ण बैठक से 7 घंटे पूर्व ऐसा न किया जाता। अब तक वार्तालाप के जो प्रयास किये गये हैं उनका भी यहीं उद्देश्य रहा है कि हड़ताल को विफल किया जाये। सरकार का प्रचार भी इस बात का प्रमाण है। करोड़ों रुपए व्यय किये जा रहे हैं। सब कुछ सदन के समक्ष है। गाड़ियां रद्द करने और डाक के पार्सल न लेने जैसी कार्यवाहियों का भी यहीं उद्देश्य था कि लोग रेल कर्मचारियों के विरुद्ध हो जायें। 'गरीबी हटाओ' का नारा देने वाली प्रधान मंत्री ने भी ईरान से यही लिखा है कि रेल कर्मचारियों की कोई मांग न मानी जाये। सेना की सेवायें प्रयुक्त की जा रही हैं। तम्बुओं की खरीद हो रही है। रेल कर्मचारियों की

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

मांगें उचित हैं...(व्यवधान) वे केवल आवश्यकता पर निर्धारित यून्नतम वेतन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समानता चाहते हैं। यह भेदभाव क्यों हैं। 15 वें मजदूर सम्मेलन की सिफारिशों का भुला दिया गया है।

रेल कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्गत आना चाहते हैं। वे वर्तमान वेतन के साथ खाद्यान्न नहीं खरीद सकते। वे रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करना चाहते हैं। रेल में उत्पादकता 1950-51 में 122 थी जा 1972-73 में बढ़कर 200 हो गई। इस आधार पर सरकार रेल कर्मचारी को 196 रुपए के स्थान पर 350 रुपया वेतन देकर न्याय क्यों नहीं करती? जब वे उत्पादकता बढ़ा रहे हैं तो उन्हें अधिक वेतन क्यों नहीं दिया जाता। यह असमानता क्यों है।

उनका कहना है कि धन नहीं है। कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसी निम्न ग्रेड की 17 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी ढुलाई से रेल को 55 करोड़ रुपए की हानि होती है। आप आई० बी० एम० को लूटने की अनुमति दे सकते हैं। कोयला सप्लायरों की जेबें भरने के लिये आपके पास धन है परन्तु रेल कर्मचारी की जायज मांग को मानने के लिये आप के पास धन नहीं है।

श्री गांगुली ने रेल में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिये प्रयास किए। इसलिये उन्हें रेल से निकलना पड़ा। रेल में धन की कमी नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि रेल को गिद्धों से कैसे बचाया जाय? रेल पर उनका प्रभाव है। मजदूर की चिन्ता कौन करता है?

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यही कहूंगा कि हड़ताल की समस्या के समाधान हेतु वास्तविक प्रयास किये जाने चाहिये। मुझे आशा है कि रेल मंत्री समझदारी से काम लेंगे और सदन की इच्छाओं का पालन करेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बक्सर): सभापति महोदय, मैं कुछ तथाकथित मजदूर नेताओं का पर्दाफाश करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि अपने राजनितिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रेल कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने रेल कर्मचारियों को ही इस काम के लिय क्यों चुना इस बात का स्पष्ट पता श्री जार्ज फर्नांडिस के विभिन्न स्थानों पर वक्तव्यों और अखबारों से चल सकता है।

श्री एन० एम० बनर्जी (कानपुर): महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। यदि वे समाचार-पत्रों से पढ़ रहे हैं तो ठीक है अन्यथा उन्हें भाषण की प्रति कहीं से दी गई है। उनको सूचना का स्रोत क्या है मैं इस बात पर विनिर्णय की मांग करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Even it can be a forged one.

Shri Madhu Limaye (Banka): I have a point of order. We will have to safeguard the interests of those who have been put behind bars without a trial. If it is not done, we will speak against it.

सभापति महोदय: मैंने व्यवस्था संबंधी दोनों प्रश्न सुने हैं। सामान्यतः उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो अपनी सफाई देने के लिये सदन में मौजूद न हो। परन्तु स्थगन प्रस्ताव श्री जार्ज फर्नांडिज के नाम पर है। जहां तक हमारे सामने मामले का संबंध है, उनके बारे में बोला ही जायेगा। श्री शर्मा को वाक्य पूरा करने दें।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा: मैं यह बताना चाह रहा था कि उन्होंने रेल का अपना मैदान क्यों चुना?

श्री एस० एन० बनर्जी : युद्धभूमि के रूप में ?

श्री अनन्तप्रसाद शर्मा : युद्ध तो दूसरे देशों के साथ होते हैं न कि अपने लोगों के साथ चूंकि ये लोग निर्वाचन में मत प्राप्त करने में असफल रहे अतः ये लोग उद्योगों में अशांति पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर असफल रहने के बाद ये रेल में ऐसा कर रहे हैं।

तथाकथित मज़दूर नेताओं को रेल कर्मचारियों की समस्याओं में इतनी रुचि नहीं है जितनी कि उनको उनसे अनुचित लाभ उठाकर अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने की चिन्ता है। वे चाहते हैं कि रेल का काम ठप्प हो जाय और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाये। कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के अन्य मान्य तरीके हैं। इन नेताओं द्वारा कर्मचारियों को भड़काने के लिये भाषण दिये गये हैं और उनसे 8 मई से हड़ताल करने के लिये कहा गया है। वे उद्योगों बिजली घरों का काम ठप्प करना चाहते हैं ताकि सरकार उनकी मांगें स्वीकार करने के लिये बाध्य हो जाये। मजदूर संघ आन्दोलन की इन बातों को सामान्य जनता के ध्यान में लाया जाना चाहिये और रेल कर्मचारियों को जिनके लिये मगरमच्छ के आँसू बहाये जा रहे हैं इन बातों को समझना चाहिये और जनता के सामने उनका भंडाफोड़ किया जाना चाहिये। यह बात रेल मंत्रालय और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के हुई बातचीत से भी सिद्ध हो जाती है।

वैध ट्रेड यूनियन कार्य संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार किसी कर्मचारी को मजदूर संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर उत्पीडित नहीं किया जायेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य कानून के दायरे में रहते हुए किया जाता है। हिंसा, तोड़फोड़ और अन्य दण्डनीय अपराध अवैध है। परन्तु मजदूर नेता इसका विरोध करते हैं। उन्होंने हिंसा को रोकने की कार्यवाही पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि रेल की पटरी पर धरना देना और गाडियों को रोकना उचित है। उनका कहना है कि रेल इंजन से आग गिराना एक उचित गतिविधि है। इसी प्रकार दूसरे कर्मचारी को डराना धमकाना भी उचित है। वे इस प्रकार का कार्य इस देश में करना चाहते हैं। परन्तु हम अपने देश में ऐसी गतिविधियां नहीं होने देंगे। जहां तक कर्मचारियों की मांगों का संबंध है। रेल मंत्रालय ने बातचीत के दौरान 70-80 करोड़ रुपए की मांगें स्वीकार कर ली हैं। परन्तु इन मजदूर नेताओं के अनुसार यह कोई प्रगति नहीं है। एक नया तर्क दिया गया है कि रेल की वर्तमान वित्त व्यवस्था को बदल दिया जाय और सामान्य राजस्व निधि, आरक्षित निधि तथा विकास निधि में डाली जाने वाली रकम को इन लोगों में बांट दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने से 70 से 75 का करोड़ रुपए का खर्च होगा। रेलों में काम करने वाले तीन या चार लाख अनियमित कर्मचारियों को नियमित वेतनमान मिलेगा। जहां तक रेल कर्मचारियों को बोनस देने का सम्बन्ध है। यह प्रश्न बोनस पुनरीक्षा समिति के विचाराधीन है। समिति ने रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, रेल प्रशासन के प्रतिनिधियों, डाक-तार कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने का निश्चय किया। श्री बनर्जी को नहीं बुलाया जा सका। बोनस की मांग सर्वप्रथम हमने की थी। जब तक बोनस का प्रश्न बोनस पुनरीक्षा समिति के विचारधीन है, हम हड़ताल नहीं करेंगे। और हमें इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने तथा उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और हड़ताल नहीं करनी चाहिये। अतः मुझे आशा है कि अधिकांश रेल कर्मचारी आठ मई को अपने काम पर जायेंगे। इस समय जब की देश भारी संकट में से गुजर रहा है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जाए न कि अवैध हडताल तोडफोड तथा हिंसा के माध्यम से।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोईम्बतुर) : सभापति महोदय, हमने श्री शर्मा का विस्तृत भाषण सुना। रेल कर्मचारियों की हड़ताल राजनीति से प्रेरित नहीं है और जो लोग ऐसा कहते हैं, वे

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

रेल कर्मचारियों की मांगों को सभा में गलत ढंग से पेश कर रहे है बातचीत चल रही है । बातचीत के बारे में यहां जो कुछ कहा गया है, वह गलत ढंग से कहा गया है ।

रेल मंत्री का यह कहना सही नहीं है कि ए० आई० आर० एफ० के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि वे समिति के तीन दिनों की त्रिपक्षीय बैठक के महत्वपूर्ण समझौते से सहमत नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि रेल मंत्री महोदय ने य निष्कर्ष कैसे निकाले क्योंकि यह बात पूर्णतया निराधार है । मंत्री महोदय ने हमें स्वयं सूचित किया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ प्रात: 10 बजे बैठक में आ रहे हैं । वास्तव में मुझे यह बताया गया है कि 9 बजे से 10 बजे तक बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि श्री जार्ज फर्नांडिज़ हवाई जहाज के विलम्ब से पहुंच ने कारण 9 बजे नहीं आ सकते । वास्तव में उस समय हो यह रहा था कि श्री जार्ज फर्नांडिज़ तथा संघर्ष समिति के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करके बातचीत को सदा के लिए बन्द करने का षड़यंत्र किया जा रहा था । अत: मैं सरकार को इस बात के लिये दोषी ठहराती हूं कि उसने जानबूझकर बातचीत में बाधा डाली है ।

जहाँ तक रेल कर्मचारियों को खाद्यान्नों को सप्लाई करने का संबंध है, उन्होंने मांग की है कि रेलवे द्वारा उनके लिये उचित दर की दुकानें खोली जायें और अनाज की वसूली करके कर्मचारियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध किया जाय परन्तु सरकार ने इस संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की है । मंत्री महोदय को तो अनाज मिल जाता है परन्तु इस देश के सामान्य जन चाहते हैं कि नियंत्रित मूल्य पर कैसा अनाज मिलता है । आप चाहत हैं कि उत्पादन बढ़े और देश आत्मनिर्भर हो परन्तु रेल कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे खाली पेट रहकर इस क्षेत्र का काम जारी रखेंगे ।

तत्पश्चात् नैमित्तिक श्रमिकों का प्रश्न सामने आता है । इनको रेल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी नहीं दी जा रही है जबकि ये लोक इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं । आप श्रमिक को इतनी मज़दूरी नहीं देत जितनी कि उसे मिलनी चाहिये और इसी प्रकार आप नैमित्तिक श्रमिक को उतनी मजदूरी नहीं दे रहे हैं जितनी कि उसे मिलनी चाहिये हालांकि वह भी रेल श्रमिक जैसा कार्य करता है । रेल श्रमिक को 6 या 8 रुपए मिलते हैं । एक नैमित्तिक श्रमिक को जो रेल श्रमिक जैसा कार्य करता है, केवल 2 या 2.50 रुपए क्यों दिये जायें । हमने जो कुछ कहा है वह यह है कि परियोजनाओं पर काम कर रहे है नैमित्तिक श्रमिकों को, जोकि वैसा ही काम कर रहे हैं जैसाकि रेल श्रमिक करते हैं, रेल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है ।

वास्तविक तथ्य यह है कि हम राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य तब तक आगे बातचीत नहीं कर सकते जब तक कि हमारी समिति के सदस्य जेल में है । माननीय मंत्री के पास केवल वह ही जानकारी है जोकि रेलवे बोर्ड ने उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश की है । वे हमें गिरफ्तारियों के संबंध में आंकड़े नहीं दे सके हैं । न उनकी ओर से किसी प्रकार का खद ही व्यक्त किया जा रहा है । जहां तक हमारी मांगों का प्रश्न है इस बारे में वे हमारे समक्ष गणित सम्बन्धी आंकड़ पेश करते हैं किन्तु उनके पास इस बात की कोई गणना नहीं कि इस देश में खांड़ के व्यापारी तथा कपड़े के व्यापारी, न केवल 1974 में भी लागू ब्रिटिश काल के भाड़ा दरों के माध्यम से बल्कि सरकार द्वारा उनको दी गई रियायतों के माध्यम से कितना धन हड़प कर गये हैं । ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के मेरे मित्रों के पास इस बारे में कोई अन्तरात्मा की आवाज नहीं है । मेरी राय में रेलवे राजस्व में से ही आप 500 करोड़ रुपए की राशि निकाली जा सकती है ।

हम चाहते हैं कि रेल श्रमिकों को भी औद्योगिक श्रमिक के रूप में माना चाहिये है । उपमंत्री जो बात-चीत के दौरान इस बात पर राजी हो गए थे कि सैद्धांतिक रूप से रेल कर्मचारियों

को औद्योगिक श्रमिक समझा जाना चाहिये किन्तु उन्होंने स्वयं रेल श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी क्योंकि संसाधन नहीं है ।

अन्त में ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस दल दोनों ही क्षेत्रों में विभाजित है, कार्यन्विति में . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं (**व्यवधान**)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यदि आज हड़ताल हो ही जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार तथा बातचीत को सफल न बना सकने की उसकी अयोग्यता होगी । एक और आप कहते हैं कि आप बातचीत से समस्या हल करना चाहते हैं किन्तु दूसरी और गत डेढ़ माह से लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और दण्ड के रूप में उनका स्थानान्तरण किया जा रहा है । रेल बोर्ड के चैयरमन और सदस्य तथा क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक राज्यों की राजधानियों का दौरा कर रहे है और मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं कि हड़ताल का सामना करने के लिये कौन से उपाय किए गए हैं । दूसरी ओर बातचीत चल रही है किन्तु राष्ट्रीय समन्वय समिति की अनुपस्थिति में ।

मैं अन्त में यह कहूंगी कि जार्ज फर्नांडिस की बात को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है. . .

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बक्सर) : जार्ज फर्नांडीज़ कोई बाइबल नहीं हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक के तत्काल पश्चात्, जहां हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था, जयपुर में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में श्री जार्ज फर्नांडिस ने राष्ट्रीय समन्वयन समिति का निर्णय स्पष्ट कर दिया था कि हम बातचीत करने के पक्ष में हैं । हम बात चीत करके हड़ताल को टालने का पूरा प्रयास करेंगे । आप इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि यह बात आपके मुताबिक नहीं है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अतः जहां तक संघर्ष समिति तथा राष्ट्रीय समन्वय समिति का सम्बन्ध है बातचीत के लिये हमारे दरवाज़े सदैव खुले हैं किन्तु सरकार की ओर से ऐसा नहीं है . . .

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे दरवाजे भी खुले हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आपने हमारे सभी नेताओं को जेल में डालकर बातचीत के दरवाजे बन्द कर दिए हैं । उन लोगों को रिहा किया जाये केवल तभी पुनः बातचीत की जा सकती है । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हड़ताल अवश्य होगी ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी शक्ति के साथ इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । श्रीमती पार्वती कृष्णन ने श्रमजीवियों के अधिकारों के विषय सुव्यवस्थित तर्क पेश किया है । हमारा दल भी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में पीछे नहीं रहेगा और यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती तो उनका हड़ताल करना उचित ही है । किन्तु इस मामले में मुझे एक ऐसा षडयंत्र किया जाता दिखाई देता है जिससे सारे देश में अराजकता फैल जायेगी । . . .

एक माननीय सदस्य : यह उस ओर से किया जा रहा है ।

श्री पी० वेंकटासुबैया : लोकतंत्र और समाजवाद की अवहेलना की जा रही है, राष्ट्र की मूल जीवन रेखा समाप्त की जा रही है । भारतीय साम्यवादी दल इस राष्ट्रीय क्षेत्र में अहम भूमिका अदा कर रहा है . . .

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हम इस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका अदा करते रहेंगे ।

श्री पी० वेंकटासुबैया : इस षड़यंत्र में श्री ज्योतिर्मय बसु और उसका दल, श्री वाजपेयी श्री श्यामनन्दन मिश्र और अन्य लोग शामिल हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : फासिस्ट लोगों का समूह ?

श्री पी० वेंकाटासुबैया : यह सब लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण इकट्ठे हुए हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आप एकमात्र प्रतिनिधि हैं ।

श्री पी० वैंकाटासुब्बया : यदि यह वैध श्रमिक संघ गतिविधि होती तो सरकार इन लोगों की मांगों को पुरा करने में कभी भी न हिचकिचाती और न ही हमारा दल श्रमिकों की मांगों का समर्थन करने में पीछे रहता . . .

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इसी कारण वे लोग बिरला और हिंडालको आदि की तालाबन्दी को हिमायत कर रहे हैं. . . .

सभापति महोदय : जब कोई सदस्य व्यवधान नहीं डाल रहा है तो आप बार-बार माननीय सदस्य के भाषण में क्यों व्यावधान डाल रही हैं ।

श्री पी० वैंकटासुब्बया : न केवल रेल श्रमिक बल्कि पूरा देश संकटकाल में से गुजर रहा है। निहित स्वार्थों वाले लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे देश में अराजकता फैल जाए । प्रत्येक श्रमिक को चाहे वह रेलवे का हो अथवा मिल का उपलब्ध खाद्यान्नों में से उसको न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए । रेल कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच भेद-भाव क्यों किया जाता है ? अत: रेल मंत्री महोदय ने सही कहा है कि वह उचित दरों की दुकानें चलाने और उन्हें रेल विभाग के प्रबन्ध को सौंपने के लिये तैयार हैं । प्रत्येक श्रमिक को चाहे वह रेल का कर्मचारी हैं अथवा कहीं अन्य स्थान पर काम करता है समान व्यवहार व समान वेतन मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति जानता है की सरकार जनता के सभी वर्गों के साथ न्याय करना चाहती है ।

अंतिम में जब कभी देश को संकटों का सामना करना पड़ा तो रेल कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों ने एक होकर उत्पादन को बनाए रखने में सरकार की सहायता करने में निष्ठा दिखाई थी । रेल कर्मचारियों को इस षड़यंत्र का शिकार नहीं बनाना चाहिये जिसमें कि राजनीतिक अन्तग्रस्त हो । इस समय अधिकतर लोग तथा रेल कर्मचारी भी हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं । उन लोगों को ऐसे लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है जो कि देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं तथा स्थिति का अनुचित राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । ऐसे समय पर जबकि देश संकट से गुजर रहा है, सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंध होने चाहिए जिससे कि हम इस गंभीर संकट का आसानी से सामना कर सकें ।

मुख्य मंत्रियों को भेजे गए प्रधान मंत्री के पत्र पर आपत्ति व्यक्त की गई है । प्रधान मंत्री को देश का शासन चलाना पड़ता है, देश में शांति और व्यवस्था बनाई रखनी पड़ती है तथा देश की जनता के लिये अनाज आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है । उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि संचार व्यवस्था भंग न हो । यदि वह मुख्य मंत्रियों को ऐसा नहीं लिखती तो वह अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल हो सकती थी । अतः मैं दोबारा रेल कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि समय को देखते हुए उनको सरकार से सहयोग करना चाहिये । उन्हें देश

की जनता की भावनाओं को समझना चाहिये और उन्हें उनकी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिये । उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न न हो ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The scope of this adjournment motion is very limited. None can deny that negotiations were going on between the leaders of railway employees and the Government. The leaders were scheduled to meet the Railway Minister today morning. But at night, alongwith George Fernandes, a number of leaders were arrested. No satisfactory explanation had been given about these arrests. The people and the House should be told as to what transpired during the course of the night which necessitated the arrest of these leaders. The Silence of Railway Minister on the arrests had created a doubt about the bona fides of the Government.

Shri A. P. Sharma (Buxar): Every effort was being made to reach an agreement.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Sharma has himself admitted that the first item on the agenda of the discussion with Shri Qureshi was the question of victimisation. It was clear that victimisation of railway employees had started earlier and its climax had taken the shape of arrests.

Then it was said that the question of giving bonus to railway employees would be considered after the report of the Bonus Review Committee was received. It is an after-thought. Even the leaders of the INTUC, when they met the Prime Minister sometimes back, had told the Prime Minister that the demand of railway workers for bonus was justified. At that time when President of the INTUC met the Prime Minister, the leaders of the INTUC did not tell the Prime Minister that they were ready to wait for the Report of the Bonus Review Committee. At that time they pleaded for acceptance of the demand for bonus, otherwise there would be discontent among the workers. The plea that no decision could be taken on the question of bonus till the report of the Bonus Review Committee was received was merely an excuse for not accepting the demand.

If a worker who worked in Tata's factory engaged in the manufucture of railway engines gets bonus then it would be unjust not to give bonus to a worker who did the same work in a railway workshop. If the question of bonus was linked with the report of the Committee then why did the Prime Minister write to Chief Ministers that the Government was not in a position to pay bonus. Suppose if Bonus Review Committee recommends that Railway Employees may be allowed bonus then what will happen of Prime Ministers letter.

रेल मंत्री (श्री ललीत नारायण मिश्रा) : हम अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहते ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The award of Miabhoy Tribunal is being quoted. It came in July, 1972, and the Railway Minister did not implement it uptil now. There was a feeling growing among the workers that the Government accepted demands of workers only when they threatened strike.

The Railway worker's strike would create many difficulties for the country when it was passing through a difficult period. I do not want the strike to take place. There was still a way out of the present situation. The arrested leaders should be released unconditionally and negotiations should be started. The railway workers are patriots. The financial implication of the acceptance of demands could be discussed. The Government could accept the demand for bonus in priciple, after 50 per cent payment in cash and 50 per cent could be deposited in Provident Fund. If there is a will a way out can be found. Release of the leaders and starting of negotiations could avert the strike.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Chairman, today the question before us is whether the Railways are the property of people, if it is so, then there is no reason why about 10 lakhs of employees disrupt the entire economy of the country by resorting to strike day in and day out. If railways are the property of people there is no reason why only about 8 lakhs of employees should disrupt the entire economy of the country by going on strike day in and day out. Out of six demands of railwaymen four have been accepted. Only two demands have not been acceded to. These demands were regarding parity and bonus and they were under negotiations with Railway Minister. On 1st May an agreement was reached on certain demands. But the Chairman, Co-ordination Committee did not present himself for affixing his signatures on the agreement on certain issues which had been mutually accepted. What were the reasons therefor? Further, at the end of the one stage of negotiation, the Chairman, Shri George Fernandes said that all the negotiations were a meaningless exercise. On the other hand, he said that the technical notice of the strike would not prejudice the negotiations. In his speeches at various places in the country Shri Fernandes also been instigating the people to indulge in disruptive activities. This shows the mind of integrity he had. In these circumstances Govt. has acted correctly in arresting such an individual.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Hon. Member has alleged that Shri George Fernandes had instigated the people to indulge in disruptive activities. I want to know in which Newspaper it has appeared. Was it based on intelligence report or it was only a means to bring a bad name to him?

Shri Bhagwat Jha Azad : I have said it with full responsibility.

Mr. Chairman : In my opinion only those things may be uttered on floor of this House for which Hon. Member may quote some reference in support of it either a newspaper report or a copy of speech.

Shri Bhagwat Jha Azad : There are three sources of knowledge, i.e. personal, derivative and authentic. It is based on my personal knowledge. He has delivered such speeches in Asansol, Dhanbad, Calcutta and Lucknow.

श्री समर गुह (कण्टाई) : माननीय सदस्य ने जानकारी के जो तीन साधन बतायें हैं वे अध्यक्ष महोदय के निर्णय से मेल नहीं रखते । उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि श्री फर्नांडिस ने कलकत्ता, दिल्ली आदि में इस प्रकार के भाषण दिये ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या श्री फर्नांडीज़ के भाषण के समय सदस्य महोदय वहां उपस्थित थे अन्यथा क्या उनके पास श्री फर्नांडिस के भाषण के टेप रिकार्ड हैं, यदि नहीं तो उनका व्यक्तिगत जानकारी की बात कहना निराधार है । वह इसे स्पष्ट करें अन्यथा इस प्रकार की बात न कहें ।

Mr. Chairman : Only such references should be made in the House which could be supported by some documentary evidence.

Shri Bhagwat Jha Azad : The entire approach towards the imminent strike by railwaymen was politically motivated because the leader of the National Union had taken the decision of going on strike without consulting the other unions.

The demands of the railwaymen have been acceded to and this would cost the Govt. about Rs. 80 crores. Further Railwaymen demand parity and bonus and if it is accepted the wage bill of the railways which is Rs. 530 crores would be doubled and in order to meet this the railway fares and freights will have to be increased by 100 per cent.

Govt. has committed a mistake in introducing the system of bonus. Time has come when Govt. should correct it and link the issue of bonus with production.

The previous four strikes in Railways has resulted in loss of Rs. 630 crores to the nation. The proposed rail strike would further disrupt the economy of the country and it would leave far reaching impact. Therefore, this strike should not be tolerated. The Railway Minister should not bow down this time.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं समझौते की बातचीत के गुणदोष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु जिस ढ़ंग से रेल कर्मचारियों को बिना बात के पकड़ा जा रहा है उसका विरोध करता हूं।

यह सत्य है कि इस समय रेल हड़ताल आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ायेगी, किन्तु हड़ताल की स्थिति तो स्वयं आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न हुई है। यह सर्व विदित है कि हड़ताल से उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। यदि सरकार भी यह मानती है तो उसे हड़ताल पर और तालेबन्दी पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। किन्तु इस संबंध में सरकार के स्थिर मत नहीं है एक ओर तो सत्ताधारी दल के सदस्य यह कहते हैं कि हड़ताल करना तो श्रमिकों का मूलभूत अधिकार है और दूसरी ओर श्रमिकों को हड़ताल करने पर देशद्रोही कहा जाता है।

हमें यह पता नहीं कि श्री फर्नांडीज़ ने असनसोल में क्या कहा। किन्तु श्री एन० चक्रवर्ती और श्री महालंगी ने तथा सैकड़ों अन्य व्यक्तियों ने क्या किया है जिन्हें जेल में डाल दिया गया है? सरकार ने पहले तो उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये बुलाया गया फिर उनको जल में बन्द कर दिया गया। यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ इरादा बना रखा था तो बातचीत करने का क्या लाभ होगा? इस प्रकार सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये बुलाने और उन्हें जेल में डालने का सरकार का रवया बहुत ही आपत्तिजनक है। यह तो तानाशाही प्रशासन से भी खराब है।

इस घटना से हमारे दिलों में सरकार के प्रति यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि उसने आरम्भ से ही यह निश्चय कर लिया है कि हड़ताल किसी तरह असफल हो जाये और यह कि वह इसके लिये प्रयत्नशील नहीं है कि हड़ताल न हो वरन वह देश का ध्यान आर्थिक कठिनाइयों की ओर से हटाकर हड़ताल की ओर खींचना चाहती है। और इस प्रकार वह हड़ताल को उन सब असफलताओं के लिये बलि का बकरा बनाना चाहती है जिनसे उनकी गलत योजनाओं तथा स्फितिकारी आर्थिक कार्यक्रम के कारण आर्थिक अव्यवस्था हुई।

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन सब गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाये और बातचीत जारी की जाये।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यह देखकर दुःख होता है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां श्रमिक संघ आन्दोलन, श्रमिकों के व्यवहार और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के व्यवहार देश का सार्वजनिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बंद होने वाला है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जायेगी।

लगता है यहां भी चिली देश की तरह कि षडयंत्र रचा जा रहा है जिसके अन्तर्गत आर्थिक अराजकता फैलाने की योजना है।

श्रमिक संघों ने यदि यह मांग की होती कि उत्पादन के साधनों के स्वामी हम है न कि रेल बोर्ड तो मैं उनकी मांग का पूरा समर्थन करता। यदि उन्होंने रेल प्रबंध में भाग लेने की मांग की होती तो मेरा समर्थन उन्हें पूरा मिलता। यदि हम सच्चे नागरिक हैं तो हमारे महत्वपूर्ण क्षत्र के नेताओं को उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न करने चाहियें। मैंने सरकार को बताया है कि समस्या क समाधान का सबसे अच्छा ढ़ंग यह है कि शक्ति प्रदर्शन न किया जाये किन्तु आज स्थिति यह है कि श्रमिक संघों में भी कुछ लोग असंभव मांगे करते

[श्री वसंत साठे]

हूँ । आप लोग दिल पर हाथ रखकर सोचिये कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में रेल विभाग के लिये और 450 करोड़ रुपए का भुगतान करना संभव है ? रेल श्रमिकों को सार्वजनिक क्षेत्र के समान वेतन देना सम्भव नहीं है ।

फिर, क्या किसी भी उत्तरदायी संघ ने सरकार से यह कहा कि वह बोनस पुनरिक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा, यदि वह रिपोर्ट उनके पक्ष में न होती तो आगे की कार्यवाही के बारे में सोचते किन्तु उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा तो करते ।

Basically, I agree that there should be a national wage policy and monopolists should be removed from the scene and production should be in our own hands but in present days context, they cannot ask for parity with the public sector.

इन दो मांगों को छोड़कर शेष मांगें, जैसे उचित दर की दुकानों को खोलना आदि उचित है । किन्तु अतिरिक्त राजसहायता देना संभव नहीं है। जब रेल प्राधिकारियों को पता लगा कि जार्ज फर्नांडीज़ और उनके कुछ साथी तोड़फोड़ की तैयारी में लगे हैं. . .

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order, Mr. Chairman. Shri Goswami while in the chair had ruled that nothing should be said against a person who is not present in the house and so cannot defend himself. Therefore, I want than no charges should be made against Sh. George Fernandes.

Mr. Chairman: You know that from the moment this discussion started, so many times points of orders have been raised. One or the other name is being quoted. I do not know what to do. I, therefore, leave the matter to the members themselves to decide how for it is proper to quote persons who are not in the House.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं । मैं वार्तालाप समिति की सदस्या हूँ और मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जार्ज फर्नांडीस द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में यह कहा गया था कि (1) यात्री गाड़ियों को निकटतम स्टेशन पर छोड़ा जाये, (2) रेल स्टेशन और संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुँचायी जाये और (3) अलग-अलग मंत्रियों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग और गंदा प्रचार न किया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Chairman, members of the Ruling Party instead of answering the points raised by the opposition members are indulging in mud throwing.

The real question is whether the Government was willing to settle this issue through negotiations? If that was so, why were arrests made at midnight yesterday.

I would like to read out some sentences from the letter sent by Shri George Fernandes from the jail.

उन्होंने लिखा हैं कि श्री मिश्र ने आश्वासन दिया था कि वार्तालाप जारी रहने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी । श्री बरुआ और श्री चौधरी दोनों, जोकि शिकायत समिति के सदस्य हैं, ने 4 बजे समिति की बैठक करनी थी ।

Therefore, the charge that they wanted to break off the negotiations deliberately is baseless.

श्री जार्ज फर्नांडिस ने यह भी लिखा हैं कि रेलवे बोर्ड का यह कथन भी गलत है कि मैं सारांश का मसौदा तैयार करने नहीं आया। उन्हें पता था कि मैं कल लखनऊ था । हमारी ओर से श्री गोखले और श्रीमती पार्वती कृष्णन को उपस्थित होना था ।

In addition to this, I would like to draw the attention to four more things also. One is that Shri Fernandes wrote to Shri Karunanidhi and Shri Achyut Menon for taking initiative for honourable settlement of the railway employees' problems. They should now been given opportunity. Second is that by writing to Shri Vithal Gadgil I tried to arrange a meeting between the Congress Parliament Party and Shri Fernandes. Thirdly, Shri S. M. Banerjee and the other members had said that a delegation of the members of the Parliament should meet the Prime Minister on her return from Iran and Fourthly, a meeting of the Business Advisory Committee was held today and as such it should have been given a chance to discuss the matter relating to railway dispute so that honourable solution could have been tried. We should look at the matter in this background.

From the arrests made, what I feel is, and it is very clear from the Government's circular, that they had already decided that insted of solving the problem through negotiations, the Minister for Railways should show how to rule with rod.

We have not come here to learn the lesson of patriotism. The direct question is whether the Government was interested in setting the issues and the intention of the Government is very clear in their circular.

As regards the arrest of Shri Fernandes in Lucknow I thought that he might have defied orders under Section 144. But on enquiry from the State Government it was revealed that the arrest was made on the orders of Delhi Administration. I fail to understand why those arrests were made when a fresh round of talks was to begin this morning.

So far as the question of demands was concerned, there was no doubt that if the demand of parity was implemented it might lead to some difficulties. Therefore, what the railwaymen want is that the demand should be accepted in principle and then they could be implemented in a phased manner.

The railwaymen also want bonus. Let the Railway Minister amend the terms of reference of the Bonus Review Committee so that it could also consider the question of giving bonus to the railwaymen.

The demands of railwaymen are quite justified and the Government should prepare a phased programme for their implementation. The railwaymen want an honourable settlement. The Government should desist from the path of repression, release their leaders and have a fresh round of talks with their leaders for arriving at a settlement.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): It is wrong to say that the Government or the Railway Minister do not want a settlement. Had it been so, why should have they called all these meetings with the representatives of the workers and why should have they made all these efforts? Let them who say that Government do not want a solution come out with some proof otherwise there is no point in making such charges.

I will like to know from them who claim to be trade union leaders how far it is correct to give a call for strike when the country is passing through a grave economic crisis. Do they consider it is the interest of nation? As a trade union leader I am pointed to see how the trade union movement is going in a wrong direction in the country. No one who had faith in the trade union movement will approve of the methods adopted by them who want the strike to take place.

I also want that the Miabhoy Award and various recommendations of the Wage Board should be implemented. There is also the question of nearly three lakh casual workers who should be made permanent. The Minister has accepted the suggestions of the Chairman and other members of the Coordination Committee and has said that he would implement those suggestions, whatever be the expenditure. The railway workers want the Miabhoy Award to be implemented and it has been implemented.

[Shri Narshing Narayan Pandey]

There are also the demands for bonus and pay parity. I do not say that these demands are not justified. But the question is whether at a time when the country was facing a very serious economic crisis, is it right for the Coordination Committee to press these demands. Rather the Coordination Committee should have told the railwaymen that some of their demands have been met and now they should not do anything which might disrupt the economy of the country.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस समय हड़ताल हर प्रकार से हानिकारक है। उसे टाला ही जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि यदि संभव हो तो रेल कर्मचारी भी हड़ताल को टालना चाहते हैं।

हड़तालों को परस्पर बातचीत द्वारा टाला जाना चाहिए और इस दिशा में सरकार को निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें इस बात में संदेह है कि क्या सरकार ऐसा करना चाहती है। सरकार के लिये पिछले कुछ दिनों के कृत्यों से यह संदेह पैदा होता है। कुछ बातों की ओर तो अन्य सदस्यों ने ध्यान दिलाया है परन्तु मुझे विशेष रूप से प्रधान मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए उस पत्र की ओर ध्यान दिलाना है जिसे समाचारपत्रों में जानबूझकर प्रकाशित किया गया है। इससे सरकार के रूख का परिचय मिलता है। गृह मंत्री ने भी हाल ही में यह घोषणा की है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का उपयोग रेल कर्मचारियों के विरुद्ध खुल कर किया जायेगा। उसके बाद रेल कर्मचारियों के प्रमुख नेताओं को, जो बातचीत में बहुत सहायक होते गिरफ्तार कर दिया गया। इससे सर्वत्र उत्तेजना फैली है।

सरकार को विभिन्न उद्योगों और सेवाओं के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय कतिपय सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। इन सिद्धांतों का पालन समान रूप से किया जाना चाहिए। प्रश्न वतन की समानता अथवा बोनस का हो अथवा कोई और ? बोनस का प्रश्न सरकार को बोनस समीक्षा समिति के समक्ष और अधिक अच्छे तरीके से लाना चाहिए था। उसे कर्मचारियों में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि वह इस मामले में गंभीर है। यदि सरकार गम्भीरता पूर्वक बात करना चाहती है तो रेल कर्मचारियों के सभी नेताओं का अविलम्ब रिहा किया जाना चाहिए।

मजूरी और वेतन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इस संबंध में सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह इस बात की जांच कराने के लिये एक आयोग नियुक्त करेगी।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुंका) : रेल हड़ताल देश के लिये बहुत हानिकारक होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक अवरोध आ जायेगा। यदि हड़ताल लम्बे समय पर चलीं तो चारों ओर अव्यवस्था फैल जायेगी। इस विकट स्थिति का हम सबको सामना करना चाहिये।

इस हड़ताल को टालने के लिये क्या किया जा रहा है। जब तक नेता गिरफ्तार हैं तब तक हम हड़ताल के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच सकते। अत: सरकार को पहला काम यह करना चाहिए कि वह रेल कर्मचारियों के नेताओं को छोड़ दें। जिन मदों के संबंध में समझौता हो चुका है उनके बारे में भी कुछ गलतफहमी है जिसे दूर किया जाना चाहिये।

सरकार ने उचित दर की दुकान खोलने की जिस बात को माना है वह उससे सर्वथा भिन्न जो कर्मचारी चाहते हैं। कर्मचारी यह गारंटी चाहते हैं कि उन्हें रेलवे से अन्न मिलता है। रेलवे को अपने कर्मचारियों के लिये आवश्यक अनाज मिलता रहना चाहिये।

अन्य दो प्रश्न बोनस और वेतन में समानता से संबंधित हैं। पहली बात यह है कि ब सरकार चाहे लाभ हो या हानि सरकारी उपक्रमों को बोनस देने के लिये राजी हो गई

है तब वह यह कैसे कह सकती है कि रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें बोनस नहीं दिया जा सकता ।

रेलवे कर्मचारियों की मांगे सही हैं और उन पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि हड़ताल के परिणाम अच्छे नहीं होंगे । रेलवे कर्मचारीयों की मांगें सर्वथा उचित हैं । उनके साथ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों से भिन्न बर्ताव क्यों किया जाये । किसी सदस्य ने पूछा था कि कृषि श्रमिकों के बारे में क्या कर रहे हैं; क्या रेलवे कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें बहुत कम वेतन नहीं मिल रहा है । रेलवे कर्मचारियों के वेतन की तुलना उनके साथ नहीं की जानी चाहिये अपितु उनकी आय की तुलना अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों से की जानी चाहिये । रेलवे कर्मचारियों की मांगें सही हैं तथा उन पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि हड़ताल के परिणाम बहुत बुरे होंगे । मुझे आशा है कि गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को छोड़ दिया जायेगा, बातचीत आरम्भ की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस मामले के संतोषजनक परिणाम निकलें ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): It has been stressed by all the parties that the deficit areas should be supplied with foodgrains and the requirements of core industry should be met so that the production does not suffer. On the other hand efforts are being made to disrupt the life line. These two things cannot go together. It is not correct to say that Government have ignored the demands of the workers. Government have honoured their commitments. Some of them have already been implemented while others are in the process of implementation. The issue of bonus is being examined by a committee appointed for this purpose. We should await its findings.

The leaders of striking Railwaymen are adopting double dealings. On the one hand they say that they do not believe in violence, but on the other hand they are instigating the workers for sabotage. That is why Government was forced to take action.

श्री प्रिय रंजन दास मुशी (कलकत्ता-दक्षिण) : वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं श्रमिकों के हितों का विरोधी हूँ । इस समय सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि रेलवे जो सरकार का सब से बड़ा उपक्रम है, के श्रमिकों के आन्दोलन का नेतृत्व श्री जार्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं द्वारा किया जा रहा है । मैं इस देश में श्रमिकों के आन्दोलन का बहुत आदर करता हूँ जिसके लिए कार्मिक संघ के अनेक नेताओं और श्रमिकों ने अपना बलिदान दिया है । किन्तु मैं नहीं जानता कि वे इन संगठित श्रमिकों के आन्दोलन का कब तक पक्ष लेते रहेंगे जो अपनी मांगें मनवाने के लिये सरकार को झुकने के लिये मजबूर कर देते हैं । परन्तु जो श्रमिक संगठित नहीं है और जिनकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है, उनका क्या होगा ? तथाकथित प्रगतीशील श्रमिक-नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाला जाता है । हमारे देश में केवल असंगठित वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो वर्तमान आर्थिक संकट में वास्तविक रूप से कठिनाई का सामना कर रहा है । मेरा विचार है कि रेलवे कर्मचारियों की मांगें वास्तविक हैं और इस संबंध में रेल मंत्रालय तथा अन्य विभाग बातचीत कर रहे हैं ।

इस वाद-विवाद में दो बातों पर चर्चा हुई हैं । एक बात तो यह है कि जब बातचीत चल रही है तब श्रमिक संघ के नेताओं को गिरफ्तार किया जाना अनुचित है और इस प्रकार यह मांग की गई है कि नेताओं को छोड़ दिया जाना चाहिये । और बातचीत जारी रहनी चाहिए । दूसरी ओर सरकार यह कह रही है कि जब बातचीत चल रही थी तो श्रमिकों के कुछ नेताओं ने बातचीत के हित के विरोध में कार्यवाही की है । मैं विपक्ष के सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार उनकी होती और उन्हें शांति भंग होने का खतरा

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

होता और यदि उनको बातचीत के बजाय हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले भड़काने वाले भाषणों का सामना करना पड़ता तो वे क्या करते ? इस वर्तमान परिस्थिति में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये सरकार के पास इसके अतिरिक्त और क्या विकल्प है ?

यहाँ कई बार कहा गया है कि कांग्रेस दल धन एकत्र कर रहा है । मैं चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नांडीज की पिछले महीने की दौरान की गतिविधियों की जांच की जाय कि उन्होंने इतना धन कैसे और किन-किन साधनों से एकत्र किया है । श्री फर्नांडीज के क्रियाकलाप श्रमिकों के हित में नहीं हैं ।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि रेलवे कर्मचारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । कुछ कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । श्रेणी चार के कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है । मैंने उनकी कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए रेलवे से बार-बार अनुरोध किया है लेकिन इस दिशा में कुछ कार्यवाही नहीं की गई है ।

रेल मंत्री काफी उदार हैं । उन्होंने श्रम मंत्री तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है । मैं जानता हूँ कि कभी-कभी रेलवे-बोर्ड के लोगों द्वारा उनकी शिकायतें नहीं सुनी जातीं हैं । यदि कर्मचारियों का यात्रियों के प्रति रुख नहीं बदलता और यदि रेलवे बोर्ड अपना रवैया नहीं बदलाता तो इससे और समस्याएं उत्पन्न होंगी । उन शक्तियों क साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिये । लोकतांत्रिक व्यवस्था में तोड़-फोड़ करना चाहते हैं । सरकार को नीचा दिखाने तथा अव्यवस्था फैलाने के लिये एक सुनियोजित तरीका अपनाया गया है । श्रमिकों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कठिनाई पदा करने वालों के हाथों की कठपुतली न बनें ।

श्री सुरेंद्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : स्थिति का विश्लेषण करने पर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचगा कि सरकार ने रेलवे हड़ताल को प्रोत्साहन दिया है, रेलवे कर्मचारियों के यह निश्चय करने पूर्व कि वे 8 मई, 1974 को हड़ताल करें अथवा नहीं, रेल मंत्रालय ने 200 गाड़ियां रद्द कर दीं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तथा रेल मंत्रालय की ओर से ऐसी कार्यवाही के किये जाने का क्या औचित्य है । 200 गाड़ियों को रद्द करने तथा यात्रा करने वालों की परेशानी में डालने, खाद्यान्नों, कोयला आदिकी आवाजाही में अव्यवस्था पैदा करने का क्या विशेष कारण था । केवल सरकार ने ही रेलव कर्मचारियों को हड़ताल के लिय भड़काया है । रेलवे कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं । गिरफ्तार नेताओं को तत्काल रिह किया जाना चाहिए और बातचीत आरंभ की जानी चाहिये ।

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur): At the 15th labour conference, we had accepted the view that the workers must get need based wages but we have not been able to form our National Wage Policy even after so many years.

So long as this is not done, alternatives are bound to be suggested. The demand of parity is one such alternative. If it is accepted then the original demand of need-based wage will have to be given up.

As regards bonus, there can be no two opinions that the railway employees must get bonus. If workers in other sectors can get bonus there is no reason why the railwaymen should not get it. But this is something to be decided by collective bargaining and we will have to decide as to what extent we can go. Any obstinacy in this regard benefited neither the labour movement nor collective bargaining.

I would therefore appeal to the railway employees to adopt the right course and desist from participating in the strike.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : रेल हड़ताल के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे यह प्रीतीत होता है कि सत्ताधारी दल के सदस्य और सरकार इस संकट की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है । तथ्य यह है कि वर्तमान सरकार शासन करने की इच्छा और क्षमता खो चुकी है । वे अपने ही कार्यों से सुविधा में पड़ गये हैं । अब उनका यहां यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि "हमें बचाओ ऐसा न करो क्योंकि हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं ।" किन्तु यह कठिनाइयां किसने पैदा कीं । सरकार के अलावा किसी अन्य ने नहीं ।

सरकार ने यह आरोप लगाया है कि मजदूर संघ के नेताओं के राजनीतिक हित हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के कार्य अपने राजनीतिक हित से प्रेरित हैं । वे देश के सभी भागों में अनेक गाड़ियों को रद्द करके जनता में एक प्रकार का आतंक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । शायद सरकार यह समझती है कि इससे वे लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर लेंगी । किन्तु वास्तविकता यह है कि जनता को रेल कर्मचारियों के साथ अधिक सहानुभूति है । सरकार सारे देश को यह दिखाना चाहती है कि रेल कर्मचारियों के कारण ही अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो रही है किन्तु सचाई यह है कि सरकार स्वयं अर्थव्यवस्था, लोक तन्त्र, संसदीय प्रणाली और जनजीवन में गड़बड़ी पैदा कर रही है । सरकार ने जो कुछ किया है, विशेषकर आज सुबह भी जार्ज फर्नांडीज तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार करना, वह धोखेबाजी का कार्य है ।

सरकार ने बातचीत ईमानदारी से नहीं की है । यदि वे ईमानदारी से बातचीत करते तो उन्हें कोई समझौता करने के लिये गंभीर प्रयास करने थे । दूसरी ओर कर्मचारियों के प्रतिनिधि कोई मान्य दल निकालने के लिये निष्ठा और गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं ।

बोनस की मांग की भी चर्चा की गई है इस संबंध में बहुत कुछ कहा गया है । जब बोनस पुनरीक्षण समिति का उल्लेख किया गया है तो फिर बोनस पुनरीक्षण समिति पर रेल कर्मचारियों को बोनस देने के विरुद्ध क्यों दबाव डाला गया ?

सरकार को इन गिरफ्तार नेताओं को तत्काल रिहा करना चाहिये और यथा शीघ्र बातचीत आरम्भ करनी चाहिये तथा कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांगें हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : श्री मधु लिमये ने आकाश वाणी के 'हवा महल' कार्यक्रम से प्रसारित होने वाले एक प्रसारण का उल्लेख किया है । इस संबंध में आकाशवाणी से पूरी जांच पड़ताल की गई है तथा पता चला है कि सदस्य द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है ।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने कुछ कार्यवाहियों का उल्लेख किया है और कहा है कि श्री जार्ज फर्नांडीज तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिये रेल मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है वरन गृह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय जिम्मेदार हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय का प्रभारी मैं हूं और यह मेरी ही जिम्मेदारी है । यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह मेरी अनुमति से लिया गया है और मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागूंगा ।

यह भी कहा गया है कि हम लोकतन्त्र तथा मजदूर संघों में विश्वास नहीं रखते हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि मैं मजदूर संघों का पूर्ण समर्थक हूं यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ । मैं तो चाहता हूँ कि मजदूर संघ मजबूत हो तथा प्रबुद्ध प्रबंध चाहता हूँ । जब तक रेल कर्मचारियों का मजदूर संघ सुदृढ़ न हो तथा साथ ही प्रबन्ध व्यवस्थित न हो तब तक रेलवे में शांति नहीं रह सकती । यही वास्तविक समस्या है जिसका हमने सामना करना है ।

[श्री एल० एन० मिश्र]

अभी कुछ समय पहले मियां भाई अधिकरण पंचाट के अनुसार किये गये समझौते के अनुसार रेल कर्मचारियों को 70 से 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे । यह राशि उस 110 करोड़ रुपए से अतिरिक्त है जो तीसरे वेतन आयोग की सिफोरिशों का अनुपालन करने में लगे हैं । इस प्रकार एक वर्ष में भारतीय रेल कर्मचारियों के वेतन में 40 प्रतिशत की वृधि हो जायेगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए वेतन के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक बोनस का संबंध है इस बारे में अनेक सदस्यों तथा मैंने सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है और उस पर हम कायम रहेंगे ।

यह भी कहा गया है कि हम बातचीत करके कोई समझौता करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। वास्तव में हम बातचीत करके कोई समझौता निकालने के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं ।, मैंने ही मजदूर संघ के नेताओं को बातचीत के लिये बुलाया था । किन्तु जब हम किसी समझौते पर पहुंचने वाले थे कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो गईं और हम अन्तिम रूप से किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकें ।

हमें आज सुबह बम्बई में श्री महालगी के निधन का भी दुःख है । वह एक रेल कर्मचारी थे मैं हरजीत के प्रश्न पर भी विचार करूंगा और जितना भी संभव होगा दुंगा ।

यह भी कहा गया है कि इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जब तक बातचीत चलती रहेगी तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी । यह बात सही है किन्तु साथ में यह भी सही है कि जब बातचीत चल रही थी तब हमने यह भी कहा था कि अन्य किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की जायेगी । किन्तु हमारे पास इस आशय के समाचार हैं कि बातचीत के दौरान 8 मई को होने वाली हड़ताल के लिये किस प्रकार हर संभव तैयारीयां की जा रहीं थीं । और 30 तारीख को जब हम लोग लगभग समझौते पर पहुंच गये थे तभी रेल भवन से बाहर आते हुए श्री फर्नांडीज़ ने समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से कहा "यह सब व्यर्थ है, 8 मई को हड़ताल होगी "। इससे स्पष्ट है कि वें समझौते के पक्ष में नहीं थे ।

श्री एल० एन० मिश्र : रेलों में औद्योगिक विवाद के बारे में अनेक प्रश्न उठाए गएं हैं। केवल इस वर्ष ही भारतीय रेलों में 75 हड़तालें हुई हैं जिससे 650 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय की हानि हुई है । इस प्रकार अशांत औद्योगिक संबंधों के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था को सर्वाधिक धक्का लगा है ।

अधिकतर वक्ताओं ने अपना ध्यान श्री जार्ज फर्नांडीस की गिरफ्तारी पर केन्द्रीत रखा है । मैं उस संबंध में एक टिप्पण से पढ़कर सुनाऊंगा कि हमें यह कदम क्यों उठाना पड़ा । इसके लिये स्वयं फर्नांडीस ही उत्तरदायी हैं । पिछले कुछ दिनों में वार्ता शुरू होने के बाद श्री जार्ज फर्नांडीस अपने भाषणों में रेल कर्मचारियों को हिंसा और रेल संपत्ति को आग लगाने के लिये भड़का रहे थे... (**व्यवधान**) । वह निष्ठासन कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकने की बात कर रहे थे । वह यह धमकी भी दे रहे थे कि यदि प्रादेशिक सेना बीच में आई तो उसके जवानों के साथ भी भिड़त की जायेगी । एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा था कि वे मध्य रेलवे हड़ताल समर्थक कर्मचारी गाड़ियों की आवाजाही को रोकने के लिये महत्वपूर्ण स्टेशनों पर संचार व्यवस्था को ठप्प करने और सिग्नल प्रणाली को बंद करने की योजना बना रहे हैं । . . . (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : मंत्री महोदय निराधार आरोप लगा रहे हैं...यह सब मनगढ़त है । ऐसा करना सभी संसदीय प्रभाओं के विरुद्ध है ।

श्री एस० एन० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा में यह प्रथा है कि जब कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाएं जाएं तो आपको उसकी समुचित सूचना दी जाये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय, क्या किसी मंत्री या इस सभा के किसी सदस्य के लिये यह उचित है कि वह समन्वय समिति के संयोजक, इस सभा के भूतपूर्व सदस्य और भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के चेयरमैन के विरुद्ध निराधार आरोप लगायें ?

अध्यक्ष महोदय : आखीर यह स्थगन प्रस्ताव श्री जार्ज फर्नांडीस की गिरफ्तारी के कारण प्रस्तुत किया गया है । अत: मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वह उन सब बातों को स्पष्ट करे जोकि उनके विचार से श्री फर्नांडीस की गिरफ्तारी का कारण हैं । इसमें गलत क्या है ? सामान्य चर्चा चल रही है । इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : सरकार को प्राप्त जानकारी से स्पष्ट पता चलता है कि श्री फर्नांडीस और उनके सहयोगियों ने रेल कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि हड़ताल में भाग न लेने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जायेगा । कई स्थानों पर ऐसा किया भी गया है ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और श्री फर्नांडीस ने ही कल की बैठक में जानबूझकर भाग न लेकर बातचीत को तोड़ा है । श्री फर्नांडीस ने बातचीत के दौरान तथा बाहर अपने भाषणों में नकारात्मक रवैया अपनाया है और कर्मचारियों को हिंसा तथा खून-खराबे के लिये भड़का रहे थे ।

विभिन्न हड़तालों के कारण रेल विभाग को 1973-74 में भारी हानि हुई और इस कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैंने बातचीत के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपए की मांगों को स्वीकार कर लिया था ।

मैं इस बात पर फिर जोर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मामला बातचीत से सुलझें और अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ हड़ताल के नोटिस को वापस लें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहली बात यह है कि क्या गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय में मतभेद था क्योंकि एक ओर तो रेल मंत्री आश्वासन दिलाते हैं कि बातचीत के समाप्त होने तक रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और दूसरी ओर गृहमंत्रालय उनकी गिरफ्तारियां कराता है । मियांभाई आयोग ने काफी समय पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और रेल विभाग यदि चाहता तो इसे कुछ वर्ष पहले क्रियान्वित कर देता ।

वास्तव में मंत्रालय आरम्भ से ही बातचीत के बारे में गम्भीर नहीं था । श्री फर्नांडिस की गिरफ्तारी का निर्णय कल नहीं लिया गया । गृह मंत्रालय के 7 अप्रैल 1974 के गुप्त परिपत्र से, जिसे मैंने सभा पटल पर रखा है, तथा 2 अप्रैल के परिपत्र से मेरी बात स्पष्ट हो जाती है ।

आपने श्री फर्नांडिस द्वारा विभिन्न सभाओं में दिए गए भाषणों का उल्लेख किया है । मेरे विचार से यह सब मनगढंत है । यदि उन्होंने कोई बात 23 मार्च, को कही थी तो आप 2 मई तक किस बात की प्रतीक्षा करते रहे ।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

एक ओर तो आप का मंत्रालय बातचीत कर रहा है और जानबूझकर मामले में विलम्ब कर रहा है तथा दूसरी ओर आप रेल कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने वारंट जारी किए गए और कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि हमारे स्थगन प्रस्ताव का संबंध रेल हड़ताल के सिलसिले में पकड़े गए सभी व्यक्तियों से हैं। जहाँ तक रेलों को हुई हानि का संबंध है, उसका कारण अत्यधिक भ्रष्टाचार है। आप ही कुप्रबंध, अपव्यय और अकुशलता के लिए उत्तरदायी हैं।

समन्वय समिति इस बात के लिये उत्सुक थी कि मामला बातचीत के द्वारा सुलझ पाए। किन्तु सरकार अब उनके पीठ पीछें छुरा घोंप रही है। मंत्री महोदय श्री फर्नांडीस को गलत उद्धृत कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

आप इस हड़ताल को तोड़ने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं किन्तु आप इसमें सफल नहीं होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप रेल बोर्ड के अधिकारियों के साथ परामर्श करने के स्थान पर श्रमिक संघों के अनुभागी नेताओं से सलाह लीजिए। आपको निश्चय ही समस्या का समाधान मिल जायेगा। बोनस के लिये 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसके लिये 30 से 35 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यदि धन की कमी है तो पुलिस और रक्षा बजट किस प्रकार बढ़ रहा है।

बोनस पुनरीक्षा समिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। श्रीमती इंदीरा गांधी के पत्र से सरकार का रुख स्पष्ट हो जाता है। बोनस आस्थगित भुगतान होता है। अतः, हानि या लाभ का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं।

"प्रश्न यह है कि अब सभा स्थगित हो"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 28	विपक्ष में 119
Ayes 28	Noes 119

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

कार्यमंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तैंतालीसवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वित्त विधेयक—(जारी)

FINANCE BILL—*Contd.*

श्री अध्यक्ष : अब हम वित्त विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करते है ।

Shri Satpal Kapoor (Patiala): I have already said than the procurement policy we have laid down in regard to the surplus states requires to be reviewed.

Mr. Speaker: You may please continue tomorrow.

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 3 मई, 1974/ 13 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, May 3, 1974/*Vaisakha* 13, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०मा० —बि० 2—18 लोक सभा/74—2-9-74—490.